अध्याय II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II
निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय राजस्थान में' सर्व शिक्षा अभियान' का कार्यान्वयन, 'पुलिस बल का आधुनिकीकरण' तथा राजस्थान में उपलब्ध 'पेयजल की गुणवत्ता' की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करता है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

2.1 राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन

कार्यकारी सांराश

भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उददेश्य से सर्व शिक्षा अभियान की, एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरूआत (2000-01) की गई। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009) द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क, अनिवार्य एवं सुगम बाल शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, विस्तारित किया गया। राजस्थान में साक्षरता दर 60.41 (जनगणना 2001) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (जनगणना 2011) हो गयी। लेकिन फिर भी यह समग्र भारत की साक्षरता दर 73 प्रतिशत (जनगणना 2011) से कम है। राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए 'राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद', उत्तरदायी है। सर्व शिक्षा अभियान, जिला स्तरीय योजनाएँ बनाने में योजना का नीचे (विद्यालय स्तर) से ऊपर की ओर प्रवाह की परिकल्पना करता है। तथापि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा इस परिकल्पना का आमतौर पर ध्यान नहीं रखा गया।

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उनके नामांकन/प्रतिधारण में वृद्धि करना था। तथापि समीक्षा अवधि के दौरान, राज्य में इन क्षेत्रों में मुश्किल से किसी सुधार के साथ, सरकारी व निजी, दोनों ही विद्यालयों में बच्चों की नामांकन दर लगभग स्थिर रही। अवधि 2009-13 के दौरान प्रतिधारण दर में भी कोई सुधार नहीं आया। वर्ष 2013-14 के अन्त तक राज्य में 'विद्यालय से बाहर' 9.07 लाख बच्चे थे।

सर्व शिक्षा अभियान का संशोधित ढ़ांचा 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' (सीडब्लूएसएन) के लिए 'वैयक्तिक शिक्षा आलेख' (आईईपी) तैयार करने तथा उन्हें

विशिष्ट उपकरणों की सहायता से पढ़ाने की परिकल्पना करता है। जबकि वर्ष 2009-10 में कुल चिन्हित बच्चो में से छः प्रतिशत सीडब्ल्यूएसएन, विद्यालय से बाहर थे, वर्ष 2013-14 में भी यह संख्या सात प्रतिशत थी जो नामांकित नहीं थे। नमूना जाँच किये 19 ब्लाकों में 43,365 सीडब्ल्यूएसएन में से वैयक्तिक शिक्षा आलेख मात्र 793 सीडब्ल्यूएसएन हेतु ही आईईपी बनाया गया। अधिकतर उपकरण, जिनका उपयोग सीडब्ल्यूएसएन के लिये कल्पित था, संसाधन कक्षों में बेकार पड़े थे।

सर्व शिक्षा अभियान के मार्गनिर्देशों में प्रारंभिक स्तर पर 6-14 वर्ष आयु वर्ग में लैंगिक अन्तरालों को वर्ष 2013-14 के अन्त तक पाटने की परिकल्पना की गई थी। लेखा परीक्षा निष्कर्षों में पाया गया कि अवधि 2009-14 के दौरान लैंगिक अन्तराल में मात्र 1.11 प्रतिशत की कमी आई। 'प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के क्रियान्वयन के दस साल (2003-13) बाद भी राज्य में महिला साक्षरता दर 52.1 प्रतिशत थी जो कि राष्ट्रीय स्तर (64.6 प्रतिशत) से अभी भी कम है तथा यह सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में निम्नतम स्थान पर खड़ा है। जनगणना 2001 से तुलना करने पर राज्य में महिला साक्षरता में वृद्धि 8.22 प्रतिशत थी जो कि राष्ट्रीय वृद्धि 10.18 प्रतिशत से भी कम थी।

'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' तथा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अवधारणा पर जोर देते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुख्यतः छात्र-शिक्षक अनुपात के संधारण तथा आधारभूत संरचना की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह देखा गया कि अवधि 2009-14 के दौरान सरकारी विद्यालयों में नामांकन में गिरावट के साथ ही निजी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई। 141 विद्यालयों का संचालन बिना विद्यार्थियों के किया जा रहा था तथा 12,782 विद्यालय (17 प्रतिशत) एकल शिक्षक द्वारा संचालित किये जा रहे थे। नमूना जांच किये गये जिलों में 1,526 (13.48 प्रतिशत) प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात प्रतिकूल था। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयाध्यापकों की कमी थी।

अधिकतर विद्यालयो में भवन, तथा पेयजल और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था थी। लेखा परीक्षा द्वारा संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि कई जगह शौचालय जलापूर्ति से नहीं जुड़े थे तथा इनमें से कुछ क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोगी भी नहीं थे। आधे से अधिक विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध नहीं थे तथा लगभग 40 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं थे। लगभग 18 प्रतिशत विद्यालयों में चार दीवारी का निर्माण नहीं किया गया था। चार दीवारी का निर्माण बच्चों को, विशेषकर बालिकाओं को, सुरक्षा प्रदान करने के लिये महत्वपूर्ण है तथा यह विद्यालय में बालिकाओं की प्रतिधारण दर में वृद्धि करने में दूरगामी सिद्ध हो सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि भूमि विवाद तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष व चारदीवारी निर्माण के 113 सिविल कार्य एक वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण पड़े थे।

विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समितियों की बैठको का आयोजन, निर्धारित मानदंडो के अनुसार नहीं किया जा रहा था तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया हेतु दौरो में स्पष्ट कमी थी। जबकि राज्य स्तर पर कार्यकारी समिति की कुछ बैठकें आयोजित की गई परन्तु शाषी परिषद की योजना के प्रारम्भ से अब तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा देश में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ मिलकर एक फ्लैगशिप कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ (2000-01) किया गया था। कार्यक्रम का विशेष बल 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं प्रतिधारण तथा गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था पर था।

भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(ए) अन्तर्स्थापित किया गया जिसके द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इस मूलभूत अधिकार की क्रियान्विति के लिये भारत सरकार ने अप्रेल 2010 में बच्चों का 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009' बनाया जो शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण अर्थात समानता एवं गुणवत्ता, पहुँच, लैंगिक सोच, अध्यापकों की केन्द्रीयता तथा शैक्षिक प्रबन्धन की दक्ष एवं एकीकृत प्रणाली सहित, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मार्च 2013 तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक, निकटवर्ती विद्यालय में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के पश्चात, भारत सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा इसकी गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों को संशोधित (मार्च 2011) किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की। यद्यपि राजस्थान की साक्षरता दर 60.41 (2001 जनगणना) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (2011 जनगणना) हो गई है फिर भी समग्र भारत की साक्षरता दर 73 प्रतिशत (2011 जनगणना) से यह 6.9 प्रतिशत कम है। राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद लिंग अन्तराल, पुरूष साक्षरता दर 79.19 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 52.12 प्रतिशत के साथ, बहुत अधिक है।

2.1.1 अभियान के उद्देश्य

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य थे:

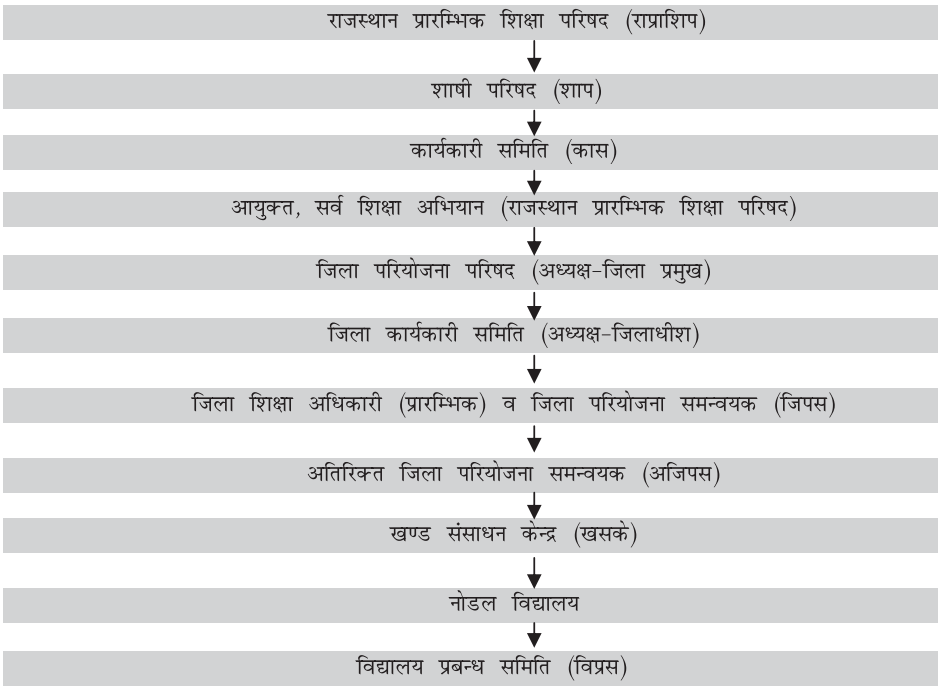
- सार्वभौमिक पहुँच एवं नामांकन द्वारा 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निकटवर्ती स्कूलों में नि:शुल्क, अनिवार्य एवं सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना।
- सभी बच्चों का, अनिवार्यत: आठवर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा चक्र पूर्ण करवाने हेतु बच्चों का सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करना।
- सभी बच्चों को अधिगम की आवश्यक कार्यनिर्वाह क्षमता का स्तर प्राप्त करवाने हेतु शिक्षा की गुणवत्ता में समुचित सुधार पर ध्यान देना।
- प्रारम्भिक स्तर पर सामाजिक एवं लिंग अंतरालों को पाटना।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, 'राजस्थान सोसाइटी पंजियन अधिनियम 1958' के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है जिसका प्रमुख, आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान (राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद), कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसकी राज्य स्तर पर दो अपेक्स समितियाँ, यथा- शाषी परिषद तथा कार्यकारी समिति हैं। मुख्यमंत्री शाषी परिषद का अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं प्रमुख शासन सचिव (विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा) कार्यकारी समिति के क्रमश: अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय, जिसका प्रमुख आयुक्त होता है, कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करता है। जिला परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम के जिला स्तर पर समन्वय तथा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। जिला परियोजना समन्वयक को कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने हेतु, प्रत्येक खण्ड में खण्ड संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समितियाँ गठित की गई हैं जो स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके क्रियान्वयन के लिए परामर्श देने हेतु, राज्य परामर्शदायी परिषद के गठन की परिकल्पना करता है।

संगठनात्मक ढाँचा निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य, यह आंकलन करना था कि:

- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए योजना प्रक्रिया पर्याप्त तथा प्रभावी थी;
- सर्व शिक्षा अभियान का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देते हुऐ 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निकटवर्ती विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा था;
- छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानदण्डानुसार था और आधारभूत सुविधाऐं पर्याप्त थी और
- सर्व शिक्षा अभियान का आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रभावी था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न मापदण्ड अंगीकृत किये गये:

- सर्व शिक्षा अभियान दिशा निर्देश/कार्यतंत्र 2011;
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009;

- भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी नियम, विनियम तथा परिपत्र;
- वार्षिक कार्य योजना एवं बजट, 2009-14;
- जिला स्थानीय वार्षिक योजनायें, 2009-14 एवं
- राज्य परियोजना कार्यालय का सर्वे प्रतिवेदन वर्ष 2009-14

2.1.5 लेखापरीक्षा व्याप्ति

राज्य स्तर पर, राज्य परियोजना कार्यालय के सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा की गई। क्षेत्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा में 33 में से आठ[1] जिला परियोजना समन्वयक तथा 69 में से 19[2] खण्ड संसाधन केन्द्रों के अभिलेखों की समीक्षा की गई जिनका चयन व्यवस्थित सामान्य नमूना पद्धति से किया गया। इसके साथ ही प्रत्येक खण्ड संसाधन केन्द्रों से पाँच विद्यालयों तथा एक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय[3] की नमूना जाँच भी की गई। नमूना जाँच अवधि 2009-10 से 2013-14 थी।

2.1.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

क्षेत्र यात्रा के दौरान राज्य, जिला, खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर संधारित अभिलेखों का गहन परीक्षण/विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा दल द्वारा खण्ड संसाधन केन्द्र के प्रतिनिधियों के साथ 95 चयनित विद्यालयों एवं चयनित खण्डों में प्रत्येक में से एक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया। 16 अप्रैल 2014 को आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान के साथ प्रविष्टि चर्चा की गयी जिसमें लेखा परीक्षा उद्देश्य एवं निष्पादन लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट किया गया तथा लेखा परीक्षित इकाइयों से आँकड़े/सूचना प्रदान करने के लिये सहयोग चाहा गया। 19 नवम्बर 2014 को नियंत्रक (वित्त) एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ निर्गम चर्चा आयोजित की गयी जिसमें लेखा परीक्षा निष्कर्षो पर विस्तृत चर्चा की गयी।

1 अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, सीकर और टोंक

2 तिजारा, रामगढ़, बहरोड़, मुण्डावर (अलवर), आसीन्द, शाहपुरा, सहारडा (भीलवाड़ा), झालरापाटन, सुनेल (झालावाड़), झुन्झुनू, नवलगढ़ (झुन्झुनू) करौली (करौली), बिलाड़ा, मण्डोर, जोधपुर शहर (जोधपुर), नीम का थाना, लक्षमणगढ़ (सीकर), निवाई, देवली (टोंक)।

3 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एक प्रकार का आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है (कक्षा 6 से 8) जो राज्य के 200 खण्डो में 'विद्यालय से बाहर' बालिका मुख्यत: अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित है जो अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकी हो, के लिए खोले गये।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गयी है:

2.1.7 योजना

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों में योजना को निचले स्तर तक पहुँचाने पर ध्यान दिया गया अर्थात जिला स्तर की योजनाएँ तैयार करने के लिये, प्रारम्भिक योजनाएँ निचले स्तर (विद्यालय स्तर) पर तैयार की जानी थी। राज्य स्तर पर राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट जिला स्तरीय योजनाओं पर आधारित होनी थी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विद्यालयों की शैक्षिक एवं आधारभूत आवश्यकता हेतु विशेष बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सर्जित नियमों में भी विद्यालय प्रबंध समितियों[4] की स्थापना पर बल दिया गया जिसमें स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, अभिभावकों या संरक्षकों के प्रतिनिधि, अध्यापक, विद्यार्थी आदि हों।

2.1.7.1 विद्यालय विकास योजनायें

विद्यालय प्रबंध समितियों द्वारा एक ऐसी विद्यालय विकास योजना तैयार करनी अपेक्षित थी जो तीन वार्षिक उपयोजनाओं को समाहित करते हुए एक त्रिवर्षीय योजना हो तथा जिसमें आधारभूत संरचना, मानवश्रम एवं निधियों की आवश्यकताओं का समावेश हो। जिला स्तरीय योजनाएँ इन विद्यालय विकास योजना पर आधारित होनी थी तथा इन्हें अन्ततः राज्य स्तर पर संकलित किया जाना था।

नमूना जॉच किये गये 95 विद्यालयों में से 22 विद्यालयों[5] ने विद्यालय विकास योजना तैयार नहीं की। इसके अभाव में उनकी आधारभूत आवश्यकताएँ (सुविधायें जैसे कक्षाओं की संख्या, शौचालय, चारदीवारी एवं पेयजल सुविधा आदि) आंकी नहीं जा सकी।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2014) कि राज्य स्तर पर वार्षिक योजनाएँ, विद्यालय प्रबंध समिति, खण्ड एवं जिला स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं के आधार पर तैयार की जा रही हैं। तथापि, तथ्य रहा कि जिला स्तरीय योजनाएँ तैयार करते समय विद्यालय स्तर की सूचनाओं को पूर्णतः ध्यान में नहीं रखा गया।

[4] विद्यालय प्रबन्ध समिति, विद्यालय के कार्य संचालन एवं इसकी वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुश्रवण के लिय सक्षम है।

[5] झालावाड़-7, जोधपुर-6, करौली-2, सीकर-7

2.1.7.2 वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में कमियाँ

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यतंत्र के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन एवं निधियों को जारी करने के लिये, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा, जिला स्तरीय योजनाओं पर आधारित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार किया जाना चाहिये। जिला स्तरीय योजनाएँ, विद्यालय विकास योजना एवं प्रत्येक विद्यालय के सम्बन्ध में शिक्षा की जिला सूचना प्रणाली (डाईस) में प्रविष्ट आँकड़ों के आधार पर तैयार की जानी चाहिये।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की जाँच मे निम्न कमियाँ पाई गई:

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार कोई भी बालक ऐसे किसी शुल्क या प्रभार या व्यय संदाय करने का दायी नहीं होगा जो उसे प्रारम्भिक शिक्षा लेने और उसे पूरी करने से रोकती हो। तथापि, चूँकि राज्य सरकार द्वारा, शिक्षा का अधिकार नियमों के तहत जारी अधिसूचना में विद्यालय पोशाक का प्रावधान शामिल नहीं किया गया, इसे वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में भी शामिल नहीं किया जा सका। परियोजना अनुमोदन मंडल द्वारा भी इसे कार्ययोजना एवं बजट अनुमोदित करते समय इंगित किया गया।

- राज्य के 33 जिलों में से 20 जिलों (60 प्रतिशत) को भारत सरकार द्वारा, शिक्षा में सुधार हेतु अतिरिक्त निवेश उपलब्ध करवाने के लिये विशेष ध्यान देने योग्य जिलों के रूप में चिन्हित किया गया। वर्ष 2013-14 के प्रस्तावों की जाँच के दौरान पाया गया कि कुल ₹ 3247.34 करोड़ की लागत के समक्ष विशेष ध्यान देने योग्य जिलों के लिये केवल ₹ 1306.47 करोड़ (40.23 प्रतिशत) की राशि अनुमोदित की गयी।

2.1.8 कार्यक्रम क्रियान्वयन

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उददेश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना है। यह कक्षा आठ तक, अर्थात प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से 5) एवं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8), की शिक्षा का प्रावधान करता है। शिक्षा पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान नये विद्यालय खोलने के लिये अनुबन्धित करता है तथा विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं प्रतिधारण में सुधार के लिये निर्देश देता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन की लेखा परीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

2.1.8.1 स्कूली बच्चों का नामांकन

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य, 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009', को लागू करना था जिसमें बच्चों के नामांकन में सुधार एवं उनके प्रतिधारण में वृद्धि को परिकल्पित किया गया है। नामांकन की स्थिति पर चर्चा नीचे की गयी है:

- ***'विद्यालय से बाहर' बच्चे***

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, की धारा 4 के तहत, यदि 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बच्चे को किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया हो अथवा, यद्यपि प्रवेश दिया गया हो परन्तु वह अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सका हो, तो ऐसे बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2010 में करवाये गये 'चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे (सीटीएस)' से पता चला कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 12,10,917 बच्चे विद्यालय से बाहर थे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा इन आँकड़ों के सत्यापन करने पर 2,90,335 बच्चों (मृत, स्थानांतरित, अधिक आयु या कम आयु) को कम कर दिया गया तथा सत्र 2010-11 की समाप्ति पर 'विद्यालय से बाहर' केवल 9,20,582 बच्चे रह गये।

दिशा निर्देशों के अनुसार, 2013 तक 'विद्यालय से बाहर' बच्चों का 100 प्रतिशत नामांकन किया जाना था। विभाग द्वारा सत्र 2011-12 से ऐसे 'विद्यालय से बाहर' बच्चों को विशेष नामांकन अभियान (प्रवेशोत्सव) के द्वारा नियमित विद्यालयों में नामांकित करना प्रारम्भ किया गया। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा 2013-14 में, सीटीएस तथा इस अवधि के दौरान नामांकित/छोड़ गये बच्चों के आँकड़ों के आधार पर 'विद्यालय से बाहर' बच्चों की संख्या प्रक्षेपित की गयी जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में 'विद्यालय से बाहर' बच्चों की संख्या	मुख्य धारा में नामांकित बच्चों की संख्या	वर्ष के दौरान छोड़ गये बच्चों की संख्या	वर्ष के अंत में 'विद्यालय से बाहर' बच्चों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5(2-3+4)**
2011-12	9,20,582	6,28,578	1,62,457	4,54,461
2012-13	4,54,461	1,07,432	66,428	4,13,457
2013-14	4,13,457	1,72,060	59,893	3,01,290

स्त्रोत: राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करवाये गये आँकड़े

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि सत्र 2013-14 की समाप्ति पर 'विद्यालय से बाहर' 3,01,290 बच्चे थे।

यह भी देखा गया कि सीटीएस प्रतिवेदन 2010 के अनुसार, तीन वर्ष की आयु के 13.32 लाख बच्चे थे। उनमें से 7.26 लाख बच्चों को, छः वर्ष की आयु पूर्ण

करने पर सत्र 2013-14 में, कक्षा प्रथम (निजी व सरकारी विद्यालयों) में नामांकित किया गया था, सत्र के अन्त में 6.06 लाख बच्चे अनामांकित रहे। यह इंगित करता है कि प्रवेशोत्सव प्रभावशाली नहीं रहा तथा 'विद्यालय से बाहर' बच्चों की संख्या लगभग स्थिर रही।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि 1.77 लाख बच्चों का नामांकन सत्र 2014-15 में कर लिया गया है, शेष 4.29 लाख बच्चे अनामांकित रहे। इन बच्चों को नामांकित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रत्येक विद्यालय को 'विलेज ऐजुकेशन रजिस्टर (वीईआर)' का संधारण करना आवश्यक था जिसमें विद्यालय के आस पास के क्षेत्र के अनामांकित/'विद्यालय से बाहर' बच्चों के आंकड़े शामिल हों ताकि इन 'विद्यालय से बाहर' बच्चों को नामांकित करने के प्रयास किये जा सकें। चयनित 95 विद्यालयों के भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि 37 विद्यालयों में वीईआर का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में 'विद्यालय से बाहर' बच्चों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2014) कि सभी विद्यालयों में वीईआर संधारित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- ***सरकारी विद्यालयों में नामांकन की घटती प्रवृति***

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की जाँच में पाया गया कि सरकारी विद्यालयों में, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार, बच्चों के नामांकन में 12,18,939 बच्चों (15.71 प्रतिशत) की गिरावट आयी जबकि इसी अवधि में निजी विद्यालयों में 12,04,915 बच्चों (26.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई:

विद्यालय की श्रेणी	वर्ष के दौरान नामांकन		कमी (-) वृद्धि (+)	प्रतिशत
	2008-09	2013-14		
सरकारी विद्यालय	77,59,455	65,40,516	(-)12,18,939	(-) 15.71
निजी विद्यालय	45,44,574	57,49,489	(+)12,04,915	(+) 26.51
कुल	**1,23,04,029**	**1,22,90,005**	**(-) 14,024**	**(-) 0.11**

उक्त सारणी यह दर्शाती है कि कुल मिलाकर नामांकन सीमान्ततः घटा (0.11 प्रतिशत) है।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन की घटती प्रवृति का कारण गाँवों में निजी विद्यालयों का खुलना तथा अंग्रेजी माध्यम के निजी

विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के कारण अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को इनमें शिक्षा दिलाने को वरीयता देना है।

- ***प्रतिधारण दर में सुधार नहीं होना***

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों में, बच्चों के सार्वभौमिक प्रतिधारण के लिए यह सुनिश्चित करना, कि प्रत्येक बच्चे द्वारा आठ वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा चक्र को आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाय, प्राविधित किया गया है।

विगत चार वर्षो में राज्य में, कुल प्रतिधारण दर स्थिर रही और यह 50 प्रतिशत से भी कम रही। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार राज्य स्तर पर प्रतिधारण दर वर्ष 2009-10 में 49.60 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 49.25 प्रतिशत रही।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुये सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि प्रतिधारण दर में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.1.8.2 विद्यालयों तक पहुँच

विद्यालयों तक बच्चों की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में विद्यालय उपलब्ध करवाये गये हों एवं ये बस्तियों के निकट स्थित हों। विद्यालयों में सार्वभौमिक नामांकन एवं बच्चों के प्रतिधारण में सुधार के प्रयास किये जाने आवश्यक हैं।

विद्यालयों की पर्याप्तता

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार नये प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय केवल उन क्षेत्रों में खोले जाने थे जहाँ किसी बस्ती के एक/तीन किलोमीटर की परिधि में कोई स्कूल नहीं हो। ऐसी वंचित बस्तियों में जहाँ एक किमी की परिधि में कोई विद्यालय नहीं हो तथा जहाँ 6-14 आयु वर्ग में कम से कम विद्यालय जाने वाले 15 बच्चे उपलब्ध हो वहाँ पर खोले जा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर 'वैकल्पिक शिक्षा प्रत्याभूति विद्यालय' वंचित बस्तियों में खोले जा सकते हैं।

'भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण' (2010-12) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 1,24,101 बस्तियों में से 72,960 (59 प्रतिशत) बस्तियों में विद्यालय सेवा उपलब्ध करवायी गयी थी तथा 51,141 (41 प्रतिशत) में उपलब्ध नहीं थी। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,23,521 बस्तियों में से 34,164 बस्तियों (28 प्रतिशत) में विद्यालय सेवा उपलब्ध करवायी गयी थी तथा 89,357 (72 प्रतिशत) में विद्यालय सेवा उपलब्ध नहीं

थी। कुल वंचित बस्तियों में से केवल 1,411 (एक प्रतिशत) एवं 1,402 (एक प्रतिशत) बस्तियाँ 'स्टेट नेबरहुड नॉर्म्स' के अनुसार क्रमशः नये प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये योग्य पाये गये थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 2009-10 में परियोजना अनुमोदन मण्डल ने प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से वंचित बस्तियों को शामिल करते हुए प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, दोनों विद्यालय 2:1 के अनुपात खोलने का अनुमोदन किया। तथापि, यह पाया गया कि 2012-14 के दौरान राज्य सरकार ने 2,901 प्राथमिक विद्यालय एवं 2,253 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले। दूसरी तरफ 141 विद्यालयों में कोई भी विद्यार्थी नामांकित नहीं था।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकारते हुए कहा (दिसम्बर 2014) कि 1 से 15 के बीच नामांकन वाले विद्यालय अगस्त 2014 में आपस में विलीन कर दिये गये हैं। आगे यह भी कहा कि नये विद्यालय खोलना एवं विद्यालयों की पर्याप्तता नीतिगत मामले हैं।

2.1.8.3 समावेशन

सर्व शिक्षा अभियान में समावेशन की अवधारणा, अन्य बातों के अलावा लैंगिक अन्तराल को पाटने के लिए लड़कियों तथा 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' का समावेश करना है। लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा में निम्न पाया गया:

- ***लैंगिक अन्तर को नहीं पाटना***

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर 6-14 वर्ष आयु वर्ग समूहों के सभी लैंगिक तथा सामाजिक अन्तरालों को 2012-13 के अन्त तक पाटना था। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों में लैंगिक अन्तरों को पाटने के लिये 'प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिऐ राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)' तथा 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)' योजना लागू की गयी।

(i) भारत सरकार ने वर्ष 2003 में, सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त घटक के रूप में एनपीईजीईएल कार्यक्रम उन शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों (ईबीबी), जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.13 प्रतिशत) से नीचे थी, में प्रारम्भ किया। इसके अनुसार एनपीईजीईएल कार्यक्रम लागू करने के लिए 31 जिलों के 186 खण्डों में 4,710 मॉडल क्लस्टर विद्यालयों (एमसीएस) का चयन किया गया।

यद्यपि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के पास योजना प्रारम्भ करने से पूर्व एवं बाद के ग्रामीण महिला साक्षरता दर के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, जनगणना 2011

के आंकड़ों की जाँच में पाया गया कि 31 जिलों में से 20 जिलों[6] में ग्रामीण महिला साक्षरता दर 33.02 और 45.92 प्रतिशत (जनगणना 2011) के मध्य थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 46.13 प्रतिशत (जनगणना 2001) एवं 57.9 प्रतिशत (जनगणना 2011) से कम थी।

इस प्रकार, कार्यक्रम के 10 वर्ष (2003-13) तक क्रियान्वयन करने के बाद भी राज्य में महिला साक्षरता दर 52.12 प्रतिशत रही जो राष्ट्रीय स्तर 64.64 प्रतिशत से नीचे तथा सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों की पंक्ति में न्यूनतम स्तर पर थी। राज्य में महिला साक्षरता में 8.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो की राष्ट्रीय वृद्धि 10.18 प्रतिशत की तुलना में (जनगणना-2001) कम थी।

(ii) राज्य स्तर पर अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-10 में राज्य में लैंगिक अन्तराल 9.17 प्रतिशत था। यद्यपि वर्ष 2013-14 में लैंगिक अन्तराल घटकर 8.06 प्रतिशत रहा फिर भी यह काफी अधिक है। बालक और बालिकाओं के नामांकन अनुपात में भी 1:0.83 से 1:0.85 का मामूली सुधार हुआ।

नमूना जाँच किये गये आठ जिलों में लैंगिक अन्तराल की स्थिति निम्न प्रकार थी:

क्र.सं.	जिले का नाम	2009-10 (प्रतिशत में)	2013-14 (प्रतिशत में)
1.	अलवर	8.33	8.10
2.	भीलवाड़ा	12.13	7.55
3.	झालावाड़	9.14	7.48
4	झुन्झुनू	7.81	8.76
5	जोधपुर	7.66	9.96
6	करौली	5.49	8.32
7	सीकर	6.04	7.25
8	टोंक	9.20	5.90

स्त्रोत: डाईस के आंकड़े

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते है कि नमूना जाँच किये गये चार जिलों (जोधपुर, झुन्झुनू, करौली एवं सीकर) में, वर्ष 2009-10 की तुलना में कुल गिरावट की प्रवृति के बावजूद लैंगिक अन्तराल में वृद्धि हुई है, तथ्यों को स्वीकार करते हुये राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि लड़कियों के नामांकन में वृद्धि के प्रयास कर, लैंगिक अन्तराल को कम किया जा रहा है।

[6] अजमेर (41.87), बांसवाड़ा (40.47), बाड़मेर (38.92), भीलवाड़ा (41.08), बीकानेर (44.81), बून्दी (41.56), चितौड़गढ़ (40.68), डूंगरपुर (44.75), जैसलमेर (36.06), जालौर (37.03), झालावाड़ (42.01), जोधपुर (41.99), नागौर (45.92), पाली (43.74), प्रतापगढ़ (39.05), राजसमन्द (43.77), सवाईमाधोपुर (42.65), सिरोही (33.02), टोंक (40.14), उदयपुर (40.46)।

- ***'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' की समावेशित शिक्षा का प्रावधान***

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य बल, 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन)' को सामान्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। समावेशन शारीरिक, सामाजिक एवं गुणात्मक पहुँच के रूप में होना था। सर्व शिक्षा अभियान के संशोधित कार्यतंत्र का अनुच्छेद 3.12 परिकल्पित करता है कि विकलांगता के प्रकार, श्रेणी एवं अंश पर विचार किये बिना, प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन को उचित वातावरण में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान किये जाने को सुनिश्चित किया जाये। सीडब्ल्यूएसएन को चिन्हित किया जाये और उन्हें औपचारिक विद्यालयों में नामांकित कर उपयुक्त रूप से पढ़ाया जाये। प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन की आइईपी तैयार कर उसके अनुसार पढ़ाया जाये। विशेष नि:शक्तता (पूर्णतया अंधे, मन्द बुद्धि, बहुविकलांग, ऑटिज्म एवं सेरिब्रल पाल्सी) वाले बच्चों को 'गृह आधारित शिक्षा पद्धति' के अन्तर्गत उनके घर पर ही शिक्षा दी जानी है।

वर्ष 2009-14 के दौरान 'विद्यालय से बाहर' सीडब्ल्यूएसएन की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

वर्ष	चिन्हित	नामांकित	अनामांकित	अनामांकित का प्रतिशत
2009-10	249551	234301	15250	6
2010-11	234121	220626	13495	6
2011-12	117180	94525	22655	19
2012-13	130327	115857	14470	11
2013-14	116358	107806	8552	7

स्त्रोत: आंकड़े राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के द्वारा उपलब्ध कराये गये।

उक्त सारिणी में देखा जा सकता है कि जहाँ वर्ष 2009-10 मे कुल चिन्हित बच्चों में से छ: प्रतिशत बच्चे 'विद्यालय से बाहर' थे, वर्ष 2013-14 में भी सात प्रतिशत बच्चे अनामांकित रहे। सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुये बताया (दिसम्बर 2014) कि वर्ष 2014-15 मे 'विद्यालय से बाहर' सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की संख्या में कमी लाने के प्रयास किये गये हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित था कि प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन का आइईपी तैयार किया जाना था। नमूना जाँच किये गये 19 खण्डों में पाया गया कि 43,365 सीडब्ल्यूएसएन को वर्ष 2009-14 के दौरान नामांकित किया गया, लेकिन 793 सीडब्ल्यूएसएन की ही आइईपी तैयार किया गया, जो या तो गृह आधारित शिक्षा में या उन विद्यालयों में जहाँ संसाधन कक्ष स्थापित था, में नामांकित थे। इस प्रकार अन्य विद्यालयों, जिनमें संसाधन कक्ष नहीं थे, में नामांकित सीडब्ल्यूएसएन की आइईपी तैयार नहीं की गयी।

आगे, नमूना जाँच किये 19 खण्डों के समस्त 43,365 सीडब्ल्यूएसएन को आवश्यक रूप से 'सम्बलन' (संसाधन कक्ष में शारीरिक व मानसिक अभ्यास) उपलब्ध कराना था

जिनमें से यह मात्र 14,625 (आइईपी वाले 793 सीडब्ल्यूएसएन सहित), जिनको गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही थी, को ही उपलब्ध कराया गया।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि 793 के स्थान पर 2,351 सीडब्ल्यूएसएन की आईईपी तैयार की गयी। प्रत्युतर के साथ प्रमाण स्वरूप कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया तथा नमूना जाँच किये गये खण्डों में भी इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं था। सीडब्ल्यूएसएन के लिये स्थापित संसाधन कक्ष में अधिकांश उपकरण जैसे ट्रेडमिल, व्हील चेयर, ट्राई साईकल, फिजिओ बाल एवं ग्रुप हियरिंग ऐड, इत्यादि, खराब थे। इनके अभाव में सीडब्ल्यूएसएन को शारीरिक अभ्यास कराया जाना सुनिश्चित नहीं हो सका। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अधिकांश उपकरणों की अब मरम्मत करा दी गयी है और ये उपयोग में लिये जा रहे हैं। परन्तु इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखा परीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि 2,46,467 बच्चे विशेष नि:शक्तता से पीड़ित थे जिनको गृह आधारित शिक्षा की आवश्यकता थी। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद ने बताया (अप्रेल 2014) कि वर्ष 2009-14 के दौरान केवल 20,511 (8.32 प्रतिशत) विशेष नि:शक्तता से पीड़ित सीडब्ल्यूएसएन को गृह आधारित शिक्षा में नामांकित किया गया। आगे, 10,090 पूर्णांध श्रेणी के सीडब्ल्यूएसएन में से 7,341 बच्चों को ब्रेल पुस्तिकाऐं उपलब्ध कराई जा सकी। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान अल्प दृष्टि के 91,339 सीडब्ल्यूएसएन में से 1,231 बच्चों (1.35 प्रतिशत) को मोटी छपाई की किताबें उपलब्ध कराई गई।

2.1.8.4 शिक्षा की गुणवत्ता

शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापकों का पर्याप्त नियोजन एवं आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने पर निर्भर है। शिक्षा की गुणवत्ता पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की नीचे चर्चा की गयी है:

अध्यापकों का नियोजन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम भी इस पहलू पर जोर देता है। इसको सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है, कि विद्यालयों में अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाये जायें। लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा में पाया गया कि:

- ***शून्य नामांकन के विद्यालय***

राज्य स्तर पर वर्ष 2013-14 के अन्त तक शून्य नामांकन के कुल 141 विद्यालय संचालित हो रहे थे, जबकि इन विद्यालयों में 248 अध्यापक नियुक्त थे। शून्य नामांकन के कारण सरकार द्वारा विभिन्न मदों, जैसे कि आधारभूत सुविधाओं व अध्यापको के वेतन इत्यादि, पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा। इन अध्यापकों को

आवश्यकता वाले विद्यालयों में पुनर्नियोजित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। लेखा परीक्षा द्वारा जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के प्रतिनिधियों के साथ की गयी संयुक्त जाँच के दौरान अभिभावकों, स्थानीय व्यक्तियों तथा अध्यापकों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, अभिभावकों का अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की ओर झुकाव, आस-पास की बस्तियों में प्राथमिक कक्षाओं हेतु बच्चों की अनुपलब्धता, सरकारी विद्यालयों का निम्न शैक्षणिक स्तर, अध्यापकों द्वारा जनगणना आंकड़ो के सकंलन में व्यस्तता, तथा एक ही गाँव में एक से अधिक सरकारी विद्यालयों का संचालन, शून्य नामांकन के प्रमुख कारण थे।

चयनित जिलों में, वर्ष 2013-14 के अन्त में, शून्य नामांकन के विद्यालयों तथा पदस्थापित अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार था:

क्र.सं.	जिला	शून्य नामांकन वाले विद्यालय	विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक
1.	अलवर	15	26
2.	भीलवाड़ा	01	01
3.	झालावाड़	09	07
4	झुन्झुनू	32	66
5	जोधपुर	10	17
6	टोंक	01	01
	योग	**68**	**118**

स्त्रोत: जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

सारणी से यह दर्शित है कि वर्ष 2013-14 के अन्त तक शून्य नामांकन के कुल 68 विद्यालय संचालित थे जबकि इन विद्यालयों में 118 अध्यापक पदस्थापित थे। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (दिसम्बर 2014) कि शून्य नामांकन के विद्यालय आपस में समावेशित कर दिये गये हैं तथा इन विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षको को अन्य विद्यालयों में पुनर्नियोजित कर दिया गया है।

- ***एकल अध्यापक द्वारा संचालित विद्यालय***

सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित मानदण्डों व 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा हेतु एक अध्यापक होना चाहिए।

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के अभिलेखो की समीक्षा (अप्रेल 2014) में पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 73,069 विद्यालयों (प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय) में से 12,782 विद्यालय (17 प्रतिशत) एकल अध्यापकों द्वारा संचालित थे। इसी प्रकार, आठ जिलो की नमूना जांच में कुल 19,357 विद्यालयों (प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय) में से 2,848 विद्यालय (15 प्रतिशत) एकल अध्यापकों द्वारा संचालित किये जा रहे थे।

जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, अलवर व जोधपुर जिलों मे 17 विद्यालय ऐसे थे जिनमें छात्रों की संख्या 150 से अधिक थी परन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान ये एकल अध्यापक द्वारा संचालित थे। इस प्रकार अध्यापकों का आवश्यकता से कम संख्या में नियोजन, सर्व शिक्षा अभियान के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2014) सूचित किया गया कि अध्यापकों का पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा रहा है तथा विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अध्यापक उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- ***अध्यापको की कमी***

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 25(1) में वर्णित है कि अधिनियम के लागू होने (अप्रेल 2010) के छः महीनों के भीतर, समुचित सरकार और स्थानीय प्रधिकारी यह सुनिशिचित करेंगे कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 'छात्र-शिक्षक अनुपात', अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संधारित किया जा रहा है। तदनुसार, 60 बच्चों तक 2 अध्यापक (30:1), 120 बच्चों तक प्रत्येक अतिरिक्त 30 बच्चों पर एक अतिरिक्त अध्यापक एवं 200 बच्चों तक पाँच अध्यापक (40:1) का अनुपात निर्धारित किया गया। 200 बच्चों से ऊपर यह अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 (120 छात्रों तक) तथा 40:1 (120 छात्रों से ऊपर) का होना चाहिए।

नमूना जाँच में सम्मिलित जिलों में अध्यापकों की अपर्याप्तता की स्थिति निम्न सारणी में दर्शित है:

जिला	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	शिक्षको की आवश्यकता	पदस्थापित शिक्षकों की संख्या	कमी	उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात के विद्यालयों की संख्या	छात्र-शिक्षक अनुपात
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3-4)**	**6**	**7**
120 तक नामांकन (छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1)						
अलवर	1601	3808	3437	371	454	36:1 to 42:1
भीलवाड़ा	2040	4611	3709	902	428	33:1 to 38:1
झालावाड़	1072	2482	2220	262	-	29:1
जोधपुर	2498	5636	5041	595	147	29:1 to 35:1
करौली	1094	2466	2246	220	65	29:1 to 33:1
सीकर	1449	3135	3071	64	-	25:1 to 27:1
टोंक	1055	2286	2185	101	26	28:1 to 31:1
120 से **ऊपर** नामांकन (छात्र-शिक्षक अनुपात 40:1)						
अलवर	170	869	605	264	170	48:1 to 52:1
भीलवाड़ा	67	335	230	105	67	43:1
झालावाड़	69	354	251	103	09	40:1 to 82:1
जोधपुर	111	568	407	161	111	42:1 to 58:1
करौली	47	235	197	38	47	43:1
सीकर	30	152	145	07	02	29:1 to 65:1
टोंक	14	70	61	09	-	33:1
योग	**11,317**	**27,007**	**23,805**	**3,202**	**1,526**	**-**

उपरोक्त आँकड़ों के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि नमूना जाँच जिलों (सिवाय झुंझुनू) में कुल 11,317 प्राथमिक विद्यालयों में 3,202 अध्यापको की अपर्याप्तता थी, इसीलिये छात्र-शिक्षक अनुपात संधारित करने में असफल रहे। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जिलों जैसे भीलवाड़ा और झालावाड़, जहाँ साक्षरता दर राज्य औसत से पाँच फीसदी कम है, में क्रमशः 1,007 व 365 अध्यापकों की कमी थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के चार वर्ष बाद भी, 11,317 प्राथमिक विद्यालयों में से 1,526 प्राथमिक विद्यालयों में (13.48 प्रतिशत), छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानदंडो के विपरीत था **(परिशिष्ट 2.1)**।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2014) सूचित किया कि विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अध्यापक उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात बनाये रखने के सन्दर्भ में सूचित किया कि अध्यापकों का पुनर्नियोजन किया जा चुका है।

- ***उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विषय अध्यापकों की उपलब्धता***

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची के अनुसार, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा विषयों हेतु, प्रत्येक के लिये कम से कम एक अध्यापक का पदस्थापन आवश्यक है।

नमूना जाँच किये गये आठ जिलों के 34 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 13 विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक (12 में 2009-10 से तथा 1 में 2013-14 से), 18 विद्यालयों में गणित अध्यापक (15 में 2009-10 से, 1 में 2010-11 से तथा 02 में 2013-14 से) 06 विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन अध्यापक (2009-10 से) एवं 03 विद्यालयों में भाषा अध्यापक (2 में 2009-10 से व 1 में 2011-12 से) पदस्थापित नहीं थे। तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रक्रियाधीन है।

आधारभूत सुविधाएँ

- ***विद्यालयो में आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता।***

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कार्यतंत्र के अनुच्छेद 1.5 के अनुसार, 31 मार्च 2013 तक प्रत्येक विद्यालय (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) में, बारहमासी भवन, प्रत्येक अध्यापक हेतु कम से कम एक कक्षा-कक्ष, बाधा मुक्त प्रवेश, लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, चारदीवारी और पुस्तकालय, उपलब्ध होना चाहिए।

वर्ष 2013-14 के अन्त तक राज्य स्तर पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति निम्न प्रकार थी:

	विद्यालयों की संख्या प्रा./उ.प्रा.	भवन रहित	एकल कक्ष	बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय नहीं	पेयजल का न होना	खेल मैदान का न होना	चारदीवारी न होना	पुस्तकालय का न होना
कुल	80074	1313	2089	3214	3967	48285	14644	31677
प्रतिशत		(1.64)	(2.61)	(4.01)	(4.95)	(60.30)	(18.29)	(39.56)

स्त्रोत: राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ें।

अधिकांश विद्यालयों में भवन, पेयजल सुविधा और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध थे। तथापि, यह देखा गया कि बड़ी संख्या में विद्यालय, बिना चारदीवारी, खेल मैदान तथा पुस्तकालय के थे। चारदीवारी का निर्माण बच्चों में विशेषकर बालिकाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती जो विद्यालय में बालिकाओं की प्रतिधारण दर में सुधार लाने हेतु दूरगामी सिद्ध हो सकती है।

आठ नमूना जाँच जिलों के 95 विद्यालयों में, लेखा परीक्षा द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ किये गये संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि 78 विद्यालयों के शौचालय जलापूर्ति से नहीं जुड़े थे तथा इनमें से 11 विद्यालयों के शौचालय जीर्णक्षीर्ण अवस्था में होने के कारण उपयोगी नहीं थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2014) कि आवश्यक आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- ***अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय***

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्यालय परिसर में स्थान की उपलब्धता व निर्माण कार्य की आवश्यकता का आकंलन, स्कूल मैपिंग के अनुसार किया जावे ताकि स्वीकृत कार्यों को बाद में निरस्त करने की अथवा निलम्बित रखने की स्थिति उत्पन्न न हो। वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार सभी सिविल निर्माण कार्य, स्वीकृति दिनांक से 2 से 6 माह की अवधि में पूर्ण हो जाने चाहिए। विद्यालय प्रबन्ध समिति सभी निर्माण कार्यो को समय पर पूर्ण करने हेतु जिम्मेदार हैं।

अवधि 2009-14 के दौरान, राज्य स्तर पर, परियोजना अनुमोदन मण्डल द्वारा कुल 1,19,431 अनुमोदित कार्यों में से केवल 93,897 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 31

मार्च 2014 तक, 86,382 कार्य पूर्ण किये गये थे तथा 7,515 कार्य (आठ प्रतिशत) अपूर्ण अथवा शुरू नहीं किये गये थे।

नमूना जाँच आठ जिलों में अपूर्ण कार्यों[7] की स्थिति निम्न प्रकार से थी:

(₹ करोड़ में)

स्वीकृति का वर्ष	लंबित कार्यों की संख्या	लंबित कार्यों हेतु स्वीकृत राशि	व्यय किया	अपूर्ण रहने के कारण
2009-10	16	0.20	0.17	कार्य, भूमि विवाद, भूमि का उपलब्ध न होना व कार्यों का विद्यालय प्रबंध समिति के स्तर पर शुरू न किया जाना, के कारण अपूर्ण पड़े थे।
2010-11	45	0.75	0.62	
2011-12	29	0.55	0.47	
2012-13	23	0.94	0.66	
योग	**113**	**2.44**	**1.92**	

स्त्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

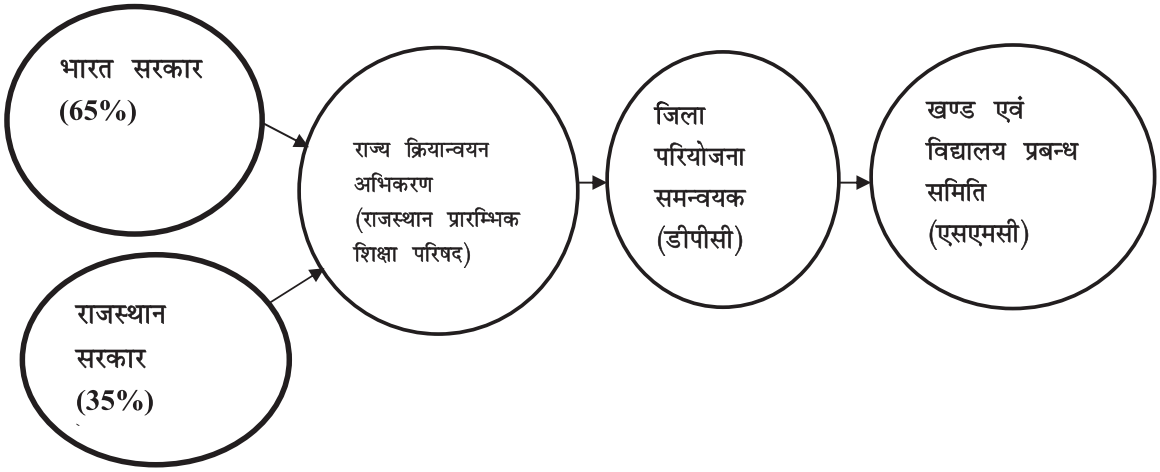
इस प्रकार सम्बन्धित कार्यकारी सस्थाओं द्वारा कुल स्वीकृत राशि ₹ 2.44 करोड़ के समक्ष ₹ 1.92 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, 113 कार्य भूमि विवाद, न्यायालय वाद एवं विद्यालय प्रबंध समिति की लापरवाही के कारण, एक वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण पड़े थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (दिसम्बर 2014) कि भूमि विवादों को निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.1.8.5 वित्त प्रबंधन

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर, अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन मण्डल को प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निधियाँ सीधे ही राज्य क्रियान्वयन अभिकरण को दो किस्तों में जारी की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा, वर्ष 2009-10 के अनुपात 60:40 को छोड़कर, 65:35 के अनुपात में निधियाँ उपलब्ध करवाई जानी थी। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य के प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जारी सहायता अनुदान को कुल परिव्यय में शामिल किया गया लेकिन भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के मध्य निधियों की गणना से पूर्व, तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान को कुल परिव्यय में से कम किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में निधियों के प्रवाह का रेखा चित्र निम्न प्रकार है:

[7] अतिरिक्त कक्षा कक्ष, चारदीवारी, पेयजल सुविधायें, विद्युतीकरण रैम्प तथा टायलेट।



वर्ष 2009-14 के दौरान भारत सरकार(भास)/राजस्थान सरकार(रास) द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरण को जारी निधियों तथा व्ययों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत लागत	सहायतार्थ अनुदान (तेरहवाँ वित्त आयोग)	प्रारम्भिक शेष	द्वारा जारी की गयी निधियाँ		अन्य प्राप्तियाँ	कुल	कुल व्यय	अन्तिम शेष	प्रतिशत
				भास	रास					
2009-10	2172.69	-	255.27	1271.24	702.58	9.81	2238.90	1992.31	246.59	11.01
2010-11	3023.83	-	246.59	1461.82	1180.73	16.48	2905.62	2644.25	261.37	9.00
2011-12	3525.62	320.00	261.37	1485.81	1222.10	21.15	3310.43	3047.69	262.74	7.94
2012-13	3784.31	356.00	262.74	1535.20	1417.57	19.68	3591.19	3405.54	185.65	5.16
2013-14	3247.34	394.00	185.65	2424.89	1129.00	8.05	4141.59	3541.00	600.59	14.50

स्त्रोत: वर्षवार लेखा परीक्षित लेखा विवरण।

- ***अग्रिमों का समायोजन न होना***

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के वर्ष 2013-14 के तुलन पत्र की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला परियोजना समन्वयकों तथा राज्य परियोजना कार्यालय को जारी ₹ 160.24 करोड़ के अग्रिम, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, 31 मार्च 2014 तक असमायोजित थे। व्यय विवरणों/उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, निधियों के उपयोग को, लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुऐ बताया (दिसम्बर 2014) कि विद्यालय प्रबन्ध समितियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण, समय पर अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जा सका। अग्रिमों के समायोजन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

यद्यपि जन लेखा समिति ने वर्ष 2011-12 के 48वें प्रतिवेदन में, इसकी पुनरावृति रोकने के लिये आवश्यक व्यवस्था करने की अनुशंसा की थी, अग्रिमों का बकाया रहना अभी भी जारी है।

2.1.9 आंतरिक नियंत्रण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के आंतरिक नियंत्रण का अभाव

- मानव संसाधान विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'वित्तीय प्रबन्धन एवं प्राप्ति नियमावली-2010' के अनुसार राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद अथवा अन्य स्तरों पर, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से पूर्ण एवं आंशिक रूप से सृजित परिसम्पत्तियों की एक पंजिका, निर्धारित प्रारूप में संधारित की जानी चाहिये। यह पाया गया कि यद्यपि सृजित परिसम्पतियों का मूल्य वार्षिक लेखों में दर्शाया जा रहा था परन्तु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद तथा आठ नमूना लेखा जांच जिलों में से किसी में भी, परिसम्पति पंजिकाओं का निर्धारित प्रारूप में संधारण नहीं किया जा रहा था। परिणाम स्वरूप, कार्यक्रम की निधियों से अधिग्रहित/सृजित परिसम्पतियों के संधारण एवं सुरक्षा को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथ्यों को स्वीकारते हुऐ राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2014) कि विद्यालय प्रबन्ध समितियों को परिसम्पति पंजिकायें संधारित करने के लिये दिशा निर्देश जारी (फरवरी 2014) किये जा चुके हैं।

- राज्य परियोजना कार्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं थी जबकि सर्व शिक्षा अभियान के लिए वित्तीय प्रबन्धन एवं प्राप्ति नियमावली में यह प्रावधित था। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2014) कि जिला परियोजना समन्वयक, खण्ड संसाधन केन्द्र, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति की आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पन्न करवाई जा रही है। तथ्यानुसार, राज्य परियोजना कार्यालय तथा राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं करवाई जा रही थी।

2.1.10 अनुश्रवण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय प्रबन्धन एवं प्राप्ति नियमावली के अनुच्छेद 101 के अनुसार अनुश्रवण, कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा परिणाम चिन्हिकरण, दोनों के लिये, एक सतत् प्रक्रिया होगी। राज्य में कार्यक्रम के तहत अनुश्रवण तीन स्तरों पर किया जा रहा है (i) स्थानीय समुदाय/विद्यालय स्तर पर (ii) जिला स्तर पर, तथा (iii) राज्य स्तर पर। कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य सरकार को करना था।

- ***विद्यालय स्तर पर***

अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2011 के अनुच्छेद 4(3) के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए स्कूल स्तर पर माह में एक बार विद्यालय प्रबंध समितियों[8] की बैठक की जानी चाहिए। चयनित विद्यालयों की नमूना

[8] विद्यालय प्रबन्ध समिति (विप्रस) विद्यालय की गतिविधीयों तथा वित्त के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि विद्यालय प्रबंध समितियों की बैठकें निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं की जा रही थी। वर्ष 2009-14 के दौरान प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा की जाने वाली 60 बैठकों के विरूद्ध मात्र 11 से 53 बैठकें ही आयोजित की गई थी।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अधिकांश महिला सदस्यों एवं अभिभावकों के कृषि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, वे विद्यालय प्रबंध समितियों की बैठकों मे भाग लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए बैठकें मानदण्डानुसार आयोजित नहीं की जा सकी।

- ***जिला स्तर पर***

जिला प्रभारी अधिकारी को अनुश्रवण की दृष्टि से माह में दो दिवस का दौरा करना था जिनमें जिला मुख्यालय, एक खण्ड, एक नोडल केन्द्र तथा तीन विद्यालयों को शामिल किया जाना था। उनके द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन सात दिवस में राज्य स्तर पर स्थित अनुश्रवण शाखा को प्रस्तुत किया जाना था। अनुश्रवण शाखा को मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाने थे।

इंगित किये जाने पर, जिला परियोजना समन्वयकों ने अवगत कराया (जुलाई 2014) कि जिला प्रभारी अधिकारी के दौरों के अभिलेख, जिला स्तर पर संधारित नहीं किये जाते हैं। यह अनुश्रवण प्रक्रिया में कमी को दर्शाता हैं। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 14, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 28 तथा सहायक अभियन्ता द्वारा 36 स्थानीय दौरे किये जाने के मासिक लक्ष्य निर्धारित (2010-11) किये गये थे। नमूना जाँच जिलों में वर्ष 2010-14 के दौरान नीचे दर्शाये अनुसार, इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया:

क्र.सं.	जिले का नाम	दौरे के लिये मानदण्ड			वास्तविक दौरे		
		जिला परियोजना समन्वयक (14x12x4)	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (28x12x4)	सहायक अभियन्ता (36x12x4)	जिला परियोजना समन्वयक	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	सहायक अभियन्ता
1.	अलवर	672	1344	1728	NA	NA	326
2.	भीलवाड़ा	672	1344	1728	NA	28	36
3.	झालावाड़	672	1344	1728	NA	NA	NA
4.	झून्झुनु	672	1344	1728	232	233	330
5.	जोधपुर	672	1344	1728	NA	460	1065
6.	करौली	672	1344	1728	287	691	1056
7.	सीकर	672	1344	1728	NA	856	1518
8.	टोंक	672	1344	1728	NA	85	383

स्त्रोत: जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि राज्य स्तर पर जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिवदेन, अनुश्रवण शाखा को प्रेषित किये जा रहे हैं। इस प्रकार के कोई दस्तावेज नमूना जाँच जिलों तथा राज्य परियोजना कार्यालय में संधारित नहीं पाये गये। राज्य सरकार ने पुनः बताया कि जिला परियोजना समन्वयक के पास जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला परियोजना समन्वयक का दोहरा प्रभार होने के कारण निर्धारित संख्या में दौरे नहीं किये जा सके।

- ***राज्य स्तर पर***

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 15 के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा व्यापक नीतिगत मार्गदर्शन एवं निर्देशन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली शाषी परिषद की वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 34 के अनुसार परिषद के उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जानी चाहिए। शाषी परिषद की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई यद्यपि इसका गठन नवम्बर 1998 में किया गया था। इस प्रकार शाषी परिषद परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा नीतिगत मार्गदर्शन एवं निर्देश प्रदान करने के कार्य का निर्वहन करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-14 के दौरान कार्यकारी समिति की बीस के विरूद्ध मात्र सात बैठकें आयोजित की गई। कार्यकारी समिति की बैठकों में मुख्यतया वार्षिक कार्य योजना तथा बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्मिकों की नियुक्तियों सम्बन्धी मुददों पर विचार विमर्श हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुऐ बताया कि कार्यकारी समिति की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर ही आयोजित की गई थी इसीलिये बैठकों की संख्या कम थी।

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए कार्यतंत्र के अनुच्छेद 6.10.2 के अनुसार निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों के दौरान एक स्वतन्त्र तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य था तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी निर्देशित किया था कि वर्ष विशेष में स्वीकृत शत प्रतिशत कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया जाना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में कोई भी निर्माण कार्य, तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया। इस प्रकार, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद ने कहा (मई 2014) कि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन ही मात्र विकल्प नहीं हैं। इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा पर्याप्त निधियाँ तथा स्वीकृतियाँ प्रदान नहीं करने के कारण निर्माण कार्यो का तृतीय पक्ष

मूल्यांकन नहीं कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन अनिवार्य था।

भारत सरकार ने राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी अनुश्रवण के लिए तीन बाह्य संस्थाओं यथा-'विकास अध्ययन संस्थान', 'सोशियल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट', एवं 'सेन्टर फॉर डवलपमेंट एण्ड कम्यूनिकेशन स्टड्ीज' को नामित किया था। इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुसार निरीक्षण किये गये विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं थे, शिक्षक, 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' में उल्लिखित शिक्षकों के कर्त्तव्यों और दायित्वों के बारे में जागरूक नहीं थे, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जागरूक नहीं थे, विद्यालयों में दोपहर का भोजन निम्न स्तरीय था, विद्यालयों में प्रगति पत्रक नहीं दर्शाये गये थे तथा विद्यालयों के अभिलेख अद्यतन नहीं थे।

2.1.11 निष्कर्ष एवं अनुशंषाऐं

सर्व शिक्षा अभियान ने राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में बड़े कदम बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। राजस्थान की सकल साक्षरता दर 2001 में 60.41 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 66.10 प्रतिशत हो गयी। आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति से ज्ञात होता है कि राज्य में कुल 80,074 प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में से अधिकांश विद्यालयों में भवन, पेयजल सुविधा तथा छात्राओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध थे। फिर भी, कुछ कमियों तथा अन्तरालों पर ध्यान दिया जाना था, जिनको नीचे उल्लेखित किया गया है:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने (अप्रेल 2010) के तीन वर्ष के भीतर सभी बच्चों को विद्यालयों मे नामांकित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 में कुल चिन्हित में से छः प्रतिशत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 'विद्यालय से बाहर' थे जबकि वर्ष 2013-14 में ये सात प्रतिशत थे जिन्हें नामांकित नहीं किया गया।

राज्य सरकार को प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक 'विद्यालय से बाहर' बच्चों को नामांकित करने के प्रयास करने चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन के लिए भी विशेष प्रयास करने चाहिए।

राज्य में सकल लिंग अन्तराल 1.11 प्रतिशत कम हुआ परन्तु यह 8.06 प्रतिशत है जो अभी भी अधिक है। महिला साक्षरता दर 52.12 प्रतिशत, अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम थी। नमूना जाँच वाले चार जिलों (जोधपुर, झुंझुनू, करौली तथा सीकर) में लिंग अन्तराल वास्तव में बढ़ा है।

राज्य को छात्राओं के नामांकन में सुधार तथा लिंग अन्तराल को पाटने के कार्यक्रमों पर जोर देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को शैक्षणिक भ्रमण, प्रदर्शनियों, वृतचित्रों, नुक्कड़ नाटकों आदि द्वारा लड़कियों, अभिभावकों तथा समुदायों में, लड़कियों को स्कूलों में नामांकित कराने के बारे में जागरूकता लाने के भी प्रयास करने चाहिए।

राज्य में 12,782 स्कूल एकल शिक्षकों द्वारा संचालित थे। यह गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा यहाँ अपर्याप्त छात्र-शिक्षक अनुपात भी है जो छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में अनुवर्ती प्रभाव डालता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयाध्यापकों की कमी है।

राज्य सरकार को शिक्षकों की रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने, अपर्याप्त छात्र-शिक्षक अनुपात में प्रगति लाने के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयाध्यापकों की नियुक्ति के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए।

अनुश्रवण, कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा परिणाम चिन्हिकरण, दोनों के साथ, एक सतत प्रक्रिया है। जहाँ विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकें निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं की गई, जिला स्तर पर भी कार्यक्रम अनुश्रवण के लिए की जाने वाली यात्राओं में स्पष्ट रूप से कमी थी। राज्य स्तर पर, शाषी परिषद की प्रारम्भ से ही कोई बैठक आयोजित नहीं की गई जबकि कार्यकारी समिति की कुछ बैठकें आयोजित हुई।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय स्तर पर नियमित बैठकें; जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा अधिक दौरे तथा व्यापक नीतिगत मार्गदर्शन एवं निर्देश देने के लिए शाषी परिषद की बैठकें आयोजित की जावें।

गृह विभाग

2.2 राजस्थान में पुलिस बल का आधुनिकीकरण

कार्यकारी सांराश

राज्य पुलिस बलों की परिचालन क्षमता में सुधार एवं उन्हे आन्तरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सुसज्जित करने हेतु भारत सरकार ने 'राज्यों में पुलिस बलों की आधुनिकीकरण की योजना' का शुभारम्भ किया। यह देखा गया कि इस योजना को लागू करने और इसका समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, राजस्थान सरकार ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की। वार्षिक योजनाऐं भी भारत सरकार को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए अपना अंशदान भी नहीं दिया क्योंकि राज्य सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए पृथक से वस्तुओं की खरीद कर रही थी। इसके अलावा राज्य सरकार केन्द्रीय योजनाओं के तहत उपलब्ध धनराशि का 36 और 79 प्रतिशत के मध्य उपयोग नहीं कर सकी।

राज्य सरकार को, अवधि 2009-14 के दौरान 15,884 आधुनिक हथियारों की आवश्यकता थी, जिसके समक्ष केवल 3,962 हथियार (25 प्रतिशत) प्राप्त हुए, परिणामत: आधुनिक हथियारों की कमी रही। इस योजना के तहत क्रय किए गये अधिकतर हथियार, क्षेत्रीय इकाइयों को वितरित नहीं किए गये तथा ये निष्क्रिय पड़े रहे। धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद राज्य में 31 मार्च 2014 को 8,132 वाहनों की आवश्यकता के समक्ष 2,252 वाहनों की कमी रही।

पुलिस थानों की नमूना जांच में बुनियादी उपकरण, जैसे लाठी, शील्ड, बॉडी प्रोटेक्टर आदि की पर्याप्त कमी देखी गई।

अपराध स्थल तक पहुँचने के लिए ग्रामीण और शहरी पुलिस दलों के लिए अलग-अलग प्रतिक्रिया समय निर्धारित किया गया है, तथा इस प्रतिक्रिया समय को पुलिस थानों में अपराध पंजिका में दर्ज किया जाना आवश्यक है। पुलिस थाना प्रभारियों द्वारा अधिकतम मामलों में प्रतिक्रिया समय की गणना तथा आवश्यक जानकारी अपराध पंजिका में दर्ज नहीं की गई।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में नमूने, विश्लेषण के लिए लम्बित थे जिससे पुलिस जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लम्बित मामलों के लिए तकनीकी स्टॉफ की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया।

राज्य सरकार द्वारा आवासीय/गैर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु उच्च प्राथमिकता दी गई। तथापि, कर्मचारियों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय भवनों के निर्माण में विलम्ब हुआ। 31 मार्च 2014 को कार्यरत 81,804 के समक्ष केवल 25,649 स्टाफ क्वाटर्स थे, इस प्रकार स्टाफ क्वाटर्स की भारी कमी थी। कई प्रकरणों में पूर्ण भवनों को विलम्ब से सौंपा गया। निर्माण स्थलों के चयन व ड्राइंग्स को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण 235 कार्य शुरू नहीं किए गये।

राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एसएलईसी) की बैठकें कम होने के कारण, महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे वाहन, हथियार, भवन/क्वार्टर निर्माण आदि पर सरकार द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

प्रस्तावना

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है तथा मुख्यतया: यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने पुलिस बलों को आधुनिक एवं पर्याप्त रूप से उपकरणों से लैस बनाये।

आन्तरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु राज्य पुलिस बलों की परिचालन कार्यक्षमता में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 'पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना' प्रारम्भ (1969) की गई। योजना का उद्देश्य वाहन, हथियार, संचार प्रणाली, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला/फिंगर प्रिंट ब्यूरो, उपकरण और भवनों के मामलों में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना है।

योजना, 2000-01 में पुनरीक्षित की गई और इसे 10 वर्षो की अवधि के लिए बढ़ाया गया। योजना में 19 नवम्बर 2003 तक भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य, लागत की हिस्सेदारी 50:50 थी। 20 नवम्बर, 2003 से यह संशोधित कर 60:40 कर दी गयी। योजना की समीक्षा सितम्बर 2005 में की गई और राज्यों को 100 और 75 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता के साथ दो समूहों[9] क्रमश: 'ए' और 'बी' श्रेणी में विभाजित किया गया। राजस्थान को 'बी' श्रेणी में रखा गया। बाद में, वर्ष 2012-13 से केन्द्रीय सहायता संशोधित कर क्रमश: 90 और 60 प्रतिशत कर दी गयी। क्योंकि राजस्थान 'बी' राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत था इसलिये यह 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का हकदार था। 'पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना' को 2011-12 तक परिचालन के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए 2016-17 तक अनुमोदित कर दिया गया।

[9] श्रेणी ए: जम्मू एवं कश्मीर राज्य और सिक्किम सहित आठ उत्तर पूर्वी राज्य, श्रेणी बी: शेष राज्य।

डेजर्ट पुलिसिंग को पहली बार, वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2005-06 में सम्मिलित किया गया था जो 2010-11 तक अस्तित्व में रहा। इसके बाद 2011-12 में इसे आधुनिकीकरण योजना से हटा दिया गया।

2.2.1 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा व्याप्ति

लेखा परीक्षा द्वारा पूर्व में वर्ष 2006-07 में योजना की समीक्षा की गई थी और 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), राजस्थान सरकार, के अनुच्छेद 3.2 में इसे सम्मिलित किया गया था। प्रतिवेदन में मुख्यत:, राज्य सरकार द्वारा स्वयं का अंशदान नहीं दिया जाना, निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना, स्टाफ क्वाटर्स की कमी, बेकार वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए खरीदे गये वाहनों का उपयोग, आधुनिक हथियारों की तैनाती में विलम्ब, पर्याप्त मानव शक्ति की योजना बनाये बिना, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संचालन हेतु मंहगे उपकरणों का क्रय करना जैसे प्रकरण सम्मिलित थे। जन लेखा समिति (पीएसी) द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा की जांच, वर्ष 2011-12 (117वां प्रतिवेदन) में की गई थी और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को आगे जन लेखा समिति द्वारा (2012-13 का 185 वां प्रतिवेदन) जांचा गया जिसे अनुच्छेद संख्या 2.2.8.3 और 2.2.9 में सम्मिलित किया गया है।

2.2.2 लेखा परीक्षा उद्देश्य

लेखा परीक्षा द्वारा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा कर यह निर्धारण करना था कि क्या:

- योजना के उद्देश्य, जैसे परिचालन दक्षता, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे आदि को हासिल करने के लिए पर्याप्त योजनाऐं तैयार की गई थी;
- वित्तीय प्रबन्धन कुशल था;
- राज्य पुलिस बल का प्रभावी आधुनिकीकरण किया गया था और
- प्रभावी अनुश्रवण की प्रणाली मौजूद थी।

2.2.3 लेखा परीक्षा मापदण्ड

योजना के क्रियान्वयन के बेंचमार्क हेतु लेखा परीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित से आहरित किये गये:

- भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये योजना के निर्देश एवं दिशा-निर्देश;

- अस्त्र-शस्त्र, वाहन आदि के विभिन्न परिचालित मानकों के लिए पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएण्डडी) द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं मापदण्ड;
- राजस्थान बजट मैनुअल और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान और
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित अनुश्रवण प्रणाली।

2.2.4 संगठनात्मक ढांचा

मुखिया के रूप में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एसएलईसी) योजना की क्रियान्विति का अनुश्रवण करती है। समिति के सदस्यों के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव और महानिदेशक पुलिस, अध्यक्ष को सहायता प्रदान करते हैं।

महानिदेशक पुलिस, पुलिस संगठन के प्रमुख हैं तथा अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण) आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन के प्रभारी हैं। सात पुलिस रेंजों के प्रभारी, महानिरीक्षक (पुलिस) हैं एवं दो पुलिस रेंजों (जयपुर एवं जोधपुर) के प्रभारी, आयुक्त (पुलिस) हैं। दो पुलिस आयुक्तालयों के अन्तर्गत 34 पुलिस जिलों का मुखिया, अधीक्षक, पुलिस एवं छः पुलिस जिलों का मुखिया उपायुक्त (पुलिस) हैं। योजना से सम्बन्धित सभी निर्माण कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपे गये हैं। संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रारूप में दिखाया गया है।

राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एसएलईसी)
(भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक कार्य योजनाओं का विश्लेषण करना एवं योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण)

↓

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
(योजना की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी)

↓

महानिदेशक पुलिस
(योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना)

↓

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रभारी अधिकारी)

↓

जिला अधीक्षक पुलिस/उपायुक्त पुलिस
(जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी)

2.2.5 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए जून-जुलाई 2014 में निष्पादन लेखा परीक्षा की गई। गृह विभाग, महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अतिरिक्त नौ (23 प्रतिशत) पुलिस जिलों (नौ रेंजो[10] में से प्रत्येक में एक) के साथ इन जिलों के 35 पुलिस थानों[11] (20 प्रतिशत) के अभिलेखों की जांच की गई। इसके अलावा, विधि विज्ञान प्रयोगशालांऐं[12], फिंगर प्रिंट ब्यूरो जयपुर, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र एवं पुलिस प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर व झालावाड़, निदेशक पुलिस संचार जयपुर, महानिदेशक (गृह रक्षा), अतिरिक्त महानिदेशक (पुलिस), अपराध और यातायात पुलिस के अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई। निर्माण कार्यों की प्रगति का आंकलन करने के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसीसीएल) व सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अभिलेखों की भी लेखा परीक्षा द्वारा जांच की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के साथ 26 मई 2014 को एक प्रविष्टि बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखा परीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र तथा मापदण्ड पर विचार विमर्श किया गया। लेखा परीक्षा निष्कर्षो पर विस्तार से चर्चा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के साथ, 12 नवम्बर 2014 को आयोजित निर्गम बैठक में की गई। सरकार के विचारों व उत्तरों को निष्पादन लेखा परीक्षा में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 आयोजना

'पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना (योजना)' के दिशा-निर्देशों के पैरा-1 के अनुसार बीपीआरएण्डडी के मानदण्डों (राज्य सरकार ने बीपीआरएण्डडी मानदण्डों के

10 अजमेर (टोंक), भरतपुर (करौली), बीकानेर (चूरू), जयपुर (झुन्झुनू), जयपुर आयुक्तालय (जयपुर पश्चिम), जोधपुर (जोधपुर ग्रामीण), जोधपुर आयुक्तालय (जोधपुर पश्चिम) कोटा (झालावाड़) एवं उदयपुर (चित्तौड़गढ़)।

11 टोंक:4 (उनियारा, अलीगढ़, पचेवर एवं कोतवाली), करौली:4 (सूरौठ, नादौती, करनपुर एवं कैलादेवी), चूरू: 4 (राजगढ़ डूडवाखारा, सुजानगढ़ एवं हमीखास), जयपुर पश्चिम: 3 (झोटवाड़ा, भांकरोटा एवं मुरलीपुरा), झुन्झुनू: 4 (बुहाना, उदयपुरवाटी, बगड़ एवं सुरजगढ़), जोधपुर पश्चिम:2 (चौपासनी ,हाउसिंग बोर्ड एंव झंवर), जोधपुर ग्रामीण: 4 (बिलाड़ा पीपाड़ सिटी, जाम्बा एवं बोरून्दा), झालावाड़:5 (मिसरोली, जावर, पिड़ावा, कामखेड़ा एवं डग), एवं चित्तौड़गढ़: 5 (जावदा, बड़सोरा, निकुम्भ, रावतभाटा, एवं निम्बाहेड़ा)।

12 जयपुर एवं जोधपुर।

विपरीत अपने स्वयं के मानदण्ड[13] अपनाये)। के तहत पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के विभिन्न घटकों की कमियों का चिन्हीकरण एवं विश्लेषण कर, उपकरणों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य पंचवर्षीय सामरिक योजना तैयार करनी थी

भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व, पुलिस महानिदेशक द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि के लिए, वार्षिक कार्य योजनाऐं तैयार की जानी थी, जिसकी राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किया जाना था। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार हर वर्ष भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना तैयार करती है। योजना के तहत विभिन्न घटकों में कमियों को दर्शाते हुए पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुरूप वार्षिक कार्य योजनाऐं तैयार की जानी होती है।

2.2.6.1 दीर्घ कालीन योजना का अभाव

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को दीर्घ कालीन अवधि के लिये पंच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं 2005-10 एवं 2010-15 बनाना आवश्यक था। इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई, इससे दर्शित होता है कि योजना के विभिन्न घटकों में कमियों का विश्लेषण एवं पहचान व राज्य की आवश्यकता का निर्धारण किए बिना सम्बन्धित वार्षिक कार्य योजनाऐं तैयार की गई थी।

यद्यपि, पुलिस महानिदेशक द्वारा 2011-16 की सामरिक योजना तैयार कर, अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजी गई (फरवरी 2012) लेकिन उसे भारत सरकार को अग्रेषित नहीं किया गया। राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि भारत सरकार द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस (23 मार्च 2012) के दौरान, प्रमुख शासन सचिव के साथ हुए विचार-विमर्श में बताया गया कि पंचवर्षीय सामरिक योजना के स्थान पर केवल वार्षिक कार्य योजना 2012-13 भेजी जावे। उत्तर योजना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि 2011-16 की सामरिक योजना 2009-10 में तैयार की जानी थी, जबकि कान्फ्रेंस मार्च 2012 में आयोजित की गई थी। साथ ही, भारत सरकार द्वारा (दिसम्बर 2010) सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि योजना के विभिन्न घटकों में कमियों का विश्लेषण व चिन्हीकरण करने के साथ, राज्य पुलिस बल की व्यावसायिक कार्य क्षमता

[13] भवन (मार्च 2000): 100 प्रतिशत आवास, वाहन (दिसम्बर 2011): आयुक्तालय के लिए एक जीप एवं चार मोटर साइकिल, तीन मोटर साइकिल शहरी एवं दो मोटर साइकिल ग्रामीण के प्रत्येक पुलिस थाने के लिए, हथियार (मई 2006): निरीक्षक/उपनिरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक (9 एमएमपिस्टल) हैड कॉन्सटेबल (इन्सास/एके राइफल) एवं कॉन्सटेबल (7.62 एसएलआर) आदि एवं उपकरण (अगस्त 2007): स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत एफ आर पी हेलमेट्स, 50 प्रतिशत पोली कार्बोनेट लाठी, 40 प्रतिशत पोली कार्बोनेट शील्ड एवं 40 प्रतिशत बोडी प्रोटेक्टर।

व संचालन दक्षता में सुधार के लिए, अवधि 2011-16 के लिए पंच वर्षीय सामरिक योजना तैयार कर अनुमोदन हेतु भारत सरकार को अग्रेषित की जाये। सामरिक योजना के अभाव में संचालन दक्षता में सुधार के लिए राज्य सरकार की रणनीति, भारत सरकार को सूचित नहीं की गयी।

2.2.6.2 वार्षिक कार्य योजना का विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवधि 2009-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजनाऐं भारत सरकार को

विलम्ब से प्रस्तुत की गई, जैसा निम्नानुसार दर्शाया गया है:

वर्ष	गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड से प्राप्त पत्र की देय तिथि	गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड से प्राप्त पत्र की वास्तविक तिथि	दिशा-निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड को वार्षिक कार्य योजनाऐं प्रस्तुत करने की देय तिथि	गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड के पत्र के अनुसार पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड को वार्षिक कार्य योजनाऐं प्रस्तुत करने की देय तिथि	गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड को वार्षिक कार्य योजनाऐं प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड को वार्षिक कार्य योजनाऐं प्रस्तुत करने में विलम्ब अवधि (दिवस में)
2009-10	अक्टूबर 2008 का प्रथम सप्ताह	22 दिसम्बर 2008	31 दिसम्बर 2008	7 जनवरी 2009	2 जनवरी 2009	-
2010-11	अक्टूबर 2009 का प्रथम सप्ताह	30 दिसम्बर 2009	31 दिसम्बर 2009	22 जनवरी 2010	21 जनवरी 2010	-
2011-12	अक्टूबर 2010 का प्रथम सप्ताह	2 दिसम्बर 2010	31 दिसम्बर 2010	27 दिसम्बर 2010	17 फरवरी 2011	53 दिवस
2012-13	31 दिसम्बर 2011	20 मार्च 2012	15 जनवरी 2012	15 अप्रेल 2012	13 मई 2012	29 दिवस
2013-14	31 दिसम्बर 2012	25 मार्च 2013	15 जनवरी 2013	15 अप्रेल 2013	26 जून 2013	73 दिवस

स्त्रोत: महानिदेशक पुलिस द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2011-12 से 2013-14 तक की वार्षिक कार्य योजनाएं, प्रस्तुत करने की देय तिथि से 29 एवं 73 दिवस की देरी से भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। गृह मंत्रालय द्वारा भी इंगित किया गया कि वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने तथा भारत सरकार को प्रस्तुत करने के गम्भीर प्रयास नहीं किए गये।

आगे, गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने राज्य सरकार को 2012-13 के लिए संशोधित वार्षिक कार्य योजना भिजवाने के लिये निर्देशित किया (3 जुलाई 2012)। यह देखा गया कि भारत सरकार को संशोधित वार्षिक कार्य योजना, छः माह के विलम्ब से, जनवरी 2013 में भेजी गई।

2.2.7 वित्तीय प्रबन्धन

2.2.7.1 कोष प्रवाह एवं वित्तीय स्थिति

वर्ष 2009-12 की अवधि के दौरान, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना में 75:25 के अनुपात में, निधियां उपलब्ध करानी थी। इसे 2012-13 से 60:40 के अनुपात में संशोधित किया गया। वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात, तीन कार्यकारी संस्थाओं यथा राज्य सरकार, आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, को भारत सरकार अपने हिस्से की राशि सीधे ही जारी करती है।

अवधि 2009-14 के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी निधियां एवं उसके समक्ष किए गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित कार्यान्वयन योजना	प्रारम्भिक शेष	जारी की गयी राशि		कुल उपलब्ध राशि (3+4+5)	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अन्तिम शेष (प्रतिशत)	अंशदान जो राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया
			भारत सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009-10	119.91	17.54	51.18	0.00	68.72	34.01	34.71 (51)	17.06
2010-11	111.73	34.71	47.88	0.00	82.59	52.63	29.96 (36)	15.96
2011-12	96.95	29.96	33.10	0.00	63.06	38.58	24.48 (39)	11.03
2012-13	161.22	24.48	15.88	0.00	40.36	22.65	17.71 (44)	10.59
2013-14	179.41	17.71	62.83	0.00	80.54	17.31	63.23# (79)	41.89
योग	**669.22**		**210.87**	0.00		**165.18**		**96.53**

स्त्रोत: वार्षिक कार्यान्वयन योजना एवं महानिदेशक पुलिस द्वारा दी गयी सूचना

राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड: ₹ 58.06 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशाला: ₹ 0.64 करोड़ एवं राजस्थान सरकार: ₹ 4.53 करोड़।

उपरोक्त सारणी से निम्न बिन्दु दृष्टिगत हुये:

- राज्य सरकार द्वारा 2009-14 की अवधि के दौरान स्वंय का निर्धारित अंशदान ₹ 96.53 करोड़ नहीं दिया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि उसने एक आवासीय योजना की शुरूआत की है, जिसके लिये 'आवासीय शहरी विकास निगम' (हुड़कों) से ₹ 563.61 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया एवं ₹ 96.00 करोड़ प्रति वर्ष का पुनर्भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (नवम्बर 2014) कि पुलिस आधुनिकीकरण के विभिन्न मदों के क्रय के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत राशि (₹ 194.70 करोड़) जारी की गयी थी। तथ्य रहा कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजना में स्वंय का अंशदान नहीं दिया था।

- 2009-14 की अवधि के दौरान, विभाग 36 से 79 प्रतिशत तक की निधियों का उपयोग नहीं कर सका। इससे दर्शित होता है, कि योजना के विभिन्न मदों को लागू करने के लिये विभागीय तन्त्र को तैयार नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2014) कि अथक प्रयासों के बावजूद क्रय में विलम्ब हुआ। सरकार ने बताया कि योजना की राशि का उपयोग करने के लिये निष्ठापूर्वक प्रयास किये जायेंगे।

महानिदेशक, पुलिस के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि यद्यपि 2009-14 की अवधि में विभाग के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध थी, विभाग ने नीचे दर्शाये अनुसार अधिकतम व्यय (21 से 77 प्रतिशत के बीच) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह (मार्च) में, किया:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रेल को उपलब्ध राशि	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	मार्च माह में किया गया व्यय	मार्च मे किये गये व्यय का प्रतिशत
2009-10	17.54	13.14	10.11	77
2010-11	34.71	20.49	9.43	46
2011-12	29.96	27.74	11.49	41
2012-13	24.48	17.25	3.61	21
2013-14	17.06*	9.45	4.33	46
योग	**123.75**	**88.07**	**38.97**	**44**

* राज्य सरकार द्वारा ₹ 0.65 करोड़ का पुनर्वैधीकरण नहीं किया गया।
स्त्रोत: महानिदेशक, पुलिस (सेन्ट्रल स्टोर) द्वारा दी गयी सूचना।

2.2.8 कार्यक्रम क्रियान्वयन

योजना का उद्देश्य वाहन, अस्त्र-शस्त्र, संचार प्रणाली, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोग- शाला, उपकरण और भवन निर्माण द्वारा पुलिस बलों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना था। राज्य सरकार को अपनाये गये मानदण्डों[13] के अनुसार योजना के सभी मदों की आवश्यकताओं का, आंकलन एवं अभिग्रहण करना था।

वर्ष 2009-14 के लिये वार्षिक कार्यान्वयन योजना में प्रस्तावित विभिन्न मदों के विरूद्ध, इस अवधि में उपकरणों की वास्तविक प्राप्तियों के विश्लेषण में पाया गया कि प्राप्तियों में 17 से 100 प्रतिशत की भौतिक कमी, एवं 3 से 100 प्रतिशत की वित्तीय कमी रही। वार्षिक कार्यान्वयन योजना की वृहद् मदों, यथा वाहन, अस्त्र-शस्त्र, संचार उपकरणों आदि का विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है। राज्य सरकार ने

बताया (नवम्बर 2014) कि उनके द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के विभिन्न मदों के क्रय के लिये, योजना से अलग भी राशि जारी की गयी थी। राशि की उपलब्धता के बावजूद, विभाग भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सका। आगे के अनुच्छेदों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विभाग के निष्पादनों की चर्चा की गयी है:

2.2.8.1 अस्त्र-शस्त्र

भारत सरकार ने वर्ष 2009-14 के दौरान आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, यथा 7.6 एमएम सेल्फ लोडेड राईफल्स (एसएलआर), 5.56 इन्सास राईफल्स, 9 एमएम कार्बाइन, रॉकेट लॉन्चर (आरएल), 51 एमएम मोर्टार, लाइट मशीन गन (एलएमजी), एके राईफल्स, अन्डर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल), टीयर गैस गन्स इत्यादि के क्रय के लिये ₹ 44.44 करोड़ अनुमोदित किये। इसके समक्ष, मार्च 2014 तक विभाग ने ₹ 19.82 करोड़ के अस्त्र-शस्त्र क्रय किये। आधुनिक अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता का निर्धारण, प्राप्ति एवं उपयोग में पायी गयी कमियां निम्नानुसार हैं:

- ***आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों की कमी***

अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन योजना के अनुसार, वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान 15,884 आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों की आवश्यकता थी। इसके समक्ष, राज्य सरकार ने 4,956 (31 प्रतिशत) आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का आदेश दिया और मार्च 2014 तक विभिन्न उपक्रमों[14] से केवल 3,962 (25 प्रतिशत) अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये गये। यद्यपि, समग्र कमी 75 प्रतिशत की थी, वर्षवार कमी 99 प्रतिशत (2009-10), 22 प्रतिशत (2010-11), 17 प्रतिशत (2011-12), 76 प्रतिशत (2012-13) एवं 47 प्रतिशत (2013-14) रही।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2014) कि उसी वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें आदेश जारी किये गये थे, अस्त्र-शस्त्र प्राप्त नहीं होने और उनके मूल्यों में वृद्धि होने के कारण, कम संख्या में अस्त्र-शस्त्रों को क्रय किया गया। आगे यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा ओएफबी को सीधे ही राशि स्थानान्तरित की गयी।

उत्तर सहमति योग्य नहीं था, क्योंकि 15,884 अस्त्र-शस्त्रों में से 12,992 अस्त्र-शस्त्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपक्रमों, यथा ओर्डनेन्स फेक्ट्रीज और सीआरपीएफ जैसी सेन्ट्रल पैरा-मिलिट्री फोर्सेज से, क्रय करने थे।

[14] राइफल फैक्ट्री, ईशापुर, गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर, स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर, सीआरपीएफ, रामपुर एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा आयात

- ***इकाईयों को वितरण के अभाव में अस्त्र-शस्त्रों का निष्क्रिय रहना***

सेन्ट्रल स्टोर, जयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जहाँ एक तरफ विभाग में अस्त्र-शस्त्रों की कमी थी, वहीं दूसरी तरफ योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, पुलिस स्टेशनों को जारी नहीं किये गये एवं निम्नानुसार सेन्ट्रल स्टोर के स्टॉक में जमा थे:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अस्त्र-शस्त्रों के नाम	प्राप्त अस्त्र-शस्त्रों की संख्या	मूल्य	वितरित अस्त्र-शस्त्रों की संख्या	सेन्ट्रल स्टोर में रखे अस्त्र-शस्त्रों की संख्या	आनुपातिक मूल्य
1	कार्बाईन 9एम एम/1ए1	190	0.66	326[15]	0	0
2	9 एम एम पिस्टल/ऑटो	624	1.91	124	500	1.53
3	एस एल आर 7.62 एम एम	196	0.94	196	0	0
4	इन्सास/5.56 इन्सास	559	2.39	454	105	0.45
5	12 बोर पम्प एक्शन गन	929	4.61	605	324	1.61
6	रॉकेट लॉन्चर	11	1.32	16[15]	0	0
7	51 एम एम मोर्टार	14	0.19	37[15]	0	0
8	एल एम जी 5.56 एम एम	33	0.39	18	15	0.18
9	पिस्टल ग्लोक	626	1.28	0	626	1.28
10	एम पी 5-ए3	196	2.47	0	196	2.47
11	एम पी 5-के	36	0.55	0	36	0.55
12	एम पी 5-एस डी	36	0.88	0	36	0.88
13	गैस गन/एम बी एल	80	0.17	0	80	0.17
14	ए जी एल 30 एम एम	7	1.20	0	7	1.20
15	ए के सीरीज	425	0.86	0	425	0.86
	योग	**3,962**	**19.82**	**1,776**	**2,350 (59 प्रतिशत)**	**11.18**

2009-14 की अवधि के दौरान प्राप्त हुये 3,962 अस्त्र-शस्त्रों में से 2,350 अस्त्र-शस्त्र 31 मार्च 2014 को सेन्ट्रल स्टोर में रखे हुये थे। इस प्रकार, क्रय किये गये अस्त्र-शस्त्रों में से 59 प्रतिशत, क्षेत्रीय इकाईयों को वितरित नहीं किये गये।

यह भी देखा गया कि महानिदेशक, पुलिस द्वारा निर्देश (अगस्त 2012, जनवरी और मई 2013) जारी किये गये थे कि नये क्रय किये गये अस्त्र-शस्त्रों (राकेट लॉन्चर, राईफल एसएमजी, एमपी 5 एसडी, एमपी 5 के, एमपी 5 ए 3) को, प्रशिक्षण दिये

[15] 164 अस्त्र-शस्त्र (कार्बाइन 9 एमएम/1 ए1: 136, राकेट लॉन्चर:5 एवं 51 एमएम मोर्टार:23) पूर्व अवधि में अधिक क्रय किए गये एवं वितरित नहीं किए गये।

जाने के बाद ही क्षेत्रीय कार्यालयों को वितरित किया जाये। लेकिन इन अस्त्र-शस्त्रों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सम्मिलित ही नहीं किया गया।

नौ चयनित पुलिस जिलों के 35 पुलिस स्टेशनों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2014) कि 1,227 अस्त्र-शस्त्रों की आवश्यकता के समक्ष, 918 (75 प्रतिशत) की कमी के साथ, केवल 309 अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध थे। इससे दर्शित होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस इकाईयों, जो कि कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होती हैं, को मजबूत और सुसज्जित नहीं किया गया अथवा ये इकाईयां पुराने अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि 'विभागीय निरीक्षण समिति' के द्वारा निरीक्षण किये जाने के बाद ही क्षेत्रीय इकाईयों/जिलों को अस्त्र-शस्त्र आवंटित किये जाते हैं। प्राप्त होते ही अस्त्र-शस्त्रों को जल्दी से जल्दी क्षेत्रीय इकाईयों को वितरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को तीन महीने में पूर्ण करने के निर्देश जारी किये गये हैं और वर्तमान मे स्टॉक शून्य है।

- ***बन्दूकों की वारंटी अवधि समाप्ति के पश्चात् गोलाबारूद क्रय किया जाना***

जनरल मैनेजर, गन कैरिज फेक्ट्री, जबलपुर द्वारा महानिदेशक, पुलिस को 99 बन्दूकों (₹ 44.50 लाख) की आपूर्ति (फरवरी 2011) की गयी। लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि इन बन्दूकों की वारंटी अवधि फरवरी 2012 तक थी और उपयोगकर्ता द्वारा इनका समुचित भण्डारण एवं उत्पाद का निर्धारित शर्तों के अनुरूप उपयोग करना था। तथापि, विभाग ने एम्यूनिशन फैक्ट्री, खड़की, पूणे को गोलाबारूद (एन्टी-रिओट रबर बुलेट्स), जो कि इन बन्दूकों में उपयोग करना था, की आपूर्ति के लिये जुलाई 2012 में आदेश दिया। गोलाबारूद की आपूर्ति वांरटी अवधि की समाप्ति के दो वर्ष बाद फरवरी 2014 में प्राप्त हुई। इसके परिणामस्वरूप बन्दूकों की वारंटी अवधि के अन्दर जाँच नहीं की जा सकी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि बन्दूकें फरवरी 2011 में प्राप्त हुयी थी और गोलाबारूद के लिये प्रोफार्मा इन्वाइस मार्च 2012 में प्राप्त हुआ। तद्नुसार, गोलाबारूद के क्रय का आदेश जुलाई 2012 में दिया गया।

2.2.8.2 उपकरण

साम्प्रदायिक, राजनीतिक एवं अन्य आन्दोलनकारी गतिविधियों के नियन्त्रण हेतु, पुलिस बलों को साधनों से सुसज्जित होना आवश्यक है, ताकि कानून व्यवस्था सम्बन्धी समस्या उत्पन्न न हो।

35 नमूना जांच पुलिस स्टेशनों में राज्य सरकार के मानदण्डानुसार [13] (अगस्त 2007), 2,772 उपकरणों[16] की आवश्यकता थी, जबकि केवल 422 (15.23 प्रतिशत) उपकरण

[16] एफआरपी हेलमेट:771, पॉली कार्बोनेट लाठी: 771, शील्ड:615 और बॉडी प्रोटेक्टर: 615

ही उपलब्ध थे। इस प्रकार, वहाँ 2,350 (84.77 प्रतिशत) उपकरण कम थे। इससे दर्शित होता है, कि पुलिस कार्मिक अपने क्षेत्र कर्तव्यों के लिये पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं थे।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि आगे पुलिस स्टेशनों को चरण बद्ध रूप से सुसज्जित किया जावेगा।

2.2.8.3 गतिशीलता

'पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना' के दिशा-निर्देशों (नवम्बर 2010) के अनुच्छेद 7.7 (एफ) के अनुसार वित्तीय आवंटन का 25 प्रतिशत गतिशीलता संबलन के लिये होना चाहिए। लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि गतिशीलता के लिये आवंटन 18 प्रतिशत[17] था।

कानून व्यवस्था की स्थिति को सम्भालने के साथ-साथ अपराधों को रोकने एवं पता लगाने तथा सुरक्षा एवं निगरानी को सुनिश्चित करने के लिये, पुलिस बलों की कार्यवाही परिचालन दक्षता वृद्धि हेतु, उनका गतिशील होना आवश्यक है। गतिशीलता में वृद्धि से प्रतिक्रिया समय में कमी और पुलिस बलों की कार्यवाही दक्षता में वृद्धि होती है।

भारत सरकार ने 2009-14 की अवधि के लिये वार्षिक कार्यान्वयन योजना में नये वाहन क्रय हेतु ₹ 120.91 करोड़ अनुमोदित किये, इसके समक्ष केवल ₹ 50.33 करोड़ का व्यय किया गया। वाहनों के क्रय एवं उपयोग की जांच में निम्नानुसार कमियाँ पायी गयी:

- ***वाहनों की कमी***

महानिदेशक, पुलिस के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि राज्य सरकार के मानदण्डानुसार (दिसम्बर 2011)[13] आवश्यक कुल 8,132 वाहनों के समक्ष, 2,252 वाहनों की कमी के साथ, केवल 5,880 वाहन उपलब्ध थे। 31 मार्च 2014 की स्थिति को नीचे तालिका मे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण (31 मार्च 2014 को)	वाहनों की संख्या					योग
		भारी वाहन	मध्यम वाहन	हल्के वाहन	मोटर साइकिल	अन्य	
1	आवश्यकता	438	575	2,287	4,585	247	8,132
2	उपलब्ध	220	480	2,274	2,759	147	5,880
3	कमी (प्रतिशत)	218 (50)	95 (17)	13 (1)	1,826 (40)	100 (40)	2,252 (28)

स्त्रोत: महानिदेशक, पुलिस द्वारा दी गयी सूचना

[17] भारत सरकार ने 2009-14 के दौरान ₹ 669.22 करोड़ अनुमोदित किये, उसमें से वाहनों के लिये ₹ 120.91 करोड़ अनुमोदित किये जो कि कुल अनुमोदित राशि का 18 प्रतिशत था।

सबसे अधिक कमी भारी वाहनों (50 प्रतिशत) में थी वहीं मोटर साइकिल व अन्य वाहनों (40 प्रतिशत प्रत्येक) में भी कमी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि वाहनों की कमी को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- ***नये वाहनों का प्रतिस्थापन हेतु क्रय***

अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन योजना एवं दिशा निर्देशानुसार, अनुपयोगी वाहनों का प्रतिस्थापन, योजना के अन्तर्गत प्राविधित राशि में से न करके, राज्य बजट से किया जाना था। जन लेखा समिति (पीएसी) की 2012-13 की 185वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 4 (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन-सिविल 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 3. 2.9.1, राजस्थान सरकार) में सिफारिश की गयी थी कि अनुपयोगी वाहनों के प्रतिस्थापन द्वारा समायोजन के सम्बन्ध में, भारत सरकार के अनुमोदन के समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें, क्योंकि योजनानुसार अनुपयोगी वाहनों का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की और अनियमितता अभी भी की जा रही थी।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि योजना राशि से 1,203 वाहनों (₹ 50.33 करोड़) का क्रय किया गया एवं ₹ 7.97 करोड़ मूल्य के 222 वाहनों (18 प्रतिशत) का उपयोग पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिये किया गया। प्रतिस्थापन के विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. सं.	वाहन का नाम	31.3.2009 को उपलब्ध वाहनों की संख्या	2009-14 के दौरान क्रय किये गये वाहनों की संख्या	31.3.2014 को वाहनों की कुल संख्या	31.3.2014 को उपलब्ध वाहनों की वास्तबिक संख्या	प्रतिस्थापित पुराने वाहनों की संख्या
1	भारी वाहन	174	19	193	193	-
2	मध्यम वाहन	399	112	511	480	31
3	हल्के वाहन	1,828	563	2,391	2,274	117
4	मोटर साइकिल	2,355	478	2,833	2,759	74
5	अन्य	108	31	139	139	-
	योग	**4,864**	**1,203***	**6,067**	**5,845**	**222**

*राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये वाहनों को सम्मिलित नहीं किया गया है (भारी वाहन: 27, अन्य:8)
स्त्रोत: महानिदेशक, पुलिस द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2014) कि अनुपयोगी वाहनों का प्रतिस्थापन जनहित में किया गया। दिशा निर्देशों के सन्दर्भ में उत्तर सही नहीं है, क्योंकि वाहनों का प्रतिस्थापन राज्य बजट से किया जाना था।

- ***योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाले वाहनों का क्रय***

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 7.6(जी) के अनुसार, केवल परिचालन वाहन जैसे जीप, मोटर साइकिलें, मध्यम/भारी वाहन ही क्रय करने की अनुमति थी। योजना के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कार जैसे वाहनों के क्रय को अनुमोदित नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा जाँच मे पाया गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान, परिचालन वाहनों की कमी के बावजूद, अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन योजना एवं दिशा-निर्देशों के विपरीत, ₹ 3.78 करोड़ मूल्य की 66 कारों[18] का अनियमित क्रय किया गया।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2014) कि कारों का क्रय विशेष परिचालनों हेतु किया गया था। उत्तर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कारों का क्रय अनुमत्य नहीं था और इनको वार्षिक कार्यान्वयन योजना में भी अनुमोदित नहीं किया गया था। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय इकाईयों के लिये केवल परिचालन वाहनों जैसे जीप, मोटर साइकिलें, मध्यम/भारी वाहनों को ही अनुमोदित किया गया था।

- ***सेन्ट्रल स्टोर द्वारा वाहनों को प्रतिधारित करना***

योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय इकाईयों के कर्मचारियों की परिचालन दक्षता में वृद्धि करना है। लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि 2,252 (28 प्रतिशत) परिचालन वाहनों की कमी के बावजूद, सेन्ट्रल स्टोर के द्वारा ₹ 0.53 करोड़ मूल्य के 11 परिचालन वाहनों[19] (2009-10: 4, 2010-11: 1, 2011-12: 1, 2012-13: 3 और 2013-14: 2) को प्रतिधारित किया गया तथा क्षेत्रीय इकाईयों को जारी नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि कुछ वाहनों को विशेष कार्यों, आपातकाल, ब्रेकडाउन आदि की आवश्यकता के आधार पर महानिदेशक, पुलिस द्वारा प्रतिधारित करवाया गया। भारत सरकार के फरवरी 2010 के निर्देशों के सन्दर्भ में, जिसमें वाहनों को केवल पुलिस थानों, आउट पोस्टों और अन्य परिचालन क्षेत्रों मे लगाया जाना सुनिश्चित करना निर्दिष्ट है, स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिये।

- ***वाहनों के आवंटन में विलम्ब***

योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये सत्ताईस वाहनों[20] को सेन्ट्रल स्टोर द्वारा 12 से 41 माह के विलम्ब से क्षेत्रीय इकाईयों को आवंटित किया गया। इससे दर्शित होता है कि वाहनों को क्रय करने से पूर्व उनके समय पर उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया।

[18] इन्डिगो: 29, एम्बेसडर: 04, स्विफ्ट डिजायर: 32 एवं मारूति एसएक्स 4: 01

[19] एल वी: 9 और एम/सी: 2

[20] 2009-10: 8 और 2010-11: 19

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के बाद ही वाहनों का आवंटन किया जाता है। कुछ प्रकरणों में, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, वाहनों का आवंटन रोक दिया गया था।

2.2.9 विधि विज्ञान प्रयोगशाला

अपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य तैयार करने में सहायता प्रदान करने हेतु, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर एवं पाँच क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाऐं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जयपुर, स्थापित की गई थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, विधि साक्ष्यों के विश्लेषण के जरिये जाँच में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने भी समय-समय पर राज्य सरकारों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने हेतु, रिक्त पदों पर प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करने के सुझाव दिए। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के लेखों की जाँच में निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

- ***नमूनों के विश्लेषण लम्बित रहना***

जन लेखा समिति ने वर्ष 2012-13 के 185वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 6 (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2006-07 के अनुच्छेद 3.2.11) के द्वारा, बकाया अपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण की सिफारिश की थी, लेकिन मामले अभी भी यथावत् लम्बित हैं। विभाग ने बताया (जून 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण मामलों की जाँच संभव नहीं हो सकी, यद्यपि पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के लेखों की जाँच में पाया गया कि 31 दिसम्बर 2013 को 12,907 मामले जांच के लिए लम्बित थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान जाँच किए गए मामले	लम्बित मामले
2009	10,765	23,675	34,440	22,670	11,770
2010	11,770	23,533	35,303	21,468	13,835
2011	13,835	24,229	38,064	23,010	15,054
2012	15,054	25,565	40,619	26,847	13,772
2013	13,772	25,991	39,763	26,856	12,907

स्त्रोत: राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर द्वारा उपलब्ध सूचनायें

गत दो वर्षों में प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षणों की संख्या लगभग समान रहने से दर्शित होता है कि अतिरिक्त परीक्षणों की जांच के लिये प्रयोगशालाओं की क्षमता स्थिर रही। विभिन्न प्रयोगशालाओं में लम्बित मामलों के लिए तकनीकी कर्मचारियों की कमी 37 से 53 प्रतिशत थी।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि रिक्त पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2011 की अपेक्षा 2012 में उपलब्धियां अधिक थी, जो कि उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा किए गये अतिरिक्त प्रयासों का परिणाम था।

- ***जीन सीक्वेंसर की खरीद में विलम्ब***

भारत सरकार ने डीऑक्सीराइबो न्युक्लिक एसिड प्रयोगशाला के मुख्य उपकरण 'जीन सिक्वेंसर' की खरीद के लिए राशि ₹ 1.25 करोड़ अनुमोदित की थी (सितम्बर 2006)। राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 27.60 लाख जारी किए गये (अक्टूबर 2008)। इसके पश्चात भारत सरकार से योजना से हटाये गये कुछ मदों के एवज में उपकरण क्रय करने हेतु स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया (फरवरी 2010)। भारत सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी), नई दिल्ली से उपकरण क्रय करने हेतु स्वीकृति एवं आदेश जारी किए (मार्च 2010)। एसटीसी ने ₹ 1.22 करोड़ लागत के इस उपकरण की आपूर्ति जनवरी 2011 में की। इस प्रकार क्रय आदेश जारी करने में चार वर्षो से अधिक का समय लगा तथा प्रयोगशाला में फरवरी 2011 से कार्य प्रारम्भ हुआ। राज्य स्तर पर यह देखा गया कि डीएनए प्रयोगशाला को संचालित करने हेतु (अक्टूबर 2006) में स्वीकृत नौ पदो[21] को (नवम्बर 2014) तक नहीं भरा गया था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि निधियों को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु चिन्हित नहीं किये जाने के कारण विलम्ब हुआ।

- ***विधि विज्ञान उपकरणों की मरम्मत/अनुरक्षण के अभाव में अनुपयोगिता***

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर के 2009-14 की अवधि के अभिलेखों की जाँच के दौरान देखा गया कि राशि ₹ 0.55 करोड़ के विभिन्न उपकरण, मरम्मत/अनुरक्षण के अभाव मे अनुपयोगी पड़े रहे। विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उपकरण का नाम	कब से कार्यशील नहीं	उपकरण की लागत
1	हाई परफॉरमेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ	अगस्त 2011	0.23
2	फोरियर ट्रॉंसफार्म इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर	दिसम्बर 2010	0.15
3	हाई परफॉरमेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ	मार्च 2012	0.17
	योग		**0.55**

स्त्रोत: संयुक्त निदेशक, क्षेविविप्र जोधपुर द्वारा उपलब्ध सूचनायें।

[21] सहायक निदेशक: 1, वरिष्ठ विज्ञान अधिकारी: 2, वरिष्ठ विज्ञान सहायक: 2, प्रयोगशाला सहायक: 2 एवं प्रयोगशाला परिचारक: 2

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि उपकरणों की मरम्मत हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

2.2.10 बुनियादी ढांचे की उपलब्धता

- ***आवासीय एवं गैर आवासीय भवन***

पुलिस स्टेशन, समाज में प्रशासन की विद्यमानता का प्रतीक हैं। पुलिस के लिए भवन सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। राज्य सरकार ने इस घटक को उच्च प्राथमिकता दी है। 'पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना' के दिशा-निर्देशों (नवम्बर 2010) के पैराग्राफ 7.7 (एफ) के अनुसार निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए वित्तीय आवंटन, कुल आवंटन का 50 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत, 2009-14 की अवधि के दौरान, सिविल कार्यों हेतु कार्यकारी एजेन्सियों (आरएसआरडीसीसी/पीडब्ल्यूडी) को ₹ 97.28 करोड़ जारी किए गये। राज्य सरकार ने भी आरएसआरडीसीसी को ₹ 13.94 करोड़ की निधियाँ उपलब्ध कराई। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान आरएसआरडीसीसी (104 कार्य: ₹ 34.82 करोड़) तथा पीडब्ल्यूडी (438 कार्य: ₹ 84.53 करोड़) को आवंटित 542 कार्यों की स्थिति निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

निर्माण एजेन्सी का नाम	आवंटित कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय	विलम्ब की अवधि महीनों में (31 मार्च 2014 को)
1	2	3	4	5
(अ) **आरएसआरडीसीसी**				
पूर्ण एवं सुपुर्द कार्य	45	10.89	10.08	2 से 12
पूर्ण किन्तु सुपुर्द नहीं किये गए कार्य	19	3.56	3.23	2 से 15
अधूरे रहे कार्य	2	1.10	0.89	8 से 35
प्रारम्भ नहीं किये गये कार्य	38	19.27	0.04	12 से 60
योग	**104**	**34.82**	**14.24**	
(ब) **पीडब्ल्यूडी**				
पूर्ण एवं सुपुर्द कार्य	205	30.55	27.50	2 से 12
पूर्ण किन्तु सुपुर्द नही किये गए कार्य	23	4.54	4.66	36 से 60
अधूरे रहे कार्य	13	2.22	1.43	24 से 60
प्रारम्भ नहीं किये गये कार्य	197	47.22	1.93	12 से 60
योग	**438**	**84.53**	**35.52**	
महायोग	**542**	**119.35**	**49.76**	

स्त्रोत: आरएसआरडीसीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध सूचनायें

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 42 कार्यों (आरएसआरडीसीसी: 19 एवं पीडब्ल्यूडी: 23) के ₹ 7.89 करोड़ की लागत से पूर्ण होने के 2 से 60 माह पश्चात् भी सुपुर्दगी नहीं ली गई (मार्च 2014)। इसके अलावा, 15 कार्यों (आरएसआरडीसीसी: 2 एवं पीडब्ल्यूडी: 13), जिन पर ₹ 2.32 करोड़ का व्यय किया गया, अपूर्ण रहे तथा 235 कार्यों (आरएसआरडीसीसी: 38 एवं पीडब्ल्यूडी:197), जिनकी अनुमानित लागत ₹ 66.49 करोड़ थी, नक्शों को अन्तिम रूप देने, स्थल के चयन में देरी आदि कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये, यद्यपि इन पर ₹ 1.97 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि 19 कार्यों को पूर्ण कर, सुपुर्दगी दे दी गई है तथा 235 कार्यों में से 21 कार्य, अब प्रारम्भ कर दिये गये हैं, हालांकि कार्यवार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्टॉफ क्वार्टर्स की कमी

राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए शत्-प्रतिशत आवासों का प्रावधान करवाने हेतु सिफारिश की गई थी (मार्च 2000)। यह देखा गया कि 31 मार्च 2014 को कार्यरत 81,804 कर्मियों के लिए केवल 25,649 स्टॉफ क्वार्टर (31 प्रतिशत) ही उपलब्ध थे।

नौ पुलिस जिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि 12,096 कार्यरत कर्मियों हेतु केवल 2,707 क्वार्टर्स (22 प्रतिशत) उपलब्ध थे। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 9,389 (78 प्रतिशत) क्वार्टर्स की कमी का विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नाम	कार्यरत कर्मियों की संख्या			उपलब्ध क्वार्टर्स की संख्या			क्वार्टर्स की कमी		
		उ.अ.*	नि.अ.*	योग	उ.अ.*	नि.अ.*	योग	उ.अ.*	नि.अ.*	योग
1	टोंक	121	1,307	1,428	32	421	453	89	886	975
2	करौली	106	1,127	1,233	34	69	103	72	1,058	1,130
3	चूरू	82	1,219	1,301	34	355	389	48	864	912
4	जयपुर (पश्चिम)	134	713	847	27	102	129	107	611	718
5	झुंझुंनू	117	988	1,105	22	357	379	95	631	726
6	जोधपुर (पश्चिम)	223	2,038	2,261	0	0	0	223	2,038	2,261
7	जोधपुर (ग्रामीण)	78	1,009	1,087	49	373	422	29	636	665
8	झालावाड़	96	1,243	1,339	64	389	453	32	854	886
9	चित्तौड़गढ़	143	1,352	1,495	48	331	379	95	1,021	1,116
	योग	**1,100**	**10,996**	**12,096**	**310**	**2,397**	**2,707**	**790**	**8,599**	**9,389**

*उ.अ.: उच्च अधीनस्थ, * नि.अ.: निम्न अधीनस्थ

पैंतीस पुलिस स्टेशनों की नमूना जाँच में कर्मचारियों के आवासों की स्थिति, उनके कर्तव्य स्थल से दूर पायी गयी जिसका विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नाम	चयनित पुलिस स्टेशन	पुलिस स्टेशन से दूर रह रहे पुलिस कर्मियों की संख्या	पुलिस स्टेशन से दूरी			
				0 से 1 कि.मी.	1 से 3 कि. मी.	3 से 5 कि.मी.	5 से 10 कि.मी.
1	टोंक	4	69	44	25	0	0
2	करौली	4	67	55	12	0	0
3	चूरू	4	86	73	13	0	0
4	जयपुर (पश्चिम)	3	134	4	0	38	92
5	झुंझुंनू	4	93	87	6	0	0
6	जोधपुर (पश्चिम)	2	51	16	0	0	35
7	जोधपुर (ग्रामीण)	4	59	34	25	0	0
8	झालावाड़	5	66	48	0	0	18
9	चित्तौड़गढ़	5	103	84	19	0	0
	योग	**35**	**728**	**445**	**100**	**38**	**145**

स्टॉफ क्वार्टर की कमी के कारण पुलिस कर्मियों को उनके कार्य स्थल से दूर रहना पड़ता है, जो आपातकालीन स्थितियों में उनकी परिचालन क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि पुलिस कर्मियों को शत-प्रतिशत आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 'ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट' को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

2.2.11 अनुश्रवण

भारत सरकार के पत्र दिनांक 25 अप्रेल 2001 एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वार्षिक कार्यान्वयन योजना को तैयार करने, उनके क्रियान्वन एवं कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एसएलईसी) द्वारा प्रत्येक महीने में एक बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा मे देखा गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान एसएलईसी द्वारा निर्धारित 60 बैठकों के समक्ष केवल 10 बैठकें ही आयोजित की गई। परिणामस्वरूप वाहनों, शस्त्रों, अपूर्ण भवनों/क्वाटरों के निर्माण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना की प्रगति पर राज्य सरकार और विभाग द्वारा समय-समय पर अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रत्युत्तर सहमति योग्य नहीं है, क्योंकि एसएलईसी की बैठकों के अभाव में अनुश्रवण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.2.12 प्रभाव आंकलन

2.2.12.1 अपराध के मामलों में वृद्धि

राज्य अपराध शाखा को राज्य मे अपराधों का पता लगाने एवं रोकथाम का दायित्व सौंपा गया है। इस दायित्व के कार्यभाग के रूप में अपराध शाखा सभी महत्वपूर्ण जाँच कार्यो पर निगरानी रखता है। लेखा परीक्षा मे अपराध मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई एवं अपराध की बढ़ती प्रवृति एवं जाँच की धीमी गति पाई गई, जिसे निम्न प्रकार दर्शाया गया है।

राज्य में 2009 एवं 2013 की अवधि के दौरान अपराध मामलों में वृद्धि

क्र.सं.	अपराध का प्रकार	वर्ष 2009 के दौरान दर्ज मामलो की संख्या (जनवरी से दिसम्बर)	वर्ष 2013 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या (जनवरी से दिसम्बर)	अपराधों मे वृद्धि का प्रतिशत
1	डकैती	53	59	11
2	लूट	886	1,065	20
3	धोखा	5,294	5,783	9
4	चोरी	22,144	28,928	31
5	अपहरण	2,870	4,986	74
6	दुर्व्यवहार	2,485	4,829	94

स्त्रोत: महानिदेशक पुलिस द्वारा उपलब्ध सूचनाऐं

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2009 एवं 2013 की अवधि के दौरान डकैती, लूट, धोखाधड़ी, चोरी, अपहरण एवं दुर्व्यवहार के मामलों में 9 से 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि 2009-14 की अवधि के दौरान 'पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना कोष' से पुलिस बल का आधुनिकीकरण, आंतरिक सुरक्षा की आकस्मिक चुनौतियों की प्रभावी जाँच एवं उन्हे सुसज्जित करने में, ₹ 165.18 करोड़ का व्यय किया गया, फिर भी अपराध के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि मुख्य वृद्धि दुर्व्यवहार के मामलों में हुई है, यद्यपि झूठे मामलों में भी वृद्धि हुई जिसकी वजह से अन्य मामलों में विलम्ब हुआ।

2.2.12.2 प्रतिक्रिया समय

कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए, पुलिस के अपराध स्थल तक पहुँचने हेतु अधिकतम प्रतिक्रिया समय निर्धारित किया जाना आवश्यक है। महानिदेशक, पुलिस (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर द्वारा ग्रामीण और शहरी पुलिस दलों के लिए अपराध स्थल पर पहुँचने हेतु अलग-अलग प्रतिक्रिया समय तय किया गया। (नवम्बर 2007 एवं जुलाई 2010)। ग्रामीण पुलिस के लिए जांच अधिकारी को तैयारी के लिए

15 मिनट तथा घटना स्थल तक पहुँचने के लिए 5 मिनट प्रति किलोमीटर की अनुमति दी गई। बड़े शहरों (शहरी क्षेत्रों), जहाँ पुलिस मोबाइल वैन पुलिस नियन्त्रण कक्ष से जुड़े होते हैं, जांच अधिकारी को तुरन्त अपराध स्थल तक पहुँचना आवश्यक है। तीन मिनट प्रति किलोमीटर का समय अनुमत किया गया है। तैयारी के लिए समय अुनमत नहीं किया गया है। गम्भीर प्रकृति के अपराधों, यथा डकैती, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, गम्भीर सड़क दुर्घटनाओं आदि के मामलों में पुलिस को तुरन्त अपराध स्थल पर पहुँचना चाहिए। पुलिस स्टेशनों को अपराध पंजिका में प्रतिक्रिया समय दर्ज करना भी आवश्यक है।

चयनित नौ जिलों में पैंतीस पुलिस स्टेशनों के दो महीने (दिसम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2013) की अवधि के अभिलेखों (1,000 मामलों) की नमूना जाँच में निम्नानुसार देखा गया:

क्र. सं.	जिला का नाम	चयनित पुलिस स्टेशनों की संख्या	दिसम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2013 में दर्ज मामलों की कुल संख्या	मामले जहाँ प्रतिक्रिया समय मानदण्डानुसार था	मामले जहाँ प्रतिक्रिया समय मानदण्ड के अनुसार नहीं था।				
					12 घंटे के अन्दर	12 से 48 घंटे	48 से 120 घंटे	120 से 412 घंटे	प्रतिक्रिया समय दर्ज नहीं किया गया
1	टोंक	4	111	11	29	25	3	2	41
2	करौली	4	98	–	10	16	18	6	48
3	चूरू	4	160	–	2	–	–	–	158
4	जयपुर पश्चिम	3	174	26	27	–	–	–	121
5	झुंझुनू	4	142	–	–	–	–	–	142
6	जोधपुर पश्चिम	2	77	–	–	–	–	–	77
7	जोधपुर ग्रामीण	4	61	–	9	3	3	–	46
8	झालावाड़	5	86	5	4	–	–	–	77
9	चितौड़गढ	5	91	2	31	43	4	6	5
	योग	**35**	**1000**	**44**	**112**	**87**	**28**	**14**	**715**

स्त्रोत: पुलिस स्टेशनों द्वारा उपलब्ध सूचनाएं

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि केवल 4 प्रतिशत मामलों में ही पुलिस सही समय पर अपराध स्थल पर पहुँची। यह भी देखा गया कि 715 मामलों (72 प्रतिशत) में थाना प्रभारी (एसएचओ) द्वारा अपराध पंजिका में आवश्यक सूचनायें दर्ज नहीं की जिससे प्रतिक्रिया समय की गणना नहीं की जा सकी। यह अपराध पंजिका के संधारण, पंजीयन एवं प्रतिक्रिया समय के दर्ज करने की कमी को दर्शाता है। यह भी दर्शित होता है कि अधिकांश मामलों में निर्देशों की पालना नहीं किये जाने से जाँच प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि निर्धारित समय में अपराध स्थल पर पहुँचने हेतु जिलों को निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

2.2.12.3 योजना का मूल्यांकन

यद्यपि यह योजना गत 14 वर्षों से संचालन में है, राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर इसका मूल्यांकन नहीं कराया गया। 'ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट' द्वारा 'अर्नेस्ट एण्ड यंग प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव' के माध्यम से 2000-10 की अवधि के लिए 8 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों[22] में प्रभाव आंकलन (जनवरी से मार्च 2010) कराया गया था। इसके निष्कर्षों के अनुसार सीमावर्ती राज्यों, राजस्थान एवं गुजरात, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, में निम्नलिखित कमियों को पूरा किया जाना था।

- भवनों का समय पर पूरा करने एवं उन्नयन/अनुरक्षण की आवश्यकता थी;
- सभी हथियार 'पुलिस बल आधुनिकीकरण' के माध्यम से प्राप्त किया जाना आवश्यक था, हथियारों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी एवं वितरण समय पर नहीं किया गया था;
- कुछ और बसों एवं ट्रकों की आवश्यकता थी;
- उपकरणों की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता थी;
- वायरलेस के अलावा भी अन्य संचार उपकरणों की अधिक सख्या में आवश्यकता थी।

इन निष्कर्षों से मोटे तौर पर, लेखा परीक्षा द्वारा पूर्वगामी अनुच्छेदों में निकाले निष्कर्षों की पुष्टि होती है।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि वस्तुओं का क्रय उपलब्ध बजट के आधार पर किया गया है तथा उपकरणों की गुणवत्ता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित की गई है।

2.2.13 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

पुलिस बल के आधुनिकीकरण की गति धीमी रही। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दीर्घकालिक सामरिक योजना तैयार नहीं की गई।

[22] आन्ध्रप्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, जम्मू एण्ड कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ एवं दमन एण्ड दीव।

दीर्घकालिक सामरिक योजना की तैयारी को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि राजस्थान की एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है तथा इसके लिए पुलिस बल को हर समय तैयार रहना आवश्यक है।

आधुनिक हथियारों की निरन्तर कमी थी। फिर भी बड़ी मात्रा में हथियार केन्द्रीय भण्डार में पड़े हुए थे जिससे क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस बल का कार्य प्रभावित हो रहा था। बुनियादी उपकरण (जैसे हैलमेट, लाठी, शील्ड, बॉडी प्रोटेक्टर) आदि की अधिक कमी थी जो कि पुलिस बल को आन्दोलनों, धरनों, रैलियों आदि में अपने क्षेत्र कर्तव्यों के लिए न्यूनतम बचाव प्रदान करते हैं। वाहनों की कमी पुलिस बल की गतिशीलता बाधित कर रही थी जिससे जाँच प्रक्रिया एवं प्रतिक्रिया समय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वाहनों की कमी का मुख्य कारण, वाहनों का क्रय नकारा वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु करना था।

राज्य सरकार द्वारा योजना की आवश्यकतानुसार आधुनिक हथियारों की खरीद एवं क्षेत्रीय इकाइयों के लिए उनका उचित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को क्षेत्र कर्तव्यों हेतु पर्याप्त बुनियादी उपकरण प्रदान किये जाने की सुनिश्चितता भी की जानी चाहिए।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा, पर्याप्त मानव शक्ति की योजना बनाये बिना, मँहगे उपकरण क्रय किये गये जिससे नमूनों के विश्लेषण एवं जाँच प्रक्रिया के परिणामों में देरी हुई।

राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशालाओं की दक्षता में सुधार हेतु समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।

विभाग में स्टॉफ क्वाटर्स की कमी थी जिसके कारण पुलिस कर्मियों को उनके कार्य स्थल से दूर निवास करना पड़ा और इसलिए आपातकालीन स्थितियों के लिये वे आसानी से उपलब्ध नहीं थे जो कि उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए अनुकूल नहीं था। आवासीय भवनों से सम्बन्धित कार्य या तो अधूरे पड़े थे या प्रारम्भ ही नहीं किये गये थे।

राज्य सरकार को, समयबद्ध तरीके से स्टाफ क्वार्टर्स का पर्याप्त संख्या में निर्माण करने के लिए, अतिरिक्त आवासीय सुविधाओं की स्वीकृति हेतु, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ वार्ता कर, इस कमी को दूर करने के प्रयास करने चाहिये।

राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति की बैठकों की कम संख्या के कारण वाहनों, हथियारों, भवनों/क्वाटर्स का निर्माण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

योजना के क्रियान्वयन एवं उचित अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति की अध्यक्षता कार्यकारी प्रधान, जो योजना के क्रियान्वन हेतु सीधे तौर पर उत्तरदायी हो, को करनी चाहिए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.3 पेयजल की गुणवत्ता

कार्यकारी सारांश

पेयजल के लिए राजस्थान, मूल रूप से भूजल पर निर्भर है। राज्य के बड़े भू-भाग में, जल में रासायनिक संदूषक, जैसे फ्लोराइड, नाईट्रेट एवं लवण इत्यादि हैं, जो इसे पीने के लिये असुरक्षित बना देते है। भू-जल जलाशयों के तेजी से क्षीण होने से रासायनिक मापदण्डों पर जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। राजस्थान की अधिकांश बस्तियाँ पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त है। पेयजल की निरंतर मांग और आपूर्ति में संतुलन व गुणवत्ता उन्नयन हेतु, राजस्थान सरकार ने जल संसाधन आयोजना के लिये, 'राज्य जल नीति (एसडब्ल्यूपी) 2010' अपनायी है। यद्यपि 2003 में भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण' नाम से एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण करवाया था किंतु राज्य सरकार ने निवासियों हेतु जल गुणवत्ता उन्नयन संबंधी कोई राज्य विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं करवाया।

फ्लोराइड, राजस्थान के सभी जिलों में व्याप्त है तथा 21 जिलों में यह स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा बन गया है। जल को फ्लोराइडमुक्त करने हेतु, राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में, तीन चरणों में पूर्ण होने वाला 'राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस शमन कार्यक्रम' (आरआईएफएमपी), प्रारम्भ किया। यद्यपि, आरआईएफएमपी के चरण-I के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये, जबकि सरकार द्वारा चरण -II के परिणामों को भी संकलित नहीं किया गया। चरण II/III के अधीन फ्लोराइड निवारण इकाइयों के परिचालन/संधारण एवं अनुश्रवण नहीं करने के प्रकरण लेखा परीक्षा के ध्यान में आये। परीक्षण परिणामों से प्रकट हुआ कि कार्यक्रम के चरण- I और II पूर्ण होने के पश्चात् भी फ्लोराइड की समस्या यथावत थी।

अन्य संदूषकों की समस्या के समाधान हेतु विभाग द्वारा, रिवर्स आस्मोसिस (आरओ) की एक परियोजना देरी से वर्ष 2012-13 में शुरू की गयी। आरओ संयत्रों की स्थापना हेतु चार जिलों में एक पायलट परियोजना, प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात्, 1,000 आरओ संयत्रों की स्थापना का कार्यक्रम 12 जिलों में शुरू किया गया। इन आरओ संयत्रों के उपयुक्त क्रियान्वयन एवं उनके निष्पादन का अनुश्रवण न करने के मामले ज्ञात हुये।

पेयजल जलाशयों की समुचित सफाई नहीं कराई गयी। ब्लीचिंग पाउडर क्रय करने हेतु आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व, क्लोरीन की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया

गया। अपेक्षित मानक परीक्षण, उपयुक्त सेम्पलिंग तथा भण्डार में उपलब्ध ब्लीचिंग पाउडर के आवधिक परीक्षण नहीं किये गये थे।

पेयजल के नमूनों की जांच हेतु स्थापित प्रयोगशालाओं में पर्याप्त अवसंरचना/परीक्षण सुविधाऐं और योग्य कर्मचारी नहीं थे। 237 ब्लाकों में से मात्र 69 ब्लाकों में ही ब्लाक स्तर पर प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई थी। फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) के साथ जल नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। चल प्रयोगशाला का प्रदर्शन भी उपयुक्त नहीं था।

प्रस्तावना

पेयजल या पीने योग्य जल, वह जल है जो मानव द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित हो। पेयजल, रोगजनक तथा रासायनिक संघटनों से मुक्त, स्वाद में रुचिकर और घरेलू प्रयोजनों में उपयोगी होना चाहिए। जल की गुणवत्ता इसके रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों पर निर्भर करती है तथा यह पेयजल की गुणवत्ता मापने के लिये बनाये मानकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। अत्यधिक रासायनिक संदूषक, भारी धातुओं के जमाव के माध्यम से, चिरकालिक स्वास्थ्य जोखिमों का कारण होते हैं, जबकि भौतिक संदूषक पेयजल के स्वरूप और स्वाद को प्रभावित करते हैं। पेयजल में जीवाणु संदूषक, जठरान्त्र रोगों के मुख्य कारण होते हैं जो कि शिशु मृत्युदर व अतिसार जन्य मृत्यु का प्रमुख कारण होते हैं। आम तौर पर किसी भी स्त्रोत से लिये गये जल (सतही या भूजल) को उपभोग के लिए वितरित करने से पूर्व शुद्ध किया जाना चाहिए।

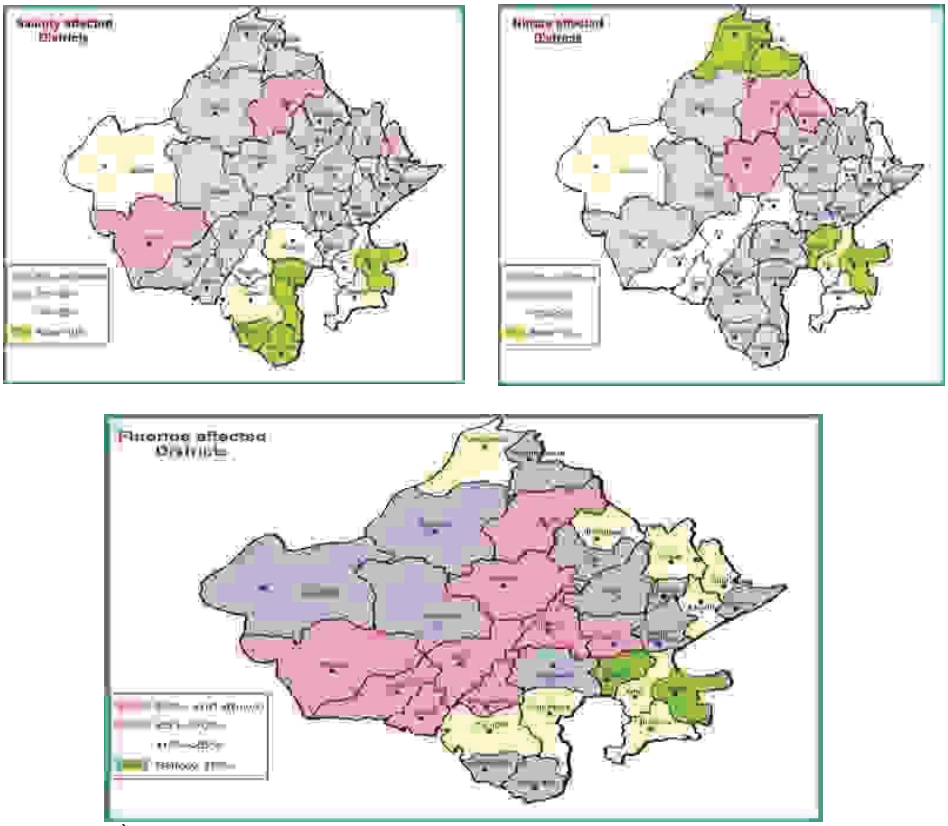
राजस्थान, पेयजल के लिए मूल रूप से भूजल पर निर्भर है। राज्य के बड़े भू-भाग में, जल में रासायनिक संदूषक जैसे फ्लोराइड, नाईट्रेट एवं लवण इत्यादि विद्यमान हैं, जिसके कारण यह पीने के लिये असुरक्षित है। कृषि, उद्योग तथा घरेलू इस्तेमाल की वजह से भूजल जलाशयों के तेजी से रिक्त होने से, रासायनिक मापदण्डों पर जल की गुणवत्ता में कमी हो रही है। राजस्थान की अधिकांश बस्तियाँ पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त है और इसलिए, जल प्रदाय योजनाओं में पेयजल को रासायनिक व जैविक संदूषकों से सुरक्षित करने के लिए जल की गुणवत्ता का सतत् अनुश्रवण आवश्यक है।

राजस्थान में जल गुणवत्ता की स्थिति

भूजल व सतही जल की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान, जल की कमी वाला राज्य है। यह अधिकतर भूजल पर निर्भर है जिसकी गुणवत्ता सामान्यतः पेयजल के निर्धारित मानकों से पुष्ट नहीं होती है। मांग व आपूर्ति के बढ़ते असंतुलन, भूजल जलाशयों में जल स्तर की गिरावट, गुणवत्ता ह्रास आदि जैसे समीचीन प्रकरणों का समाधान करने हेतु, सतत् रूप से जल संसाधनों के नियोजन, विकास व प्रबन्धन हेतु बहु

आयामी दृष्टिकोण के संयोजन के उद्देश्य के साथ, राज्य सरकार ने दिनांक 17 फरवरी 2010 को 'राज्य जल नीति' अपनाई। जल की न्यूनता और भू-जल स्तर में गिरावट के कारण, भू-जल की गुणवत्ता सामान्यत: खराब है। राज्य सरकार ने लवणीयता, नाईट्रेट व फ्लोराइड मानकों के आधार पर विभिन्न जिलों में उपलब्ध भूजल की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया (2000-2002)।

विभिन्न जिलों की बस्तियों में संदूषकों की स्थिति निम्न मानचित्रों में प्रदर्शित की गयी है:



स्त्रोंत: https://communities.acs.org/docs/DOC-4537

ऊपर प्रदर्शित मानचित्रों में यह देखा जा सकता है कि अधिकांश बस्तियों में बड़ी मात्रा में लवणीयता, नाईट्रेट व फ्लोराईड सान्द्रता है। जल की गुणवत्ता की जांच हेतु, राज्य सरकार ने प्रयोगशालाओं का जाल स्थापित किया है। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही, राज्य में जल गुणवत्ता उन्नयन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं।

2.3.1 संगठनात्मक स्वरूप

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) राज्य में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु उत्तरदायी है। प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी, विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं जिनको

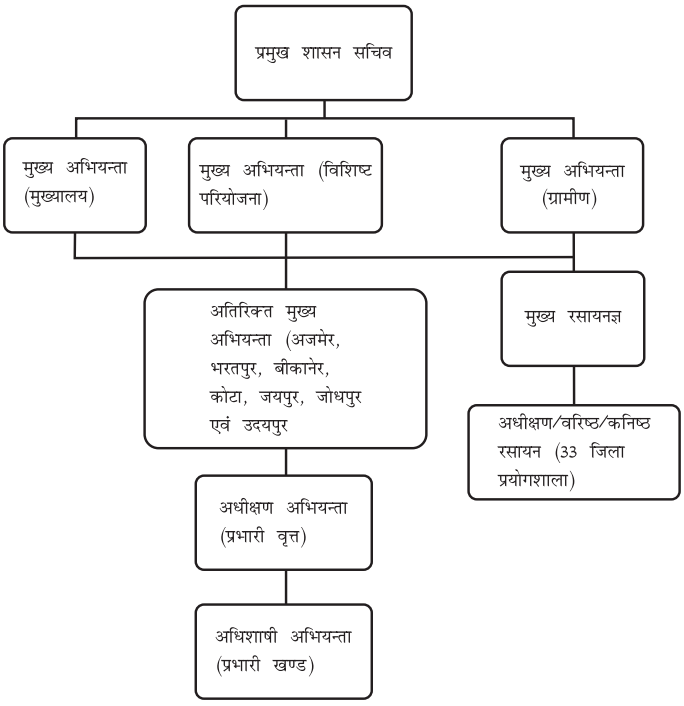
मुख्य अभियंता (मुख्यालय), मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) तथा मुख्य अभियन्ता (विशिष्ट परियोजना) सहायता करते हैं।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय) मुख्य रूप से 'नगरीय जल प्रदाय व मल प्रवाह योजनाओं' के लिए तथा केन्द्रीयकृत प्राप्ति तथा अन्य प्रकरणों के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्य अभियंता (ग्रामीण) 'ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं' और कुओं की खुदाई के लिए उत्तरदायी है। मुख्य अभियंता (विशिष्ट परियोजना), उन सभी मुख्य शहरी व ग्रामीण परियोजनाओं के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं जो ₹ 25 करोड़ से अधिक की हों।

राजस्थान को सात क्षेत्रों[23] में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के अधीन है। क्षेत्रों को आगे वृत्तों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख, अधीक्षण अभियन्ता (एसई) होते है एवं खण्ड स्तर पर अभिशाषी अभियन्ता (ईई) उनके अधीन हैं।

राज्य स्तर पर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रयोगशाला का मुखिया, मुख्य रसायनज्ञ है जो कि आम जनता को आपूर्तित जल की रासायनिक व जीवाणुविक जांच तथा इसके गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु जिम्मेदार है। सभी 33 जिलों की जिला प्रयोगशालायें हैं जिनके प्रमुख, अधीक्षण रसायनज्ञ/वरिष्ठ रसायनज्ञ/कनिष्ठ रसायनज्ञ हैं।

विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था निम्न रेखाचित्र में प्रदर्शित है:



[23] अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

राजस्थान सरकार ने जनसंख्या वृद्धि के साथ मांग व आपूर्ति के मध्य बढते असंतुलन, भूजल संसाधनों की क्षीणता, जल गुणवत्ता में गिरावट तथा जल उपलब्धता की अनिश्चितता के महत्वपूर्ण प्रकरणों के समाधान हेतु राज्य जल नीति को अपनाया। राज्य जल नीति की पृष्ठभूमि में, पेयजल की गुणवत्ता पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, यह सुनिश्चित करने हेतु की गई कि:

- गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई आयोजना उपयुक्त थी;
- पेयजल, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा जारी 'पेयजल की मानक विनिर्दिष्टाऐं' और केन्द्रीय जन स्वास्थ्य व पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन द्वारा जारी 'जल प्रदाय व उपचार नियमावली' में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रदान किया जा रहा था;
- पेयजल की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराई गई थीं और
- उपभोक्ता शिकायत/परिवेदना निवारण तंत्र प्रभावी था।

2.3.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्डों के स्त्रोत निम्न में से व्युत्पन्न किये गये थे:-

- राज्य जल नीति 2010;
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी पेयजल की भारतीय मानक विनिर्दिष्टताएं, जल के सूक्ष्म जीवाणुविक परीक्षण एवं उसके नमूने लेने तथा जल के (भौतिक व रासायनिक) परीक्षण एवं नमूने लेने की विधियाँ;
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण तथा निगरानी कार्यक्रम की क्रियान्वयन नियमावली;
- केन्द्रीय जन स्वास्थ्य व पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन द्वारा जारी 'जल आपूर्ति व उपचार' नियमावली और
- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश, परिपत्र व अधिसूचनाएं।

2.3.4 लेखापरीक्षा व्याप्ति, नमूना चयन और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में पीएचईडी द्वारा 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान पेयजल गुणवत्ता में सुधार हेतु संचालित किये गये कार्यक्रमों और गतिविधियों को शामिल किया गया। सभी 33 जिलों में अधिकतम संदूषित बस्तियों (फ्लोराइड, लवणीयता, नाइट्रेट, लौह, आर्सेनिक आदि के अनुसार) को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर यादृच्छिक रूप से 10 जिले चयनित किये गये। आगे, 23 ब्लाकों[24] (चयनित जिलों के सभी ब्लॉकों का 25 प्रतिशत) में अधिकतम संदूषित बस्तियों को, संदूषण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य रसायनज्ञ और मुख्य अभियन्ता कार्यालयों के सूचना संग्रहण व अभिलेखों की संवीक्षा के साथ, चयनित जिलों के सभी अधीक्षण रसायनज्ञों/वरिष्ठ रसायनज्ञों/कनिष्ठ रसायनज्ञों और खण्डों/उपखण्डों के कार्यालयों को, निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु शामिल किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली पर दिनांक 6 जून 2014 को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अधिकारियों समेत प्रमुख शासन सचिव से प्रविष्टि बैठक कर विचार-विमर्श किया गया। दिनांक 20 नवम्बर 2014 को सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ निर्गम वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया गया।

2.3.5 अभिस्वीकृति

निष्पादन लेखापरीक्षा क्रियान्वयन के दौरान, राजस्थान सरकार, मुख्य अभियन्ताओं, मुख्य रसायनज्ञ तथा पीएचईडी के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए, लेखापरीक्षा अभिस्वीकृति करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा में पीएचईडी द्वारा पेयजल गुणवत्ता उन्नयन हेतु की गई गतिविधियों और कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित अनुभागों में व्यवस्थित किया गया है:

- गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आयोजना की पर्याप्तता;
- पेयजल गुणवत्ता उन्नयन हेतु उठाये गये कदम;

[24] बाड़मेर (बाड़मेर और सिणधरी); भरतपुर (सेवर और नगर); भीलवाड़ा (आसीन्द, भीलवाड़ा और शाहपुरा); डूंगरपुर (आसपुर और सागवाड़ा); जयपुर (आमेर, बस्सी, चाकसू और सांगानेर); जालौर (भीनमाल और रानीवाड़ा); जोधपुर (बालेसर और ओसियां; नागौर (नागौर और रियां); श्रीगंगानगर (अनूपगढ़ और सूरतगढ़) और टोंक (निवाई और उनियारा)।

- पेयजल गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला सुविधाऐं और
- उपभोक्ताओं की परिवेदना निवारण और सूचना, शिक्षा और संचार अभियान।

2.3.6 गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आयोजना की पर्याप्तता

राज्य जल नीति, में परिकल्पित किया गया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र, दोनों में, सभी नागरिकों को पर्याप्त पीने योग्य जल के प्रावधान की सुनिश्चिता के साथ, लवणीय जल के अलवणीकरण हेतु लागत प्रभावी तकनीकों के अन्वेषण, विशोधन, क्लोरिनीकरण और फ्लोराइड निवारण द्वारा घरेलू जल की गुणवत्ता में उन्नयन किया जावे। यह जल गुणवत्ता उन्नयन की आयोजना हेतु बस्तीवार आंकड़ों की समीक्षा को भी परिकल्पित करती है।

पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के आधार को सुविधाजनक बनाने हेतु, भविष्य की रणनीति विकसित करने के लिए, देशव्यापी 'राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण 2003 (एनएचएस 2003)' संचालित किया। तत्पश्चात्, प्रत्येक पांच वर्षो के अन्तराल पर सर्वेक्षण आयोजन व बस्तियों के क्षेत्रवार आंकड़ों को ऑनलाईन अपलोड करना राज्यों के लिए अनिवार्य किया गया। फरवरी 2012 में इस के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किये गये।

पीएचईडी के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जल गुणवत्ता उन्नयन हेतु आयोजना के लिए बस्तीवार आंकड़ों की समीक्षा नहीं की गई थी। एनएचएस 2003 के पश्चात बस्तियों का राज्य विशिष्ट सर्वेक्षण भी नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि भारत सरकार के चाहे अनुसार, जल की गुणवत्ता सहित आंकड़ों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वार्षिक अद्यतन किया जाकर, भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया था। तथापि, प्रत्युत्तर में प्रत्येक पांच वर्षो के अन्तराल पर सर्वेक्षण आयोजित करने के भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व फरवरी 2012 में जारी अनुदेशों की अनुवर्तन कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया।

राज्य जल नीति ने विभिन्न जल मानकों के विश्लेषण, अनुश्रवण व मिलान हेतु विभागीय क्षमता के निर्धारण को भी परिकल्पित किया। जिला स्तर पर जल विश्लेषण क्षमता में सुधार के लिए एक सतत् कार्यक्रम भी प्रारम्भ करना था। पीएचईडी के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ना तो विभिन्न जल मानकों के विश्लेषण, अनुश्रवण और मिलान के लिए विभागीय क्षमता के निर्धारण की समीक्षा की गई थी और ना ही जिला स्तर पर जल विश्लेषण क्षमता सुधार हेतु रोलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया।

विभाग द्वारा सिवाय राज्य जल नीति को पारित करने के, गतिविधियों, समय सीमा तथा जल गुणवत्ता उन्नयन हेतु संसाधनों के साथ रणनीति नहीं बनाई गई। विभाग द्वारा पेयजल के नवीन अनवरत जल स्त्रोतों को चिन्हित करने हेतु उठाये गये किसी ठोस कदम से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। जल गुणवत्ता उन्नयन के लिए राज्य स्तर पर पहले से ही विद्यमान योजनायें जारी रखी गई।

2.3.7 भू-जल के फ्लोराइड निवारण के लिए किये गये उपाय

जल में उच्च फ्लोराइड सान्द्रता, स्वास्थ्य के विभिन्न खतरों जैसे दन्त एवं अस्थि फ्लोरोसिस के रूप में परिणित होती है। फ्लोराइड राजस्थान के सभी 33 जिलों में व्याप्त है और 21 जिलों में यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बन गया है। राज्य सरकार ने जल के फ्लोराइड निवारण[25] के लिए वर्ष 2005 में 'राजस्थान एकीकृत फ्लोरासिस लघुकरण कार्यक्रम (आरआईएफएमपी)' की पहल की। आरआईएफएमपी, प्रभावित बस्तियों को, जहां विश्वसनीय स्त्रोतों से जलापूर्ति उपलब्ध नहीं है, तत्काल एवं अल्पकालीन मध्यम अवधि की राहत प्रदान करने के लिए हैण्डपम्प और नलकूपों पर फ्लोराइड निवारण इकाइयों को स्थापित कर करता है। आरआईएफएमपी तीन चरणों में प्रारम्भ की गई। यह चरणबद्धता, जल स्त्रोतों में फ्लोराइड सान्द्रता के स्तर के आधार पर की गयी थी। बस्तियों/गांवों को 1.5 मिग्रा/ली. और 5 मिग्रा/ली.के मध्य एवं अधिक फ्लोराइड सान्द्रता वाले पेयजल स्त्रोतों के आधार पर तीन चरणों में लक्ष्यित किया गया जिसका विवरण नीचे है:

चरण (प्रस्तावित अवधि)	फ्लोराइड वर्ग	2005 के दौरान बस्तियों की कुल संख्या (गांव एवं अन्य)
प्रथम (2004-2005)	5.0 मिग्रा/ली. से अधिक	2,643
द्वितीय (2005-2007)	3.0 से 5.0 मिग्रा/ली.	7,699
तृतीय (2007-2010)	1.5 से 3.0 मिग्रा/ली.	12,955
	कुल	**23,297**

स्त्रोत: पीएचईडी के अभिलेख

आरआईएफएमपी का चरण-I फरवरी 2008 में पूर्ण हो गया था। चरण-II के अन्तर्गत किये क्रियाकलापों के परिणामों के विवरण सरकार द्वारा संकलित नहीं किये

[25] डी फ्लोराइडेशन के लिए, क्रियात्मक एलुमीना(माध्यम) पेयजल को फ्लोराइड से हटाने हेतु व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है जो कि एक दानेदार और एल्युमीनम ट्रीहाइड्रेट को आवश्यक रूप से शामिल करते हुए अत्यन्त झरझरी सामग्री है। क्रियात्मक एलुमीना को इसके पुन: उपयोग के लिए सज्जीदार पानी(सोडियम हाइड्रोक्साइड सलफरिक एसिड और फिटकरी) के घोल द्वारा संर्जीवित किया जा सकता है। पानी से निक्षालित फ्लोराइड की मात्रा एलुमिना फिल्टर मिडिया के साथ सम्पक्र अवधि पर छानने पर निर्भर करती है।

गये। परियोजना का चरण-III वर्ष 2011-12 में आरम्भ हुआ। आरआईएफएमपी के तीनों चरणों के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा नीचे की गई है।

2.3.7.1 चरण-I के अन्तर्गत उपलब्धि

चरण-I के अधीन 5 मिग्रा/ली. से अधिक फ्लोराईड सान्द्रता वाली कुल 2,643 बस्तियों को आवरित किया जाना लक्ष्यित था। राज्य सरकार ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि 331 हैण्डपम्प संलग्न फ्लोराइड निवारण इकाईयाँ (एचपीएडीएफयू) स्थापित की गई तथा घरेलू स्तर पर ग्रामीणों को 1,403 घरेलू फ्लोराइड निवारण इकाईयां (डीडीएफयू) वितरित की गई। यह देखा गया कि 2,643 बस्तियों को आवरित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था यद्यपि, फरवरी 2008 में यह चरण पूर्ण हो गया था।

2.3.7.2 चरण-II के अधीन स्थापित हैण्डपम्प संलग्न फ्लोराइड निवारण इकाईयों (एचपीएडीएफयू) का परिचालन/संधारण

चरण- II की गतिविधियों के विवरणों का संकलन विभाग द्वारा दिसम्बर 2014 तक नहीं किया गया था। तथापि, अधिशाषी अभियन्ता, डूँगरपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पीएचईडी, उदयपुर ने 300 हैण्डपम्पों पर एचपीएडीएफयू की स्थापना का कार्य आवंटित किया, (नवम्बर 2007) जिसमें डूँगरपुर जिले के 3 मिग्रा/ली. से अधिक फ्लोराईड सान्द्रता वाले 226 हैण्डपम्प सम्मिलित थे। संवेदक को एचपीएडीएफयू का परिचालन एवं संधारण, उनकी स्थापना पश्चात दो वर्षो तक करना था। संवेदक ने सभी एचपीएडीएफयू की स्थापना की और 19 दिसम्बर 2011 तक इन्हें संधारित किया। तत्पश्चात, इनके परिचालन एवं संधारण का कार्य, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अभाव में उपेक्षित रहा। इस प्रकार, बस्तियों को फ्लोराईड मुक्त जल प्रदान कराने का उद्देश्य विफल हो गया।

राज्य सरकार ने बताया(दिसम्बर 2014) कि पूर्व में स्थापित संयत्रों के परिचालन और संधारण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

2.3.7.3 चरण-III का कार्यान्वयन

(i) चरण-III के अधीन, कुल 12,955 बस्तियों को आवरित किया जाना था। वर्ष 2010-11 के दौरान बस्तियों के पूर्व चिन्हीकरण के बिना, जहां उन्हे स्थापित किया

जाना था, छः क्षेत्रों[26] में 5,300 एचपीएडीएफयू की आपूर्ति एवं स्थापना, उनके पांच वर्षों तक दोष दायित्व अवधि सहित, व्यापक संचालन एवं संधारण प्रस्तावित की गयी थी। सभी छः संभागों के लिए न्यूनतम बोलियाँ मैसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (पीएलएल) की अनुमोदित की गई (जनवरी एवं फरवरी 2011)। पीएलएल ने 2,687[27] एचपीएडीएफयूएस स्थापित किये तथा शेष कार्य छोड़ (2011-12) दिया। विभाग ने न तो कार्य के अभित्याजन के लिए पीएलएल के विरूद्ध कार्यवाही की और न ही शेष कार्य पीएलएल की जोखिम एवं लागत पर अन्य किसी संवेदक को आवंटित किया। इसके परिणामस्वरूप इन बस्तियों को फलोराईड मुक्त जल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। स्थापित 2,687 एचपीएडीएफयूएस को बिना संचालन/संधारण ने अकार्यशील बना दिया।

(ii) नलकूप संलग्न फ्लोराइड निवारण संयंत्रों की निगरानी

- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, भरतपुर ने छः[28] 'नलकूप संलग्न फ्लोराइड निवारण संयंत्रो (टीडब्ल्यूएडीएफपी)' की आपूर्ति तथा स्थापना और उनके पांच वर्ष रख-रखाव के लिए कार्य आदेश जारी (मार्च 2011) किया। ठेकेदार ने मार्च 2014 तक तीन[29] टीडब्ल्यूएडीएफपी स्थापित किये और शेष तीन, स्थापित नहीं किये क्योंकि स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल नहीं पाये गये थे।

- ठेकेदार को टीडब्ल्यूएडीएफपी की स्थापना से पहले और बाद में पानी का अपेक्षित परीक्षण, प्रयोगशाला से करवाना था तथा उनके निष्पादन, सम्पोषण एवं माध्यमों के प्रतिस्थापना से संबंधित मासिक प्रतिवेदन संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को प्रस्तुत करना था। टीडब्ल्यूएडीएफपी के निष्पादन के अनुश्रवण के लिए नियमित रूप से परीक्षण का आयोजन करना विभाग के लिए भी अपेक्षित था। जांच से प्रकट हुआ कि ठेकेदार ने ई-कोलाई के लिए जीवाणु परीक्षण नहीं करवाया तथा कोई मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। विभाग ने भी टीडब्ल्यूएडीएफपी के निष्पादन के अनुश्रवण के लिए नियमित रूप से कोई भी परीक्षण आयोजित नहीं किये।

- वरिष्ठ रसायनज्ञ, भरतपुर ने 28 अक्टूबर 2013 को टीडब्ल्यूएडीएफपी का संयुक्त निरीक्षण किया तथा अधिशाषी अभियन्ता, भरतपुर को प्रतिवेदित किया कि

[26] अजमेरः 1200, भरतपुरः 300, जयपुरः 1500, जोधपुरः 500, कोटा:300 और उदयपुरः 1500

[27] अजमेर क्षेत्रः 888, भरतपुर क्षेत्रः 113, जपपुर क्षेत्र:586, जोधपुर क्षेत्र 255, कोटा क्षेत्र 269 और उदयपुर क्षेत्र 576

[28] बहज, बरोली चौथ(2 संख्या), जनूथर, शोरावाली(डीग ब्लाक) और कामां(कामां ब्लॉक)।

[29] बरोली चौथ, पूंछड़ी का लोठा और श्याम ढाख।

ठेकेदार कच्चे और उपचारित जल का नियमित रूप से परीक्षण, शिकायत पंजिका का संधारण तथा मासिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण नहीं कर रहा था। ठेकेदार के पास रासायनिक और जीवाणु परीक्षण के लिए परीक्षण उपकरण उपलब्ध नहीं थे और किसी भी टीडब्ल्यूएडीएफपी पर क्लोरिनीकरण भी नहीं किया जा रहा था। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा संविदात्मक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी थी।

(iii) अन्य मानकों की अनुमत्य सीमा से ऊपर विद्यमानता

नागौर जिले में, 771 टीडब्ल्यूएडीएफपी की स्थापना का काम, पांच वर्ष के लिए संचालन और रखरखाव सहित, तीन ठेकेदारों को आवंटित (मार्च 2011) किया गया था, जहां पानी के अन्य मानक अनुमत्य सीमा, जैसे कि कुल घुलित ठोस (टीडीएस): 2000मिग्रा/ली, नाईट्रेट: 100 मिग्रा/ली तथा क्लोराइड: 1500 मिग्रा/ली, के भीतर थे ।

लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये 126 परीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 21 नलकूपों में निर्गम जल के परीक्षण परिणामों में टीडीएस, नाइट्रेट और क्लोराइड की मात्रा अनुमत्य सीमा से ऊपर थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, अधिशाषी अभियन्ता, मेड़ता सिटी (नागौर), ने सूचित (जुलाई 2014) किया कि फ्लोराइड की गंभीर समस्या के कारण टीडब्ल्यूएडीएफपी स्थापित किए गए थे हालांकि अन्य मानक इन बस्तियों में अनुमत्य सीमा से ऊपर थे। इस प्रकार ये 21 बस्तियां, टीडब्ल्यूएडीएफपी की स्थापना के बाद भी असुरक्षित पानी प्राप्त कर रही थी। अन्य मानकों को, जोकि अनुमत्य सीमा से ऊपर थे, को भी संभालने की आवश्यकता थी।

2.3.7.4 राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस शमन कार्यक्रम का प्रभाव

राज्य सरकार ने फ्लोराइड शमन के लिए आरआईएफएमपी 2005 में प्रारम्भ की थी। चरण-I फरवरी 2008 में पूर्ण हो गया था। चरण- II के अन्तर्गत गतिविधियों के विस्तृत विवरण विभाग द्वारा संकलित नहीं किये गये थे। कार्यक्रम का चरण-III वर्ष 2011-12 में प्रारम्भ किया गया था, जो बस्तियों के फ्लोराइड को कम कर 1.5 से 3 मिग्रा/ली की सीमा के अन्दर लाने पर केन्द्रित था।

नमूना जांच किये गये 23 ब्लाकों के जल नमूनों के परीक्षण परिणामों के ऑकड़ों की जांच में प्रकट हुआ कि फ्लोराईड की समस्या यथावत थी। 2013-14 के दौरान 3 मिग्रा/ली. से अधिक स्तरों की फ्लोराईड सांद्रता वाली बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में विवरणित है:

जिला	ब्लॉक का नाम	बस्तियों की संख्या (2013-14)		
		बस्तियों की संख्या जहां के नमूने जाँचे गये थे	फ्लोराइड सांद्रता स्तर 3 मिग्रा/ली. से अधिक बस्तियों की संख्या	प्रतिशत (फ्लोराइड सांद्रता 3 मिग्रा/ली. से अधिक बस्तियां)
बाडमेर	बाडमेर	841	74	8.80
	सिणधरी	301	17	5.65
भरतपुर	सेवर	562	17	3.02
	नगर	108	20	18.52
भीलवाडा	आसीन्द	810	102	12.59
	भीलवाडा	624	87	13.94
	शाहपुरा	437	318	72.77
डूँगरपुर	आसपुर	499	122	24.45
	सागवाडा	639	27	4.23
जयपुर	चाकसू	1,436	381	26.53
	सांगानेर	260	31	11.92
	बस्सी	1806	48	2.66
	आमेर	1,139	4	0.35
जालौर	भीनमाल	499	66	13.23
	रानीवाड़ा	118	58	49.15
जोधपुर	बालेसर	365	35	9.59
	ओसियां	1,119	82	7.33
नागौर	नागौर	267	110	41.20
	रियां	265	111	41.89
श्रीगंगानगर	अनूपगढ	254	2	0.79
	सूरतगढ	442	6	1.36
टोंक	निवाई	789	235	29.78
	उनियारा	344	48	13.95
	कुल	**13,924**	**2001**	**14.37**

स्त्रोत: पेयजल विभाग की वेबसाईट (http://indiawater.nic.in)

इस प्रकार जांच किये गये ब्लॉकों में बस्तियों के लगभग 15 प्रतिशत में चरण-I और चरण-II के पूर्ण होने के बावजूद भी जल स्त्रोतों में फ्लोराइड की सांद्रता 3 मिग्रा/ली. से अधिक थी। क्योंकि चरण- II के विवरण विभाग द्वारा संकलित नहीं किये गये थे और चरण- III में संस्थापित बहुत से एचपीएडीएफयूएस अपरिचालित थे, अत: लेखा परीक्षा में कार्यक्रम की सफलता सत्यापित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि फ्लोराइड की समस्या के शमन के लिए दीर्घकालिक निदान, उपलब्ध बांधों से सतही जल को लाने में ही निहित है।

2.3.8 नाइट्रेट हटाने तथा अलवणीकरण के लिए किए गए उपाय

राज्य जल नीति के अन्तर्गत, पायलेट परियोजनाओं को प्रारम्भ करते हुए, क्षेत्र की स्थिति के तहत खारे भूजल के अलवणीकरण के लिए विभिन्न तकनीकों की खोज तथा इन प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन की परिकल्पना की गई थी। इस संदूषकों के समाधान हेतु, पीएचईडी ने 2012-13 में विभिन्न जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ)[30] संयंत्र की स्थापना के लिये, विलम्बित रूप से परियोजनाएं लागू की।

एक पायलट परियोजना, 35 आरओ संयंत्रों की स्थापना के लिए, चार जिलों[31] में शुरू की गयी थी। चार माह की अवधि के भीतर स्थापना कार्य को पूरा करने के लिए तीन ठेकेदारों[32] को कार्य आदेश (अप्रैल-मई 2013) जारी किये गये। अप्रैल 2014 तक, 32 आरओ संयंत्र स्थापित किये गये जबकि जोधपुर जिले में 3 संयंत्रों को संस्थापित किया जाना शेष था। इस दौरान (अप्रैल 2013) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) ने 12 जिलों[33] में विभिन्न जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में 1,000[34] आरओ संयंत्रों की स्थापना के लिए 'राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति' को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राजस्थान में बाईस जिले लवणीयता से गम्भीर रूप से प्रभावित (लवणीयता से प्रभावित 25 प्रतिशत एवं अधिक आबादी) हैं, जबकि 12 जिलों में केवल 1,035 आबादियों को ही लिया गया। इस प्रकार सभी प्रभावित बस्तियों के लिए आरओ संयंत्रों की स्थापना परियोजना को अभी लागू किया जाना है।

30 रिवर्स आस्मोसिस कम शुद्ध विलयन से अपेक्षाकृत शुद्ध पानी को पृथक करते हुए एक झिल्ली पारगमन प्रक्रिया है।विलयन एक समुचित अर्द्ध पारगमन झिल्ली की सतह से पोषित विलयन के प्रभावी ओस्मोटिक दबाव से अधिक दबाव पर गुजरता है। पारगमित तरल उत्पादन के रूप में संग्रहित किया जाता है और सान्द्रित पोषित विलयन सामान्यत: अलग कर दिया जाता है।

31 भरतपुर: 6; झुंझुनू:10; जोधपुर: 15 और करौली: 4

32 मै. वाटर मेट टेक्नोलोजिस प्रा. लि.: झुंझुनू जिले में 10 संयत्र ; मै. दोशियान वीडब्ल्यूएस प्रा. लि.: जोधपुर जिले में 15 संयत्र और मै. वाटर लाइफ इण्डिया प्रा. लि.: भरतपुर जिले में 6 संयत्र तथा करौली जिले में 4 संयत्र।

33 बाड़मेर: 160; भरतपुर: 300; चित्तौड़गढ़: 40; चुरू: 25; जयपुर: 15; जैसलमेर: 40; जालौर: 40; झुंझुनू: 60; जोधपुर: 130; करौली: 30; नागौर: 140 और सीकर: 20

34 उनमें से 516(बाड़मेर: 36; भरतपुर: 130; चित्तौड़गढ़: 7; चुरू: 4; जैसलमेर: 4; जालौर: 27; झुंझुनू: 12; जोधपुर: 62; नागौर: 139; पाली: 50 और सीकर: 45) अप्रैल 2014 तक स्थापित किये गये थे।

2.3.8.1 रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्रों का क्रियान्वयन

(i) अति. मुख्य अभियन्ता, भरतपुर ने 133 आरओ संयंत्रों के प्रदाय, स्थापित और प्रारम्भ करने के लिए तीन कार्य आदेश जारी (अप्रैल और अगस्त 2013) किए, जिनमें से 59[35] (पायलट परियोजना के तहत छः और 1,000 संयत्रों में से 53) मार्च 2014 तक स्थापित किये गये। लेखापरीक्षा जांच में निम्न तथ्य उजागर हुये।

- अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार, आरओ संयंत्रों के लगातार निष्पादन और 'कुल घुलित ठोस (टीडीएस)' की मात्रा 100 और 250 मिग्रा/ली के बीच बनाए रखा जाना आवश्यक था। उत्पादित जल भी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के आईएसः 10500[36] की विशिष्टताओं के सदृश होना आवश्यक था। जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन तीन महीने की अवधि में किया जाना था। यह देखा गया कि आईएसः 10500 में विनिर्दिष्ट सभी निर्धारित परीक्षण आयोजित नहीं किये गये। आगे, पीएचई प्रयोगशाला, भरतपुर के प्रतिवेदनों में परिलक्षित हुआ कि आठ[37] आरओ संयंत्रों के उत्पादित जल की रासायनिक विशिष्टताएं बीआईएस मानकों की पूर्ति नहीं करती थी और आरओ संयंत्रों से उत्पादित जल में टीडीएस 250 मिग्रा/ली से अधिक था।

- अनुबंध की विशेष शर्तो के पैरा 4.1 में परिकल्पित किया गया था कि ठेकेदार आरओ संयंत्रों के निष्पादन पर अधिशाषी अभियन्ता को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि, यह देखा गया कि ठेकेदार अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी खण्ड भरतपुर को मासिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। संविदात्मक शर्त को लागू कराने के लिए अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

- वरिष्ठ रसायनज्ञ, भरतपुर द्वारा आयोजित (जनवरी-जून 2014) नमूनों के विश्लेषण के दौरान 16[38] आरओ संयंत्र से उत्पादित जल जीवाणु संदूषित दर्शाया गया। तथापि विभाग द्वारा, इस मामले में की गई कार्यवाही अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

(ii) बाड़मेर जिले में, जिला प्रयोगशाला द्वारा आयोजित(अप्रैल-जून 2014) 25[39] आरओ संयंत्र से उत्पादित जल की जांच में टीडीएस 250 मिग्रा/ली से अधिक दर्शित था।

35 मै. वाटर लाइफ इन्डिया प्रा.लिः 6, मै. एलवीजे प्रोजेक्ट प्रा.लि.: 9 और मै. हाई-टेक वाटर सोल्यूसन प्रा. लि.: 44

36 आईएस 10500: 1991के भारतीय मानक पेयजल विनिर्देशन(प्रथम संशोधित)

37 अकाता, बंशीखुर्द, भोसिंगा, वोराय, गगवाना, हसनपुर, लुल्हारा और नगला बखता।

38 अजान, अकता, अरोदा,अवार, वडेसरा, बंशीखुर्द, बोराय, दान्दू, गगवाना, झरकाय, करीली, कुछावटी, लुल्हारा, रासिया, टमरेर और उड़का

39 आलमसर, अरनियाली, बहालीसर, भंवार, भावगिरीका मेठा, बीसासर, वोरान का तला, धनाऊ, दूधू, गालानडी, गोहार का तला I, खट्टू, खूमे की बेरी, लीलसर, लोहारवा, मिठराऊ, मीठे का तला II, राणासर का तला, साजीमाली पदमसिंह, सारला, सवा, सैयद अली सोज का तला, शोभाला जेतमालान, तालसर और उदासर।

इससे इंगित होता है कि स्थापित आरओ संयंत्र (उक्त (i) और (ii) पर संदर्भित) सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे।

2.3.9 जीवाणु जनित संक्रमण को हटाने के लिये किये गये उपाय

आपूर्तित पेयजल के विसंक्रमण के लिए इसका क्लोरिनीकरण, पीएचईडी की एक नियमित गतिविधि है। यह पानी में जल जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अमीबा) को नष्ट या निष्क्रिय करती है। क्लोरिनेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है जो पानी के साथ मिश्रित होने पर विघटित होता है और क्लोरीन देता है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर द्वारा हुई क्रिया, पानी में गैसीय क्लोरीन द्वारा होने वाली क्रिया के समान होती है।

2.3.9.1 ऐसी योजनाओं में पेयजल का क्लोरिनीकरण जिनमें सीधे पाइप लाइनों में पानी प्रवाहित किया जाता है

जल आपूर्ति और उपचार पर सीपीएचईईओ मैनुअल में उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने से पहले भूजल का क्लोरिनीकरण प्राविधित है। इस क्रम में मुख्य अभियंता (मु.) ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया (अक्टूबर 2011) कि जहां नलकूपों (टीडब्ल्यूस) से सीधे वितरण प्रणाली में जल प्रवाहित किया[40] जाता है, पानी का क्लोरिनीकरण, हाइपोक्लाराइट सोल्यूशन इंजेक्टिंग द्वारा किया जाना चाहिए।

23 नमूना जांच किये गये ब्लॉकों में से 11 में, यह देखा गया कि 365[41] टीडब्ल्यूस के माध्यम से की गई जल आपूर्ति में पानी सीधे वितरण प्रणाली में प्रवाहित किया गया लेकिन क्लोरिनीकरण नहीं किया गया।

[40] वितरण प्रणाली का प्रयोजन उपभोक्ता को समुचित अवशिष्ट दबाव पर पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक बिन्दु पर पूरी तरह पानी पहुँचाना है। वितरण की सामान्य प्रक्रिया, पाइप लाइन के नेटवक्र माध्यम से उपभोक्ता को आपूर्ति के पूर्व उच्च जलाशय में पानी का भण्डारण करना है। कभी-कभी कुछ कारणों से, नलकूपों से पाइप लाइन नेटर्वक में पानी सीधे प्रवाहित किया जाता है।

[41] भरतपुर जिला: नगर(3), सेवर(42), डूंगरपुर जिला: आसपुर(6), सागवाड़ा(1), जयपुर जिला: आमेर(61), चाकसू(1), सांगानेर(82), बस्सी(9), श्रीगंगानगर जिला: अनूपगढ़(1), भीलवाड़ा जिला: भीलवाड़ा (155) और टोंक जिला: निवाई(4)

2.3.9.2 ब्लीचिंग पाउडर का रख रखाव

ब्लीचिंग पाउडर के **रख रखाव** की प्रक्रिया में निम्नलिखित विसंगतियां दृष्टिगत हुई:

- क्लोरिनीकरण के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए तथा किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, यह आवश्यक है कि क्लोरीन की आवश्यकता निर्धारण करने के लिए क्लोरीन की मात्रा, जो अन्तिम उपभोक्ता के छोर पर 0.2 एमजी/ली की अवशिष्ट क्लोरीन उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित हो, को मापा जाता है। मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) ने निर्देशित किया (जून 2011) कि आपूर्ति आदेश जारी करने से पहले वांछित ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आंकलन किया जाये।

तथापि, देखा गया कि नमूना जॉच किये जिलों में किसी भी खण्ड द्वारा ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति के आदेश जारी करने से पहले क्लोरीन मांग का निर्धारण नहीं किया गया। इसी क्रम में मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा निर्देश (जुलाई 2010) जारी किये गये कि सभी जलापूर्ति योजनाओं के लिये अवशिष्ट क्लोरीन की जॉच के लिये परीक्षण किट संधारित किये जाने चाहिए लेकिन नमूना जॉच जिलों के किसी भी उपखण्ड में, आवश्यक परीक्षण किट उपलब्ध नहीं थे।

- आईएस 1065:1989[42] आपूर्ति के समय ब्लीचिंग पाउडर में आवश्यक[43] विशिष्टताओं के परीक्षण किये जाने को निर्दिष्ट करता है। तथापि, यह देखा गया कि नमूना जॉच खण्डों में ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति के लिये, इसमें से केवल उपलब्ध क्लोरीन के लिए ही परीक्षण आयोजित किये गये एवं खण्डीय भंडारों में आपूर्ति लेने से पहले अन्य विशिष्टताओं (स्थिरता, नमी की मात्रा तथा कण आकार) के लिये परीक्षण आयोजित नहीं किये गये।

42 आई एस 1065-1989 ब्लिचिंग पाउडर के लिए भारतीय मानक, स्थिरता-विनिर्देशन द्वितीय संस्करण 1990, पुनः पुष्टि 2003

43

क्र.स.	विशिष्टताएं	आवश्यकता
1.	उपलब्ध क्लोरीन (प्रतिशतता द्रव्यमान द्वारा) न्यूनतम	32
2.	स्थिरता, प्रारम्भ में उपलब्ध क्लोरीन के आधार पर क्लोरीन की छीजत, अधिकतम	1/11
3.	नमी (प्रतिशतता द्रव्यमान द्वारा), अधिकतम	0.5
4.	कण आकार, प्रतिशतता द्रव्यमान द्वारा, न्यूनतम	99.0

स्त्रोत: ब्लीचिंग पाउडर के लिए भारतीय मानक, स्थिरता विनिर्देशन द्वितीय संशोधन 1990, पुनः पुष्टि 2003; आईएस 1065-1989

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि स्थिरता, नमी मात्रा तथा कण आकार के परीक्षण आयोजित करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

यह देखा गया कि वर्ष 2011-14 के दौरान संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा, पांच[44] जिलों में 25 प्रकरणों में, 279 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति, इसमें क्लोरीन निर्दिष्ट मात्रा से कम होने पर भी, स्वीकार की गयी।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि कम क्लोरीन युक्त ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं के बीजक से आनुपातिक राशि की कटौती कर, आंशिक भुगतान किया गया। उत्तर पुष्टि करता है कि संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से कम क्लोरीन युक्त ब्लीचिंग पाउडर स्वीकार कर लिया गया था।

- आईएस 1065:1989 में प्रावधित है कि ब्लीचिंग पाउडर की गुणवत्ता विश्लेषण के लिये, नमूनों की यादृच्छिकता सुनिश्चित करते हुए, प्रत्येक लोट[45] से पर्याप्त[46] प्रतिनिधि नमूने, लिये जाने चाहिए।

यद्यपि आपूर्ति विभिन्न बैचों में प्राप्त हुई थी, प्रत्येक आपूर्ति के लिये पर्याप्त प्रतिनिधि नमूने लेने के बजाय केवल एक नमूना लिया गया और इसलिए अधीक्षण/वरिष्ठ/कनिष्ठ रसायनज्ञ द्वारा ब्लीचिंग पाउडर की गुणवत्ता आंकलन के परीक्षण हेतु, प्रत्येक लोट के पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व वाले नमूनें किसी भी नमूना जाँच जिले में नहीं लिये गये थे।

राज्य सरकार ने बताया(दिसम्बर 2014) कि आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा आईएस 1065:1989 की आवश्यकताओं की पालना की जा रही है। विभागीय परीक्षण करना एक अतिरिक्त जांच है। उत्तर से परिलक्षित हुआ कि विभाग, आईएस 1065:1989 के प्रावधानों की पालना की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है।

- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को, खण्डीय भंडार में उपलब्ध ब्लीचिंग पाउडर के नमूनों का, समय के साथ क्लोरीन में कमी का आंकलन

44 बाड़मेर: 1 आपूर्ति 5 एमटी; भरतपुर: 12 आपूर्ति 142 एमटी; जालौर: 1 आपूर्ति 12 एमटी; जोधपुर: 5 आपूर्ति 70 एमटी; तथा टोंक: 6 आपूर्ति 50 एमटी की।

45 ब्लीचिंग पाउडर की समान श्रेणी के एक अकेले संप्रेषण में सभी पात्रों से विनिर्माण के एक अकेला बैच लोट गठित करेगा। यदि एक संप्रेषण विनिर्माण के विभिन्न बैचों से मिलाकर घोषित होता है, तो बैचों को पृथक से अंकित किया जावेगा और पात्रों का समूह प्रत्येक बैच में पृथक लोट गठित करेगा।

46 लोट से कंटेनर की संख्या का चयन किया जाना लोट के आकार पर निर्भर करेगा और आईएस 1065:1989 के अनुलग्नक बी की तालिका 2, पैरा बी.2.2, के अनुसार रहेगा।

करने के लिए, प्रत्येक 15वें दिन में परीक्षणों का आयोजन करने के लिए निर्देश जारी (जुलाई 2010) किए।

सभी नमूना जांच किये जिलों में यह देखा गया कि मुख्य अभियन्ता (मु.) के निर्देशों की पालना नहीं की गई थी और खण्डीय भंडार में उपलब्ध ब्लीचिंग पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन के लिए परीक्षण आयोजित नहीं किये गये थे।

2.3.9.3 रिसाव की मरम्मत के बाद पाइपलाइनों का क्लोरिनीकरण

सीपीएचईईओ मैनुअल में यह उल्लेख है कि जब मुख्य पाइपलाइन के किसी भाग की मरम्मत की जाती है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि बाहरी पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिये उठायी गयी सभी सावधानियों के बावजूद, पाइप संदूषित होता है। इस प्रकार मुख्य पाइपलाइन को पुनः कार्य में प्रयुक्त करने से पहले कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।

नमूना जांच किये 21[47] ब्लॉकों की जांच में यह देखा गया कि पाइपलाइनों में रिसाव की मरम्मत या तो विभागीय मजदूरों द्वारा या ठेकेदारों के माध्यम से की गई थी। संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने सूचित किया कि, मरम्मत के बाद और आपूर्ति की बहाली से पहले, आवश्यक कीटाणुशोधन किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में प्रकट हुआ कि पाइप लाइन के कीटाणुशोधन के लिये आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर विभागीय तथा संविदा मजदूरों, दोनों को ही जारी नहीं किया गया था। आगे, पांच खण्डीय कार्यालयों[48] में, ठेकेदारों को आवश्यक कीटाणुशोधन करने हेतु बाध्यकारी बनाने के लिये, रिसाव की मरम्मत के बाद पाइपलाइन के कीटाणुशोधन के प्रावधान को करारों में शामिल नहीं किया गया। इससे इंगित हुआ कि आवश्यक निर्देशों की ठीक तरह से पालना नहीं की जा रही थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया(दिसम्बर 2014) कि रिसाव की मरम्मत के बाद पाइप लाइनों के कीटाणुशोधन के प्रावधानों को करारों में शामिल करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

47 बाड़मेर, सिणधरी (बाड़मेर जिला); नगर, सेवर (भरतपुर जिला); आसीन्द, भीलवाड़ा, शाहपुरा (भीलवाड़ा जिला); आसपुर, सागवाड़ा (डूंगरपुर); आमेर, बस्सी (जयपुर जिला); भीनमाल, रानीवाड़ा (जालौर जिला); बालेसर, औसियाँ (जोधपुर जिला); नागौर, रियां (नागौर जिला); अनूपगढ़, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) और निवाई, उनियारा (टोंक जिला)।

48 अनूपगढ़ खण्ड; डूंगरपुर खण्ड; जिला ग्रामीण खण्ड-II, जयपुर; सूरतगढ़ खण्ड तथा टोंक खण्ड।

2.3.9.4 पेयजल जलाशयों की सफाई

पेयजल जलाशयों का मुख्य कार्य, पानी की दैनिक मांगों और विशेष रूप से पराकाष्ठा मांगों को पूरा करना है। भूतल जलाशय आमतौर पर एक भंडारण जलाशय होता है जबकि, उच्च जलाशय मुख्यत: वितरण जलाशयों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो आमतौर पर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट (आरसीसी) से निर्मित किये जाते हैं। आरसीसी जलाशयों की छत की पट्टियों में क्लोरीन के प्रभाव के कारण जंग लगना एक आम प्रक्रिया है। भूतल जलाशयों के तलछट में संग्रह, जंग तथा रासायनिक तलछट से जलाशयों के पानी की रासायनिक गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। अत्यन्त लंबी अवधि तक स्थिरता की वजह से उच्च जलाशय (ओएचसएआर) में भी पानी की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। अत: यह जलाशयों की नियमित सफाई, आंतरिक जंगक्षरण की रोकथाम और पेयजल की गुणवत्ता में सुधार के लिये आवश्यक है।

मुख्य अभियन्ता (मु.) ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक जलाशय (स्वच्छ जल जलाशय (सीडब्ल्यूआर), उच्च सेवा जलाशय (ओएचएसआर) तथा भूतल जल जलाशय (जीएलआर)) की वर्ष मे दो बार नियमित रूप से सफाई और कीटाणुशोधन के लिये तथा इसे क्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित करवाने के निर्देश जारी (अगस्त 1997) किये।यह भी निर्देशित किया कि उचित अभिलेख संधारित किये जाने चाहिए। नमूना जांच किये जिलों में, जलाशयों की सफाई या तो ठेकेदारों या विभागीय मजदूरों के माध्यम से की गयी थी।

तथापि, यह दृष्टिगत हुआ था कि 23 नमूना जांच ब्लाकों में से 21[49] में जलाशयों की आवधिक सफाई की पंजिकाएं संधारित नहीं की गई थी। यद्यपि संबंधित अभियन्ताओं ने सूचित किया कि जलाशयों की नियमित सफाई की गयी थी, लेकिन उचित अभिलेखों के अभाव में जलाशयों[50] की सफाई *के लिये, संचालन और रखरखाव पर सीपीएचईईओ मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन* किया गया या नहीं, सत्यापित नहीं किया जा सका।

[49] आमेर, बस्सी, सांगानेर (जयपुर जिला); रानीवाड़ा, भीनमाल (जालौर जिला); सूरतगढ़, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर जिला); आसीन्द, शाहपुरा, भीलवाड़ा (भीलवाड़ा जिला); नगर, सेवर (भरतपुर जिला); बाड़मेर, सिणधरी (बाड़मेर जिला); नागौर, रियां (नागौर जिला); सगवाड़ा (डूंगरपुर); बालेसर ओसियां (जोधपुर); उनियारा, निवाई (टोंक)।

[50] जल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, पानी का नमूना संग्रहण, और जीव विज्ञान विश्लेषण हेतु गाद/कीचड़ का संचय और धोंधा और कृमि की उपस्थिति हेतु, आन्तरिक दीवारों और पानी के होज सहित छत और बुश की घुलाई और रोगाणुनाशी (ब्लीचिंग पाउडर का अधिपृष्ठ) का दीवार और छतों पर जलाशयों को पुन भरे जाने से पूर्व उपयोग करना।

ब्लीचिंग पाउडर की भण्डार पंजिका की जांच के दौरान लेखा परीक्षा ने आगे देखा कि 23 नमूना जांच ब्लाकों में से किसी में भी मजदूरों और ठेकेदारों को ब्लीचिंग पाउडर जारी नहीं किया गया था (2011-14), जो जलाशयों के समुचित कीटाणुशोधन के लिये आवश्यक था। इसने इंगित किया कि जलाशयों की समुचित सफाई नहीं की जा रही थी।

2.3.10 जलमणी कार्यक्रम

अतिरिक्त लौह, गंदगी और जीवाणु संदूषकों से निपटने तथा ग्रामीण विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये, पेय जल आपूर्ति विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने एक केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम 'जलमणी', शुरू (सितम्बर 2008) किया, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में उपभोग बिन्दु पर पानी के उपचार के लिये सरल एकल जल शोधन प्रणाली[51] की स्थापना की परिकल्पना की गई।

राजस्थान के लिये, ग्रामीण आबादी के सघनता महत्व के आधार पर 3,443 विद्यालयों का चयन (जनवरी 2009) किया गया। एसएलएसएससी ने, इस तरह के ग्रामीण स्कूलों, जो सतही जल या वर्षा जल स्रोतों से आवरित तथा रासायनिक संदूषकों से मुक्त एवं जहां केवल जीवाणु प्रदूषण और गंदगी के उपचार की आवश्यकता है, में अल्ट्रा- फिल्टरेशन पॉट संयत्र[52] स्थापित करना सुनिश्चित किया (अक्टूबर 2011)। तत्पश्चात, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) ने छः महीने के भीतर 13 जिलों[53] में, 3,000 अल्ट्रा फिल्टरेशन पॉट संयत्र की स्थापना और चालू करने तथा पांच वर्ष के लिए उनके रखरखाव करने हेतु एक ठेकेदार को आपूर्ति हेतु कार्य आदेश जारी (अप्रैल 2012) किये।

अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि जलमणी का क्रियान्वयन बहुत धीमा था क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी किये ₹ 6.85 करोड़ के विरूद्ध ₹ 0.95 करोड़ के खर्च के साथ, आदेशित 3,000 के समक्ष दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी केवल 2,367[54] अल्ट्रा फिल्टरेशन पॉट संयत्र स्थापित (मार्च 2014) किये गये थे।

51 प्रति 1000 लीटर (प्रति दिन प्रति व्यक्ति तीन लीटर की दर से) के लिये स्टैंड अलोन पेय जल शोधन प्रणाली की पूंजी लागत ₹ 40,000 से अधिक नहीं का अनुमान लगाया गया था।

52 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉट प्रौद्योगिकी स्कूलों को कवर करने के लिए थी जहां उपलब्ध जल की गुणवत्ता रासायनिक रूप में स्वीकार्य है तथा अल्ट्रा फिल्टर जल के भौतिक निस्पंदन (जीवाणु संदूषण और मैलापन) की पूर्ति करेगा।

53 भरतपुर: 153; बीकानेर: 106; चुरू 70; डूंगरपुर: 483; हनुमानगढ़: 146; जयपुर: 50; जोधपुर: 115; कोटा: 134; नागौर: 335; सीकर: 24; श्रीगंगानगर: 365; टोंक: 40; तथा उदयपुर: 979

54 बीकानेर: 390; डूंगरपुर: 483; तथा उदयपुर: 1494

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि जलमणी के कार्यान्वयन में देरी जलमणी के लिये अपनाई जाने वाली फिल्टरेशन तकनीकी को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण से थी।

सतह/वर्षा जल स्रोतों पर संयंत्रों की स्थापना करने के लिये मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) के निर्देश के बावजूद, डूंगरपुर जिले में सभी 483 संयत्र हैंडपंप पर स्थापित किये गये थे।

इसके अतिरिक्त, जलमणी के परिणाम डेटा को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक था। डीडीडब्ल्यूएस वेब पेज[55] से प्राप्त डेटा (10 मई 2014) 523 संयत्रों की स्थापना दर्शाता था, जबकि विभाग ने लेखा परीक्षा को 2,367 संयत्र स्थापित करना सूचित (मई 2014) किया। इस प्रकार वेबसाइट पर उपलब्ध आंकडें तथा विभाग द्वारा प्रदान किये गये आंकडों में विसंगति थी।

2.3.11 अपर्याप्त स्वच्छता सर्वेक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और सतक्रता कार्यक्रम पर क्रियान्वयन मैन्युअल, (एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी) (पैराग्राफ 6.3) बस्तियों के आधार पर, अवसंरचना स्थापनाओं के मुख्य बिन्दुओं (अन्तर्ग्रहण, उपचार, रोगाणुनाशन, भण्डारण और वितरण बिन्दुओं) पर वर्ष की कालावधि में में कम से कम एक बार सफाई सर्वेक्षण किये जाने का प्रावधान करता है।

यह पाया गया था कि 2011-14 के दौरान 7,26,507 योजनाओं/निर्गमन बिन्दुओं/अन्य स्त्रोतों में से, 18,558 (वार्षिक औसत 6,186 अर्थात 0.85 प्रतिशत) बिन्दुओं का सफाई सर्वेक्षण किया गया था। इस प्रकार, वांछनीय संख्या की तुलना में बहुत कम सर्वेक्षण कमजोर अनुश्रवण, इंगित करता है। आगे, एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी के मैन्युअल में विनिर्दिष्ट डाटा पृथक्करण के अभाव में, सफाई सर्वेक्षण किये जाने की नियमितता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

2.3.12 पेयजल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये प्रयोगशाला सुविधायें

पीएचईडी ने, जल नमूनों के परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय प्रयोगशाला (डीएलएल), एक चल प्रयोगशाला तथा एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला (एसएलएल) के नेटवक्र की स्थापना की है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा जल नमूनों के

[55] http://indiawater.gov.in/imisreports/nrdwpmain.aspx

परीक्षण के लिए वार्षिक लक्ष्य भी मुख्य रसायनज्ञ (सीसी) द्वारा राज्य योजना में आवंटित किये जाते हैं।

प्रयोगशालाएँ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और सतर्कता कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी) के तहत भारत सरकार से प्राप्त निधियों से भी, परीक्षण कर रही हैं। एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी का ध्यान जिला प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण करने, ब्लाक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) से ग्राम पंचायत के स्तर पर जल का परीक्षण करके तथा संबद्ध गतिविधियों[56] के संस्थागत तंत्र पर केंद्रित है। डीडीडब्ल्यूएस द्वारा व्यापक वेब आधारित एकीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)[57] शुरू की गई है। जल नमूनों के परीक्षण से उत्पन्न आँकड़े डीडीडब्ल्यूएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.3.12.1 राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा/परीक्षण सुविधाएँ

एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी में प्रावधित है कि अधिक सटीक और विशिष्ट परीक्षणों के लिए जो कि जिला स्तरीय प्रयोशालाओं में संभव नहीं हो, के लिये राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध होना चाहिये।

जांच से प्रकट हुआ कि एसएलएल, जयपुर में स्वयं की सुविधा/बुनियादी ढांचा जैसे स्थान, उपकरण अभिकर्मक और मानवशक्ति नहीं थी और यह डीएलएल जयपुर की सुविधाओं का प्रयोग कर रही थी। एसएलएल में रासायनिक मापदण्डों[58], भारी धातु[59], सूक्ष्मजीवी मानकों[60] और विशिष्ट मापदण्डों[61] की जांच के लिए विशेष रूप से आवश्यक उपकरण[62] उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, एसएलएल एक विशिष्ट संस्थान के

56 जलापूर्ति योजनाओ के मुख्य बिन्दुओ का आवधिक सेनेटरी सर्वेक्षण, आईईसी गतिविधियाँ, एचआरडी गतिविधियाँ, डाटा रिर्पोटिंग, जल परीक्षण प्रलेखन एवं एफटीके का ओ एण्ड एम सहित पुनर्भरण आदि।

57 राज्य सरकारें मासिक आधार पर ऑनलाइन भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रविष्टि करती है तथा वार्षिक आधार पर आबादीवार आँकड़ों को अद्यतन करती है।

58 नाइट्रेट, सिलिका, सोडियम, पोटेशियम, बोरोन, कैल्सियम, मैगनिशियम।

59 कॉपर, क्रोमियम, केडमियम, लीड, निकल, आर्सेनिक, मक्करी, बैरियम, जिंक, एन्टीमोनी, सेलेनियम, सिल्वर और मोलीबेडेनम

60 ई-कोलाई, एमएस2फेज और वी. कोलेरा

61 पेस्टिसाइड रेसीड्यूस, रेडियोएक्टिव एलीमेंटस, सायनाइड, पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनस, पोलीक्लोरीनेटेड बाइफिनायल, क्लोरामाइन, फेनोलिक कम्पाउण्डस, एनीओनिक सरफेक्टेन्ट/डिटरजेन्ट/एमबीएएस, ट्राईहालोमिथेन्स और एन-नाइट्रोसोडिइथल एमीन

62 एटोमिक एब्जारपशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इनडक्टिवली कपलड प्लाज़मा आप्टीकल इमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री, मिलीपोर फ्लिटरेशन असेम्बली विथ ए वेक्यूम पम्प, डीओ मीटर, जीसी-एमएस/एचपीएलसी, यूरेनियम एनालायजर, पीसीआर मशीन, डीप फ्रीजर(-20°सी), आर्सेनिक टेस्टिंग इन्स्ट्रूमेंटेशन।

रूप में और अधिक सटीक और विशिष्ट परीक्षणों के लिए, डीएलएल की किसी सहायता का कार्य नहीं कर रही थी।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि मय भारी धातुओं की जांच के इसे अन्य आवश्यक जांच उपकरणों से सुसज्जित कर, एसएलएल का सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

2.3.12.2 जिला प्रयोगशालाओं में अर्याप्त बुनियादी ढांचा/जांच सुविधा

नमूना जांच किये गये जिलों मे डीएलएल, सभी आवश्यक उपकरणों से पूर्णतया सज्जित नहीं थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है। भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवी मापदण्ड की जांच के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी ***(परिशिष्ट-2.4)***। यद्यपि, बायोलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी), केमिकल ऑक्सिजन डिमांड (सीओडी), सोडियम, पोटेशियम आदि की जांच हेतु फ्लैम फोटोमीटर जांच हेतु उपकरण डीएलएल, टोंक और भरतपुर में उपलब्ध थे, किन्तु कोई जांच नहीं की गई क्योंकि इन उपकरणों के संचालन के लिये आवश्यक प्रशिक्षण कर्मचारी प्रदान नहीं किये गये थे।

आगे, नमूना जांच जिलों में किसी भी डीएलएल में नमूनों के 24 घन्टों से अधिक अवधि तक संरक्षण हेतु, उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

2.3.12.3 ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना

एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका अधिकृत जलगुणवत्ता आंकड़ों के लिए, ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रावधान करती है, क्योंकि गांवों के सभी पेयजल स्त्रोतों का परीक्षण जिला प्रयोगशाला में करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। यह दृष्टिगत हुआ, कि वर्ष 2011-14 के दौरान 237 ब्लॉकों (33 जिले) में केवल 69 ब्लॉकों[63] (14 जिलों) में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। ये प्रयोगशालाएं भी वर्ष 2012-13 तक संचालित नहीं थी और वर्ष 2013-14 के दौरान 45 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं (नौ जिलों) में केवल 27,937 परीक्षण किये गये थे।

2.3.12.4 प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी

मुख्य रसायनज्ञ ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि प्रयोगशालाओं में कार्यभार की अधिकता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में अतिरिक्त पदों की आवश्यकता थी। 33

[63] अजमेर:8, अलवर: 7, बाड़मेर:2, बीकानेर:2, दौसा: 4, हनुमानगढ़: 1, जयपुर: 13, जालौर: 2, झुंझुनू: 8, जोधपुर: 5, पाली: 2, सीकर: 7, श्रीगंगानगर: 4 और उदयपुर: 4

जिला प्रयोगशाला में आवश्यक कर्मचारियों की स्थिति, स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति, ***परिशिष्ट 2.5*** में दी गयी है जो दर्शाती है कि:

- तकनीकी पदों की संख्या को स्वीकृत नहीं किया गया अथवा कम संख्या में स्वीकृत किया गया था। किसी भी प्रयोगशाला में सूक्ष्मजीव विज्ञानी का पद स्वीकृत नहीं किया गया था। नमूना संग्रहणकर्ता और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के सीमित पद स्वीकृत किये गये थे।

- आवश्यक प्रशासनिक पद जैसे डाटा एन्ट्री आपरेटर भी स्वीकृत नहीं किये गये थे।

- वर्ष 2011-14 के दौरान किसी भी नमूना जांच किये गये जिले में कोई पुनश्चर्या/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रयोगशाला कर्मचारियों के लिए आयोजित नहीं किये गये थे।

इस प्रकार, प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त स्टाफ ने उनके सामान्य निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

2.3.12.5 चल प्रयोगशालाएं

एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका के अन्तर्गत प्रभावी जलगुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए, विशेष रूप से पहाड़ी/दूर दराज के क्षेत्रों एवं क्षेत्र जहां से पानी के नमूने स्थिर प्रयोगशाला में निर्धारित समय के भीतर नहीं लाये जा सकते, चल प्रयोगशाला की स्थापना किया जाना आवश्यक था।

चल प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा किये गये परीक्षणों की जांच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2011-14 के दौरान किये गये कुल 24,625 परीक्षणों में से केवल 2,623 (11 प्रतिशत), परीक्षण ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित किये गये थे। आगे, 16,118 (65 प्रतिशत) परीक्षण, अवशिष्ट क्लोरीन के निर्धारण के लिए आयोजित किये गये थे। इस प्रकार, चल प्रयोगशाला एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका में परिकल्पित प्रभावी जल गुणवत्ता की निगरानी गतिविधियों का निष्पादन नहीं कर रही थी।

वरिष्ठ रसायनज्ञ ने सूचित किया (मई 2014) कि चल प्रयोगशाला का कार्य डीएलएल द्वारा जांचे गये नमूनों की प्रतिजांच और सार्वजनिक मेलों में जलगुणवत्ता और तत्संबंधी शिकायत प्रकरणों का अन्वेषण करना भी था। उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि चल प्रयोगशाला, नियम पुस्तिका में सुनिश्चित किये गये कार्य नहीं कर रही थी। वर्ष

2011-14 के दौरान चल प्रयोगशाला द्वारा किये परीक्षणों को आईएमआईएस पर भी अपलोड नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि चल प्रयोगशाला आपात परिस्थितियों जैसे सार्वजनिक मेले और डीएलएल को मदद के लिए उपयोग में ली जा रही है। उत्तर इंगित करता है कि चल प्रयोगशाला का एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका में परिकल्पित प्रभावी जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए कार्यों का निष्पादन करने के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

2.3.12.6 विश्लेषण के लिए जल के प्रतिदर्श लेना

एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका के अनुसार, पूर्ण और सही डाटा उल्लेखित करते हुए उनके परीक्षण का विस्तृत ब्यौरा आईएमआईएस पर प्रदर्शित करने हेतु सभी नमूनों को उचित तरीके से लेबल किया जाना था। तथापि, नमूना जांच किये गये जिलों में स्त्रोतों के पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं थे। नमूना जांच जिलों में डीएलएल अथवा खण्ड कार्यालय में जल स्त्रोतों/योजनाओं के लिए वर्षवार डेटाबेस उनके संग्रहण की तारीख के सन्दर्भ में संधारित नहीं किये गये थे।

- पॉलीथीन कन्टेनर पानी के नमूने एकत्र करने हेतु उपयोग करने से पूर्व नाईट्रिक एसिड/हाईड्रोक्लोरिक एसिड से साफ किये जाने थे। सभी नमूना जांच जिलों में यह देखा गया कि कन्टेनरों की समुचित सफाई के लिए सफाई अभिकर्मक (हाईड्रोक्लोरिक एसिड/नाईट्रिक एसिड) उपलब्ध नहीं थे। डीएलएल और उप-खण्डों के भण्डार लेजर की जांच में भी प्रकट हुआ कि उचित कन्टेनर उपलब्ध नहीं थे और नमूने लेने के लिए डिब्बा बन्द पीने के पानी की बेकार बोतलों का इस्तेमाल किया जा रहा था।



जिला प्रयोगशाला, टोंक पर डिब्बाबन्द पीने के पानी की बेकार बोतलों में प्राप्त नमूने

- वर्ष 2011-14 के दौरान, जोधपुर जिले के बालेसर ब्लाक के अलावा किसी भी नमूना जांच किये ब्लाकों में नियुक्त कर्मचारियों को नमूने संग्रहण करने का कोई

प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इस प्रकार, प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा उचित नमूने लेना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- सात जिलों में पानी के 42 प्रतिशत नमूनों में स्वीकार्य सीमा से अधिक यूरेनियम की उपस्थिति के बारे में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय निदेशक, परमाणु उर्जा विभाग, जयपुर ने मुख्य रसायनज्ञ से परीक्षण हेतु पानी के नमूने उपलब्ध कराने के लिए (जनवरी 2013) अनुरोध किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जांचे गये दो जिलों (नागौर और जोधपुर) में जांच हेतु कोई नमूने संग्रहित नहीं किये गये क्योंकि सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता और वरिष्ठ रसायनज्ञों के बीच प्रकरण का समाधान नहीं हो सका था।

2.3.12.7 फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से पानी के नमूनों का विश्लेषण

फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) मूल रूप से पानी के गुणात्मक मूल्यांकन के लिए होती है, जो उपयोग में लिए जा रहे असुरिक्षत जल आपूर्ति प्रणाली की तुरन्त पहचान करते हुए पानी के बारे में एक सामान्य धारणा बनाने हेतु उपभोक्ताओं की सहायता करती है। एफटीके ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के सभी स्त्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए गांव के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे स्वास्थ्य कार्मिक/मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रदान किये जाने थे। एफटीके के वितरण, अभिकर्मकों का पुनर्भरण (जब मूल अभिकर्मक खाली हो जाएं तो एफटीके को अभिकर्मकों से पुनः भरना था) इनके द्वारा आयोजित किये गये परीक्षणों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं थी:-

- एफटीके के माध्यम से जांचे गये पेयजल स्त्रोतों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल 7,24,231 जल स्त्रोतों में, से औसतन 45,913 (6.34 प्रतिशत) जल स्त्रोतों का वर्ष 2011-14 ***(परिशिष्ट 2.6)*** के दौरान परीक्षण किया गया था जबकि सभी जल स्त्रोतों का वर्ष में एक बार परीक्षण होना चाहिए था।

- 2011-14 के दौरान एफटीके से नमूनों के परीक्षण के लक्ष्यों और एफटीके के वितरण एवं उनके पुनर्भरण की स्थिति नीचे दी गई है:

गतिविधि	2011-12		2012-13		2013-14	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
एफटीके से परीक्षित नमूनों का लक्ष्य	9,51,258	57,014 (5.99 प्रतिशत)	5,90,316	58,396 (9.89 प्रतिशत)	1,75,110	1,22,940 (70.21 प्रतिशत)
उपलब्ध करवाई जाने वाली एफटीके रिफिलों की संख्या	9,280	0	0	0	0	0
वितरित किये जाने वाले एफटीके की संख्या	4,43,522	0	0	0	0	0

स्त्रोत: पेयजल विभाग की वैबसाईट (http://indiawater.nic.in)

उक्त तालिका से यह प्रकट होता है कि न तो नमूना जाँचों की उपलब्धियां ही प्राप्त हुई थी, न ही एफटीके और उनके रिफिल ग्रामीण स्तर पर जमीनी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराये गये थे, परिणामतः उपभोक्ता, उपभोग किये गये पानी की गुणवत्ता के बारे में त्वरित आश्वासन प्राप्त नहीं कर रहा था।

- डीएलएल द्वारा एफटीके से ग्रामीण स्तर पर पानी के परीक्षित नमूनों की कम से कम 30 प्रतिशत जांचों की प्रति जांच किये जाने के आवश्यक प्रावधानों के विरूद्ध, यह देखा गया कि नमूना जांच किये जिलों में 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः केवल 12, 21 और 6 प्रतिशत नमूनों की प्रति-जांच डीएलएल द्वारा की गई थी ***(परिशिष्ट 2.7)***।

2.3.13 पुरानी पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन

पाइपलाइनों का जीवन और स्थायित्व, पाइप सामग्री की अन्तर्निहित सुदृढ़ता, गुणवत्ता नियंत्रण के साथ विनिर्माण प्रक्रिया, संभाल, परिवहन, पाइपलाइनों को बिछाना और जोड़ना, पाइपलाइन के आस-पास की मिट्टी की स्थिति तथा वहन करने वाले पानी की गुणवत्ता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। सीपीएचईईओ द्वारा जारी किये गए जल आपूर्ति तथा उपचार की नियम पुस्तिका में यह कहा गया है कि जहां वहन किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता गैर संक्षारक है, पाइप लाइन का सामान्य जीवन 30 वर्षों का माना जाता है।

लेखा परीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि 18 नमूना जांच किये ब्लाकों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 50 जलापूर्ति योजनाओं में 2,410 किलोमीटर की पाइपलाइन 30 वर्ष से अधिक पुरानी थी, जिनमें से केवल 64 किलोमीटर पाइपलाइन को प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार, केवल 2.66 प्रतिशत पाइपलाइन को बदला गया तथा बाकी की पुरानी और जीर्ण हुई पाइपलाइनों का आवधिक प्रतिस्थापन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि 30 वर्ष से अधिक पुरानी पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन वित्तीय बाधाओं के कारण संभव नहीं है।

2.3.14 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण

उपभोक्ताओं की शिकायतों/परिवेदनाओं को विभाग द्वारा ऑनलाइन परिवेदना निवारण ट्रेकिंग सिस्टम (ओजीआरटीएस) के साथ हाथ से संधारित पारंपरिक अभिलेखों के माध्यम से पंजीकृत किया जा रहा था और विभागीय कर्मचारियों अथवा ठेकेदार के माघ्यम से निराकरण किया जा रहा था।

2.3.14.1 ऑनलाईन परिवेदना निवारण ट्रेकिंग सिस्टम

ओजीआरटीएस, मोबाईल गर्वमेन्ट (एम- गर्वमेन्ट)[64] के अन्तर्गत, वेब आधारित अनुप्रयोग है और सेवा चैनलों (टेलीफोन वैब एवं मोबाइल) का उपयोग करते हुए शिकायतों का पंजीकरण करता है। निराकरण के लिए समय सीमा 'राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम[65](आरजीडीपीएसए)-2011' के अनुसार परिभाषित है। विभागीय पदाधिकारी कार्रवाई को अद्यतन करते हैं।

- 2011-14 की अवधि के दौरान, कुल 88,483 ऑन लाईन शिकायतें ओजीआरटीएस के माध्यम से प्राप्त हुई ***(परिशिष्ट 2.8)*** निर्धारित तीन दिन के समय के भीतर निराकरण का औसत प्रतिशत केवल 41 प्रतिशत था। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने की कोई कार्यवाही अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थी।

- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) के निर्देशों (नवम्बर 2007) के विपरीत सभी 23 जांचे गये ब्लाकों के सम्बन्धित उप खण्डों ने ओजीआरटीएस के माध्यम से प्राप्त प्रदूषित जल के लिए शिकायतों को, जल गुणवत्ता हेतु नमूनों का परीक्षण किये बिना निपटान किया। जांचे गये ब्लाकों में असंतुष्ट उपभोक्ताओं द्वारा अनवरत शिकायतों के प्रकरण ध्यान में आये।

2.3.14.2 हाथ से पंजीकृत शिकायतों का अनुसरण

सचिव, पीएचईडी ने (सितम्बर 2006) प्राप्त शिकायतों की पंजिका संधारण करने और निवारण के लिए की गई कार्रवाई एवं जल स्त्रोतों की मरम्मत/बहाली, लीकेज की 48 घन्टे की अधिकतम सीमा के भीतर प्रतिक्रिया देने हेतु, निर्देश जारी किये। लेखापरीक्षा के दौरान सभी 23 ब्लॉकों की जांच में यह पाया गया कि यद्यपि, शिकायत पंजिकाएं संधारित थी लेकिन उचित प्रारूप में नहीं थी और निपटान किये जाने व निवारण हेतु की गई सुधारात्मक कार्रवाई की अनुगामी तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया था। वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान किसी भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पंजिका की समीक्षा नहीं की गई थी, नतीजन, शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

[64] एम-गर्वमेन्ट, विस्तार है-ई-गर्वमेन्ट से मोबाइल प्लेटफार्म का, साथ ही शासकीय सेवाओं और अनुप्रयोगों का महत्वपूर्ण उपयोग, जो कि केवल सेल्यूलर/मोबाइल टेलीफोन, लेपटॉप कम्प्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (पीडीएएस) और बेतार इंटरनेट ढ़ाँचें का उपयोग करते हुए ही संभव है।

[65] आरजीडीपीएसए, सुनिश्चित करता है कि सभी राज्य विभागों द्वारा नागरिकों को लोक सेवाएं-पारदर्शी, समय पर, दक्षता और उत्तरदायी तरीके से प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निवारण करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

2.3.15 सूचना, शिक्षा और संचार अभियान

पेयजल आपूर्ति विभाग ने वर्ष 2010 के दौरान प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानो के लिए, जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, समुदायों को शामिल करते हुए जमीनी स्तर पर जागरूकता शिविरों, अन्तर व्यक्तिगत संचार अभियान, मास मीडिया अभियानों के आयोजनों, आडियो विजुअल कार्यक्रम और दस्तावेज/पुस्तिका के वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये। हालांकि यह पाया गया कि 2011-14 के दौरान केवल झुंझुनू जिले में, केवल 15 जागरूकता शिविरों और चार अन्तर व्यक्तिगत संचार अभियानों को आयोजित किया गया। 2011-14 के दौरान अन्य जिलों में कोई आईईसी गतिविधियां नहीं की गई थी।

2.3.16 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राजस्थान पेयजल के प्रयोजन के लिए मूल रूप से भूजल पर निर्भर है, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में रासायनिक संदूषक हैं और भूजल संचय में क्षरण जल गुणवत्ता में गिरावट कर रहा है। 'राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस शमन कार्यक्रम (आरआईएफएमपी)' राज्य सरकार द्वारा फ्लोराईड के शमन हेतु 2005 में प्रारम्भ किया गया था। राज्य सरकार ने राज्य जल नीति को संपोषणीय आधार पर जल संसाधन आयोजन हेतु 2010 में अपनाया। रिवर्स ऑस्मोसिस की एक परियोजना भी अन्य संदूषणों को दूर करने हेतु 2012-13 के दौरान शुरू की गयी। यद्यपि, विभिन्न कमियां दूर की जानी अभी भी शेष हैं।

एनएचएस द्वारा 2003 में प्रारम्भिक सर्वेक्षण के बाद, राज्य सरकार ने पेयजल की कम गुणवत्ता वाली बस्तियों का कोई पश्चात्वृत्ति सर्वेक्षण नहीं किया। व्यापक आँकड़ों के अभाव में, जल गुणवत्ता के उन्नयन की आयोजना करना संभव नहीं है।

राज्य सरकार को जल गुणवत्ता के उन्नयन की आयोजना करने के लिए बस्तियों की पहचान हेतु आवधिक सर्वेक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्य सरकार आरआईएफएमपी कार्यक्रम पूर्णतया क्रियान्वयन करने में असफल रही। तथ्य के बावजूद कि कार्यक्रम का चरण-III क्रियान्वयन अधीन है, बड़ी संख्या में बस्तियों में उच्च फ्लोराईड संदूषक स्तर थे।

अन्य संदूषकों को दूर करने के उपाय के लिए आरओ संयंत्र देरी से, वर्ष 2012-13 में, स्थापित किए गए और इसमें भी केवल 12 जिले शामिल किये गये। आरओ संयंत्रों के क्रियान्वयन में कई समस्याएं देखी गयी।

राज्य सरकार आरआईएफएमपी के अन्तर्गत जल के फ्लोराइड निवारण द्वारा घरेलू जल गुणवत्ता के उन्नयन हेतु लक्ष्यों/गतिविधियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी प्रभावित बस्तियों में आरओ संयंत्रों के विस्तार को बढ़ाने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आरओ संयंत्रों सहित सभी उपायों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना चाहिए।

जहां नलकूपों से पानी सीधे ही पाइप लाइनों में आपूर्तित किया गया, उन परियोजनाओं में क्लोरिनीकरण नहीं किया गया था। यह देखा गया कि क्लोरीन की मांग का निर्धारण ब्लीचिंग पाउडर के क्रय से पूर्व नहीं किया गया था। आवश्यक मानक परीक्षण, परीक्षण के लिये उपयुक्त प्रतिदर्श और ब्लीचिंग पाउडर के उपलब्ध भंडार के आवधिक परीक्षण आयोजित नहीं किये गये। पाइपलाइनों में रिसाव बिन्दु से प्रतिदर्श नहीं लिए गए और मरम्मत के बाद पाइपलाइनों का क्लोरिनीकरण नहीं किया गया।

राज्य सरकार पेयजल को उचित और नियमित विसंक्रमित करना सुनिश्चित करे और उपलब्ध कराये ब्लीचिंग पाउडर हेतु बीआईएस द्वारा नियत मानकों का पालन करे।

राज्य/जिला स्तर प्रयोगशालाओं को पर्याप्त ढ़ांचा/परीक्षण सुविधाएं और योग्य कर्मचारी प्रदान नहीं किये गये थे। ब्लाक स्तर प्रयोगशालाओं को सभी ब्लाकों में स्थापित नहीं किया गया था। ग्रामीण स्तर पर पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किटों का वितरण एवं उपयोग भी अपर्याप्त था। ग्रामीण स्तर पर जल नमूनों के परीक्षण के लिये नियत लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये थे।

राज्य सरकार सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रयोगशालाओं में जल परीक्षण सुविधाएं योग्य मानव शक्ति सहित प्रदान करे। एफटीके की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराई जावे और ग्रामीण स्तर पदाधिकारियों को वितरित की जावे।

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण में विलम्ब किया गया तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों की पंजिका संधारित नहीं की गई थी। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये पर्याप्त संख्या में कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये थे।

राज्य सरकार उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण निर्धारित समयसीमा में करना सुनिश्चित करें।